र्राजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] No. 366] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2018/आश्विन 11, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीयखाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

फा. सं0 12/01/2010-प्रशासन/एफ.एस.एस.ए.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं0 फाइल सं0 12/01/2010-प्रशासन/एफ.एस.एस.ए.आई,तारीख 7 फरवरी, 2018 द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति)

5788GI/2018 (1)

विनियम, 2018 का कितपय प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 8 फरवरी, 2018 को उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था, जिस तारीख को उस विनियम को राजपत्र में प्रकाशित कराया गया था;

और जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भली-भाँति विचार कर लिया गया है और यथासंभव सीमा तक उपयुक्त उपबंध शामिल कर दिए गए हैं;

अत: अब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 9 की उप-धारा (2) और (3) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (क) इन विनियमों को भारतीय खाद्य स्रक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती और निय्क्ति) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
 - (ग) ये विनियम इनके साथ अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगें।
- 2. परिभाषाएँ,- इन विनियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) **"अधिनियम"** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;
 - (ख) **"केंद्रीय सरकार"** से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;
 - (ग) "आयु" से अनुसूची में विहित ऊपरी आयु सीमा अभिप्रेत है;
 - (घ) **"नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी"** से, खाद्य प्राधिकरण के अधीन पदों के संबंध में, निम्नलिखित अभिप्रेत है,-
 - (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (1,44,200 2,18,200) और उससे ऊपर के समूह 'क' के सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का अध्यक्ष, परंतु इनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल नहीं है ।
 - (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (1,44,200 2,18,200) से नीचे के समूह 'क' के सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
 - (iii) समूह 'ख' के सभी पदों के संबंध में प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक; और

- iv) समूह 'ग' के समतुल्य सभी समकक्ष पदों के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्यालय या खाद्य प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों या प्रयोगशालाओं में स्थापना के प्रभारी निदेशक अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत;
- (ङ) "**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**" से खाद्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) "उम्मीदवार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट पदों में से किसी पद के लिए पात्र हो;
- (छ) **"अनुबंधित कर्मचारी**" से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जिसकी नियुक्ति किसी विहित अवधि के लिए संविदा के आधार पर की गई हो;
- (ज) **"सिमिति"** से अनुसूची या इन विनियमों के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधानों में विहित खोज-सह-चयन सिमिति, विभागीय पदोन्नित सिमिति, छँटनी या विशेषज्ञ सिमिति या मूल्यांकन बोर्ड अभिप्रेतहै और उसमें शामिल है;
- (झ) **"सीधी नियुक्ति"** से प्राधिकरण द्वारा की गई वह नियुक्ति अभिप्रेत है, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति से भिन्न हो;
- (ञ) **"प्रतिनियुक्ति"** से भर्ती की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसद्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पदों पर केंद्रीय सरकार या राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के विभागों के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं;
- (ट) **"परिवीक्षा"** से अभिप्रेत है कि किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में विहित अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।
- (ठ) **"मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक बोर्ड"** से वह विश्वविद्यालय या बोर्ड अभिप्रेत है,जिसे भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल, जैसी भी स्थिति हो, को किसी विधि द्वारा स्थापित किया गया हो और उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;
- (ड) **"अल्प-कालिक अनुबंध**" से गैर-सरकारी संस्थाओं, यथा विश्वविद्यालय, मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थान,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमके अधिकारियों की खाद्य प्राधिकरण में किसी विहित अविध के लिए भर्ती की पद्धति अभिप्रेत है;
- (ढ) **"विभागीय कर्मचारी या उम्मीदवार"** से इन विनियमों के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियमित आधार पर नियुक्तसभी व्यक्ति और इन विनियमों के भाग 3 के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है;

(ण) इन विनियमों में प्रयुक्त परंतु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा, जो उनसे क्रमशः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का संख्यांक 10) या नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) में अभिप्रेत है।

अध्याय II पदों का वर्गीकरण

3. प्रारंभिक गठन.- इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियमित आधार पर नियुक्त सभी व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त माने जाएँगे और उन द्वारा की गई सेवा पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

4. पदों का वर्गीकरण.- खाद्य प्राधिकरण के पदों का वर्गीकरण निम्नान्सार किया जाएगा,-

क्रम सं0	विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 या उससे ऊपर के स्तर के पद	समूह ''क''
2.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 से स्तर 9 तक के पद	समूह ''ख''
3.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से स्तर 5 तक के पद	समूह 'ग''

5. पद, संवर्ग, वर्गीकरण और वेतनमान.-

- (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में अनुसूची में यथा-उल्लिखित तीन संवर्ग होंगे, अर्थात् प्रशासनिक और वित्तीय संवर्ग (क्रम सं0 1 से 17); वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्ग (क्रम सं0 18 से 21);और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विशेषज्ञ सेवा संवर्ग (क्रम सं0 22 से 32)।
- (ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 से 13 तक के पद आवश्यकता और पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और लिखित कारणों से संवर्गों और स्तरों के साझे पूल के रूप में प्रचालित किए जा सकते हैं।
- (ग) भारत के खाद्य प्राधिकरण में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों का कैडर प्रबंधन खाद्य प्राधिकरण के मुख्यालय में केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा।
- (घ) समूह 'ग' के पदों का कैडर प्रबंधन, जब तक वह क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोगशालाओं को उनके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत पदों के संबंध में प्रत्यायोजित नहीं कर दिया जाता, मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

(ङ) पदों का वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन स्तर वही होगा, जो इन विनियमों की अनुसूची में विहित है।

6. खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति की सामान्य शर्तें.-

उप-विनियम (1) से (6) में विहित सामान्य शर्तें खाद्य प्राधिकरण में सभी नियुक्तियों पर लागू होंगी।

- (1) खाद्य प्राधिकरण नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
- (2) इन विनियमों की कोई बात इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छुट और अन्य छुटों को प्रभावित नहीं करेगी।
- (3) कोई ऐसा व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा(गी), जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो। खाद्य प्राधिकरण के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार के लिए अनुसूची में विहित कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (4) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक वह -
 - (क) भारत का(की) नागरिक न हो;
 - (ख) सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता की किसी अन्य श्रेणी में शामिल न हो:

 परंतु यदि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो तो उसे नागरिकता की अन्य श्रेणी में माना जाएगा।
- (5) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा,-
 - (क) यदि उसका नैतिक आचरण अच्छा न हो और उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो;
 - (ख) यदि उसे नैतिक अधमता के कारण दुराचरण के आधार पर किसी सरकारी या सार्वजनिक उद्यम या प्राइवेट सेवा या अन्य किसी संगठन से पदच्युत किया गया हो या सेवा से निकाल दिया गया हो या अनिवार्य सेवा-निवृत्त कर दिया गया हो।
- (6) (क) कोई वह व्यक्ति,-
 - (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, जिसके पहले ही एक पति/पत्नी हो; अथवा
 - (ii) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो,

नियुक्ति का(की) पात्र नहीं होगा(गी)।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में विवाह संबंधी घोषणा करनी होगी।

परंतु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक विधि के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उसे इस विनियम के प्रवर्तन से छट दे सकता है।

7.नियुक्ति के लिए छूट.- इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी फीडर ग्रेड के अधिकारियों के पदोन्नित के लिए पात्र होने तक प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या संविदा के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है और उच्च स्तर के पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उन पदों को निम्न स्तर के पदों से प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या संविदा के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, अंतरिम उपाय के रूप में प्रचालित कर सकता है।

8. भर्ती के मानदंड.-

- (1) पदों पर भर्ती की पद्धति, वेतन स्तर, आयु सीमा, योग्यता और उससे संबद्ध अन्य मामले अनुसूची में यथाविहित प्रावधानों के अनुसार होंगे।
- (2) भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और चंबा जिले के पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) विज्ञापित पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख होगी।
- 9. उम्मीदवारों की चयन सूची.- चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित उम्मीदवारों की मेरिट के अनुसार एक सूची रिजर्व सूची के साथ तैयार की जाएगी, जो एक वर्ष या ऐसी बढ़ी हुई अवधि, जिसे सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, के लिए वैध रहेगी।

10. उम्मीदवारों का चयन.-

- (क) उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव चयन सूची में दी गई मेरिट के क्रम से जारी किए जाएँगे, जिनमें उम्मीदवार को कार्य-ग्रहण करने की कोई समय-सीमा दी जाएगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अनुसार बढ़ाया जा सकता है;
- (ख) नियुक्ति प्रस्ताव के पत्र में उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों का उल्लेख होगा;
- (ग) उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति से पूर्व पूरी की जाने वाली कोई शर्त पूरी न करने या उस द्वारा निर्दिष्ट समय में कार्य-ग्रहण न करने पर सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले सकता है;
- (घ) सीधी भर्ती की सभी नियुक्तियाँ चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापान के अध्यधीन होंगी;
- (ङ) ऊपर खंड (ग) के अनुसार किसी नियुक्ति प्रस्ताव के वापस लिए जाने पर सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार चयन सूची में मेरिट के अनुसार उससे अगले उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी कर सकता है।

- (च) नियुक्त कर्मचारियों को भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करनी होगी।
- (ত্ত) प्रत्येक उम्मीदवार अपनी नियुक्ति से पूर्व शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का संख्यांक 19) के अंतर्गत शपथ लेगा(गी)।

11. सीधी भर्ती.-

- (1) (क) भरी जाने वाली रिक्तियों को सरकारी निर्देशों के अनुसार व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाएगा;
 - (ख) विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक प्राप्त न हुए आवेदन या निर्धारित शर्तें पूरी न करने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द किया जा सकेगा: परंत् सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है।
- (2) इन विनियमों की अनुसूची और अन्य उपबंधों में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीधी भर्ती के पात्र होंगे। सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार, जहाँ वाँछनीय हो, यह भी निर्धारित करेगा कि क्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों प्रक्रिया के अंग होंगे।
- (3) सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेक के अनुसार,चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल बना सकता है। यदि नामों का ऐसा कोई पैनल बनाया जाए और रखा जाए तो वह उसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष से अनिधक अविध के लिए वैध होगा या ऐसी बढ़ी हुई अविध, जिसे सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करें, के लिए वैध रहेगी।
- (4) किसी विभागीय उम्मीदवार के सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्ति के मामले में वह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।
- (5) खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन से इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को खाद्य प्राधिकरण की सेवा में संविदा पर नियोजित सभी व्यक्तियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है और उन्हें खाद्य प्राधिकरण के काम में नियोजन के लिए वरीयता दी जा सकती है।

12. आमेलन:-

- (1) केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं के उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर आमेलन के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है:
 - (क) उम्मीदवार अनुसूची में विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव रखता(ती) हो; और
 - (ख) उम्मीदवार आवेदित पद के समकक्ष पद पर हो।
- (2) सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर उचित आदेश द्वारा, खाद्य प्राधिकरण में पहले ही प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी व्यक्ति को, नीचे उप-विनियम (3) में दी गई प्रक्रिया अपना कर, इन भर्ती विनियमों की अधिसूचना की तारीख को प्राधिकरण में पहले ही प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उसके खंड 3(घ) को छोड़कर, स्थायी रूप से समामेलित कर सकता है:

परंतु कोई व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में समामेलित नहीं किया जाएगा जब तक वह -

(क) खाद्य प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलन के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा लिखित में विकल्प मांगने पर वह विकल्प लिखित रूप में न दे दे, और

- (ख) वह इन विनियमों की अनुसूची में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव न रखता हो और उसने खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो।
- (3) सक्षम प्राधिकारी ऊपर उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के आमेलन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कर सकता है,-
 - (क) चयन समिति की सिफारिश पर और ऐसे व्यक्ति की खाद्य प्राधिकरण में उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए;
 - (ख) ऐसे व्यक्ति के मूल कार्यालय से परामर्श करके;
 - (ग) ऐसे व्यक्ति को खाद्य प्राधिकरण में उसके मूल पद से त्याग-पत्र दिए जाने और उसे उसके मूल संगठन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद समामेलित किया जाए; और
 - (घ) आमेलन की ऐसी किसी संभावना का उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा।

13. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है),-

- (1) खाद्य प्राधिकरण में इन विनियमों के अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सिहत बाहरी सेवा शर्तोंपर प्रतिनियुक्ति पर की गई सभी नियुक्तियाँ पहली बार में तीन वर्ष से अनिधिक अविध के लिए होंगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, जो उम्मीदवार की कार्यकारिता के मूल्यांकन और उसके मूल विभाग से परामर्श से बढ़ाई जाएगी। अनुसूची में दिए गए पदों पर खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति तुरंत आमेलन के नियम से मुक्त है।
- (2) केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं के उम्मीदवार इन विनियमों में विहित पद्धित से और निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं, अर्थात्,-
 - (i) अनुसूची में यथाविहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों, और
 - (ii) आवेदित पद के समकक्ष पद पर आसीन हो या प्रतिनियुक्ति के स्तर या उसके समकक्ष स्तर पर पदोन्नति के लिए निचले पद पर न्यूनतम वर्षों की अपेक्षित सेवा की हो।
- (3) संवर्ग से इतर उन पदों को छोड़कर जिनके लिए वे पोषक प्रवर्ग अधिकारी न हों, पदोन्नति की सीधी लाइन में आने वाले विभागीय उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।
- (4) किसी कर्मचारी के किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर ऐसे कर्मचारी की सेवा के निबंधन और शर्तें मौजूदा सरकारी नियमानुसार होंगे।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-

(1) अनुसूची में विहित पात्रता के मानदंड पूरे करने वाले नियमित कर्मचारियों की विभिन्न ग्रेडों पर पदोन्नित द्वारा नियुक्ति रिक्ति होने पर और विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिश पर उनकी विरुठता क्रम के अनुसार पदोन्नित की सीधी लाइन के अगले उच्च पद पर निचले या पोषक प्रवर्ग से की जाएगी। विभागीय पदोन्नित समिति का गठन इस विषय पर सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) वरिष्ठता का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा वरिष्ठता के सामान्य निर्देशों या सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। तथापि स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण से, ऐसे आमेलन से पूर्व अगले उच्च ग्रेड पर हुई पदोनुनित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. संविदा के आधार पर नियुक्ति.-

- (1) सक्षम प्राधिकारी,भर्ती की सामान्य विधि से रिक्तियाँ न भर पाने पर अंतरिम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समकक्ष स्वीकृत पदों के लिए अपेक्षित प्रवेश योग्यताओं और अपेक्षित निबंधनों और शर्तों पर प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से विहित अविध के लिए संविदा के आधार पर कर्मचारी नियुक्ति कर सकता है:
 - परंतु ऐसी नियुक्तियों की कुल संख्या स्वीकृत पदों की संख्या तक सीमित होंगी और स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पाँच प्रतिशत तक सीमित रहेंगी।
- (2) सक्षम प्राधिकारी खाद्य प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के संबंध में अपेक्षित निबंधनों और शर्तों पर प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से उन अन्य विषयों पर खुले बाजार से परामर्शदाताओं की सेवाएँ ले सकती है, जिनके लिए ऐसे विशेष कौशल और दक्षता की आवश्यकता हो जो इन विनियमों में उल्लिखित न हो। ऐसी नियुक्तियाँ स्वीकृत पदों के अतिरिक्त और उनसे इतर होंगी, परंतु किसी भी समय कुल स्वीकृत पदों के पाँच प्रतिशत से अधिक न होंगी।
- (3) ऊपर उप-विनियम (1) और (2) के अंतर्गत परामार्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी और उनका ऐसी सेवा करने पर बाद में स्थायी नियुक्ति का कोई दावा नहीं बनेगा।
- (4) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया और शर्तें मोटे तौर पर इन विनियमों के अनुसार होंगी और हर मामले में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी।
- (5) जिन पदों पर अधिकारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो, उन पर धारणाधिकार रखने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

16. चयन.-

- (1) पदों पर नियक्ति अनुसूची में विहित चयन समितियों के माध्यम से की जाएगी।
- (2) चयन सिमिति द्वारा अनुशंसित पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा। पैनल से एक वर्ष के अंदर कोई चयन न किए जाने पर नया पैनल बनाने के लिए नई चयन सिमिति का गठन किया जाएगा। ऐसी सिमिति पिछले पैनल में शामिल व्यक्तियों के नामों पर भी विचार कर सकती है।
- (3) इस प्रक्रिया से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव अनुसूची में विहित प्रावधान के अनुसार होंगे, परंतु अत्यधिक विशेषज्ञीकृत क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों के मामलों में अनुभव की न्यूनतम अवधि में छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि चयन समिति ऐसा लिखित में रिकॉर्ड करे। छूट का प्रावधान रिक्ति के परिपत्र या विज्ञापन में शामिल किया जाएगा।
- 17. **छूट देने की शक्ति.** इन विनियमों के किसी उपबंध में छूट देने की शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होगी।
- 18. व्याख्या.- इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठ जाने पर उसे केंद्रीय सरकार को जाँच के लिए भेजा जाएगा और केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गी- करण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंके लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिया आमेलन किया जाएगा	विभागीय प्रोन्नति समिति होने पर उसकी संरचना	वे स्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
1 1. कार्य कारी निदेशक	2 "2* (2018)"	3 साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवी य	4 वेतन स्तर 14 (रु. 1,44, 200- 2,18, 200)	होता।	होता।	7 लागू नहीं होता।	होता।	होता।	10 प्रतिनियुक्ति द्वारा	में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारोंया विश्वविद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंया अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 13 या समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद मूल श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जिन्हेंप्रशासन, वित्त या/औरसतर्कता मामलों का दसवर्षों का अनुभव हो।	सदस्य (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	होता।
2.	"2*	साधारण	वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केंद्रीय सरकार या राज्य	खोज-सह-चयन समिति जिसमें	लागू नहा

सलाहकार	(2018)"	केंद्रीय	स्तर	होता।	होता।	होता।	होता।	सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों की निम्नलिखित होंगे:- होता।
1,416 147	(== 10)	सेवा,	14	6,711	61.411	6.411	6	सरकारोंया विश्वविद्यालयोंया (i)अध्यक्ष,भारतीय खाद्य सुरक्षा
			(1,44,200-					मान्यता-प्राप्त अनुसंधान और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष
		समूह	2,18,200)					संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर
		क,	2,10,200)					_{ज्याकर्यों} गा अर्ध (॥) मुख्य कायकारा
		अननु-						सरकारी,कानूनी या अधिकारी,भारतीय खाद्य
		सचिवीय						स्वायतशासी संगठनों के वे सुरक्षा और मानक प्राधिकरण–
								अधिकारी:- सदस्य
								(i) जो मूल संवर्ग या
								विभाग में समतुल्य पद पर (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार
								नियमित आधार पर धारण कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित
								किया हुआ हो;या एक प्रतिनिधि – सदस्य
								(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग (iv)अध्यक्ष, भारतीय खाद्य
								ि ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' सरक्षा और मानक प्राधिकरण
								समतुल्य पद पर नियुक्ति के द्वारा नामित समुचित स्तर का बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की एक बादरी विशेषज्ञ – सदस्य
								बाद उस अणा म पाच वर्ष का।
								नियमित सेवा की हो; और
								(iii) जो किसी मान्यता-
								प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था
								से रासायनिकी या जैव
								रासायनिकी या खाद्य
								प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान एवं
								प्रौद्योगिकी या खाद्य एवं पोषण
								या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या
								सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी
								प्रौद्योगिकी या कृषि या
								बागवानी विज्ञान या औद्योगिक
								सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष
								विज्ञान या जन स्वास्थ्य या
								जीवन विज्ञान या जैव
								प्रौद्योगिकी या फल और
								वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य
								सुरक्षा और गुणता आश्वासन या
								खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-
								समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि
								ायथय म स्नातकात्तर उपााव

					या	
					"	
					किसी मान्यता-प्राप्त	
					विश्वविद्यालय या संस्था से	
					खाद्य सुरक्षा और गुणता	
					आश्वासन में कम से कम एक	
					वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर	
					डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो	
					खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-	
					समय पर अनुमोदित हो।	
					या	
					खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी	
					प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी	
					या तेल प्रौद्योगिकी या	
					खाद्यप्रसंस्करण इंजीनियरी या	
					खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या	
					फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी	
					या खाद्य सुरक्षा और गुणता	
					आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या	
					औषध या पशु चिकित्सा	
					विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या	
					पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण	
					द्वारा समय-समय पर अनुमोदित	
					किसी अन्य विषय में स्नातक	
					उपाधि (जो चार वर्ष से कम की	
					अवधि की न हो); और	
					 (iv) खाद्य विज्ञान या मानक या	
					सुरक्षा के क्षेत्र में किसी	
					प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्था	
					या वैज्ञानिक संगठन में	
					अनुसंधान और विकास कार्य का	
					कम से कम 18 वर्षों का अनुभव,	
					जिसमें से कम से कम नौवर्षों का	
					ाजराम राजश्म राजश्म माज्या का	

	,		T			T			
							अनुभव पर्यवेक्षी पद पर हो;		
							या		
							યા		
							उपर्युक्त विषयों में से किसी		
							विषय में डॉक्टरेट उपाधि तथा		
							इस पैरा में ऊपर वर्णित क्षेत्रों में		
							प्रयोगशालाओंया अनुसंधान		
							संस्थाओं या वैज्ञानिक संगठनों		
							में कार्य का पंद्रह वर्षों का	•	
							अनुभव तथा इन पंद्रह वर्षों में से		
							कम से कम आठ वर्षों का		
							अनुभवपर्यवेक्षी पद पर हो;और		
							(v) संबंधित क्षेत्र में उच्च स्तर		
							का प्रकाशित अनुसंधान कार्य।		
3. निदेशक "16* _{(2018)"} स	प्राधारण वेतन	चयन 5	0 वर्ष (क)(i) म	_{ान्यता-} नहीं	एक वर्ष	(1)	(क)प्रोन्नति के लिए:	चयन समिति जिसमें	लागू नहीं
	_{तावारण} प्रतान केंद्रीय स्तर	ا ا	I CANA	ान्यता- (१७)	(९५) पप	(i)	(4) AITHIN 4 144 (4.		होता।
			प्राप्त			60%प्रोन्नति			61/111
	,		विश्ववि			द्वारा, ऐसा न	2,09,200) में संयुक्त	(i) मुख्य कार्यकारी	
₹	_{समूह} (1,23,			स्था से		हो सकने पर	निदेशक,श्रेणी में नियमित	अधिकारी,भारतीय खाद्य	
	_{क,} 100-		स्नातक	की		प्रतिनियुक्ति) आधार पर नियुक्ति के बाद 5	सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-	
3	अननुसचिवी 2,15,		उपाधि;	और		द्वारा	वर्ष की सेवा।	अध्यक्ष	
	य 900)		(ii)पद	की		(जिसके अंतर्गत		(ii) कार्यकारी	
			अ पेक्षानु			शलाकालिक	टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ	निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा	
				, वित्त,		संविदा भी	व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने	्र और मानक प्राधिकरण– सदस्य	
						दै)या आमेलन	अपनी अर्हक या पात्रता सेवा		
				संसाधन		द्वारा।	पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	(iii) सलाहकार,भारतीय	
				या/और				खाद्य सुरक्षा और मानक	
				का कार्य			विचार किया जा रहा हो, वहाँ	प्राधिकरण– सदस्य	
				का पंद्रह ्			उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध		
			वर्षों का			द्वारा	में भी विचार किया जाएगा,	(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा	
			वांछनीय				परंतु यह तब जब कि उसके		
			मान्यता				द्वारा की गई ऐसी अर्हक या	नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य	
			विश्ववि				पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या	(v) अध्यक्ष, भारतीय	
				स्था से			पात्रता सेवा के आधे से अधिक		
				ो उपाधि				प्राधिकरण द्वारा नामित	
			या एम.	बो.ए की			से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	

उपाधि या	कम हो, कम न हो और उन्होंने विशेषज्ञ – सदस्य
समतुल्य	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों
योग्यता।	सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या
या	पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर
(ख)(i) मान्यता-	
प्राप्त	ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में
विश्वविद्यालय	प्रोन्नति के लिए अपनी
या संस्था से	परिवीक्षा की अवधि
रासायनिकीया	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
जैव	(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक
रासायनिकीया	संविदा सहित)या आमेलन के
खाद्य	निए:
प्रौद्योगिकीया	
खाद्य विज्ञान एवं	केंद्रीय सरकार या राज्य
प्रौद्योगिकीया	सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्व- विद्यालयोंया मान्यता-
खाद्य एवं पोषण	वश्व- । वद्यालयाया मान्यता- प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया
या खाद्य तेल	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध
प्रौद्योगिकी या	
सूक्ष्म जैव	सरकारी,कानूनी या
विज्ञानया डेयरी	स्वायतशासी संगठनों के ऐसे
प्रौद्योगिकीया	अधिकारी:-
कृषि या	(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग
बागवानी	में समतुल्य पद पर नियमित
विज्ञानया	आधार परधारित किए हों;या
औद्योगिक सूक्ष्म	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या
जैव विज्ञान या	विभाग में वेतन स्तर 12 या
आविष विज्ञान	उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति
या जन स्वास्थ्य या जीवन	के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की
या जीवन विज्ञान या जैव	नियमित सेवा की हो; और
प्रौद्योगिकी या फल और	(ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती
फल आर वनस्पति	के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ
वनस्पात प्रौद्योगिकी या	रखते हों।
प्राचागका या खाद्य सुरक्षा और	
षाद्य सुरक्षा आर गुणता आश्वासन	
गुणता आस्वासन या खाद्य	
या खाद्य प्राधिकरण द्वारा	
समय-समय पर	
रामभ-रामभ भर	

			अनुमोदित किसी			
			अन्य विषय में			
			स्नातकोत्तर			
			उपाधि			
			या			
			0			
			किसी मान्यता-			
			प्राप्त			
			विश्वविद्यालय			
			या संस्था से			
			या सस्या स			
			खाद्य सुरक्षा और			
			गुणता आश्वासन			
			गुणता आश्वासन में कम से कम			
			- + +			
			एक वर्ष की			
			अवधि का			
			स्नातकोत्तर			
			डिप्लोमा			
			(उपयुक्त नाम			
			से), जो खाद्य			
			,, n.e			
			प्राधिकरण द्वारा			
			समय-समय पर			
			अनुमोदित हो।			
			9			
			या			
			खाद्य प्रौद्योगिकी			
			या डेयरी			
			प्रौद्योगिकी या			
			प्राच्यागम्य या			
			जैव प्रौद्योगिकी			
			या तेल			
			प्रौद्योगिकी या			
			खाद्यप्रसंस्करण			
			जास्त्रसस्करण • ०० ०			
			इंजीनियरी या			
			खाद्य प्रसंस्करण			
			प्रौद्योगिकी या			
			फल और			1

वनस्पति
वनस्थात
प्रौद्योगिकी या
खाद्य सुरक्षा और
THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO T
ગુગતા ગારવાસન
गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक
या औषध या
पशु चिकित्सा
13 (14)
विज्ञानया मत्स्य
विज्ञान या पशु
विज्ञान या खाद्य
प्राधिकरण द्वारा
समय-समय पर
अनुमोदित किसी
अन्य विषय में
स्नातक उपाधि
स्नाराक उनाव
(जो चार वर्ष से
कम की अवधि
की न हो); और
જા વ હા), ગાંવ
ख (ii) खाद्य
विज्ञान या
मानक या सुरक्षा
के क्षेत्र में किसी
प्रयोगशाला या
अनुसंधान संस्था
या वैज्ञानिक
संगठन में
अनुसंधान और
विकास कार्य का
कम् से कम 14
वर्षों का
अनुभव,जिसमें
से कम से कम
पाँच वर्षों का
अनुभव ग्रुप
लीडर या
पर्यवेक्षी पद पर
हो और
16

आयोजन,
विकास और
समन्वयन् कार्य-
क्षेत्र वाले खाद्य
विज्ञान से
संबंधित
कार्यक्रमों में कार्य
िकिया हो;
या
(1)(i) zuziea
(ग)(i) उपर्युक्त
विषयों में से
किसी विषय में
डॉक्टरेट की
उपाधि तथा
खाद्य विज्ञानया
मानकया सुरक्षा
के क्षेत्रों में
प्रयोगशालाओंया
अनुसंधान
संस्थाओं या
वैज्ञानिक
संगठनों में कार्य
प्राप्ता म अग्रभ
का बारह वर्षों
का अनुभव तथा
इन बारह वर्षों
में से कम से कम
पाँचवर्षों का
अनुभव ग्रुप
लीडर या
पर्यवेक्षी पद पर
हो और खाद्य
विज्ञान संबंधी
कार्यक्रमों से
संबंधित कार्य
किया हो, जिसमें
ाकवा हा, रजलम

आयोजना,	
विकास और	
कार्य शामिल हो;	
और	
(ग)(ii) संबंधित	
क्षेत्र में प्रकाशित	
अनुसंधान कार्य।	
टिप्पण 1:	
वाछित कुल	
वांछित कुल अनुभव में से दो	
वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई	
केंद्रीय महंगाई	
भत्ते या समकक्ष	
औद्योगिक	
आद्यागिक	
महंगाई भत्ते के	
वेतनमान (जो	
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~	
भी लागू हो) में निचले वेतन	
निचले वेतन	
स्तर में हो तथा	
निजी क्षेत्र में	
ानजा क्षत्र म	
कार्यरत	
उम्मीदवारों के	
111127 17 2	
नामला म य	
पिछल दो वर्षा	
मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम	
तुलनात्मक	
<u> </u>	
वार्षिक कंपनी	
का खर्च ले रहे	
हों, जिसके बारे	
हा, जिसक बार	
में निर्णय सक्षम	
प्राधिकारी द्वारा	
लिया जाएगा	
और उसका	
विज्ञापन में हर	
बार उल्लेख	

किया जाएगा।	
टिप्पण 2:	
अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में	
उम्मीदवारों के	
मामले में	
योग्यताओं में	
सक्षम प्राधिकारी	
के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।	
छ्ट दी जा	
सकती है।	
टिप्पण 3: चयन	
के किसी स्तर पर	
सक्षम प्राधिकारी	
को यह विश्वास	
हो जाने पर कि	
अनुसूचित	
जातिया	
अनुसूचित जन	
अनुसूचित जन जाति के लिए	
आरक्षित	
रिक्तियों को	
भरने के लिए इन	
भरने के लिए इन समुदायों के	
अपेक्षित अनुभव	
समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले	
उम्मीदवारों की	
पर्याप्त संख्या	
उपलब्ध होने की	
संभावना नहीं है,	
तो सक्षम	
प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के	
समुदार्थों के	
ुम्मीदवारों के	
लिए अनुभव संबंधी	
संबंधी	
योग्यताओं में	
अपने	

						विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मकआव श्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।					
4.संयुक्त निदेशक	"32* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवी य	वेतन स्तर 12 (रु. 78,800- 2,09, 200)	चयन	50 वर्ष	(क)(i)मान्यता- प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि; और (ii)पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता का कार्य देखने का बारह वर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एम.वी.ए की उपाधि या	1 ਬਧੰ	हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 40% सीधी भर्ती	निदेशक,श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा।	(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (iii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सलाहकार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	लागू नहीं होता।

योग्यता।	पात्रता सेवा के आधे से अधिक
या	से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी
	कम हो, कम न हो और उन्होंने
(ख) मान्यता-	अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों
प्राप्त	
विश्वविद्यालय	सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या
या संस्था से	पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर
विधि के क्षेत्र में	ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में
स्नातक की	प्रोन्नति के लिए अपनी
पूर्णकालिक	परिवीक्षा की अवधि
उपाधि तथा	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
किसी प्रतिष्ठित	(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य
सरकारीया	सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की
स्वायत शासीया	सरकारों या विश्वविद्यालयों या
अनुसंधान	मान्यता-प्राप्त अनुसंधान
संस्थानया	संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर
विश्वविद्यालय	उपक्रमों या अर्ध
या सार्वजनिक	सरकारी,कानूनी या
क्षेत्र के	स्वायतशासी संगठनों के ऐसे
उपक्रमोंया	अधिकारी:-
विधिक कंपनी में	
विधिक मामले	(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग
देखने या विधि	में समतुल्य पद पर नियमित
अधिकारी के रूप	आधार परधारण किया हुआ
में बारह वर्षों का	हो;या
अनुभव।	(i) जिन्होंने मूल संवर्ग
	या विभाग में वेतन स्तर 11 या
या	उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति
	के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की
(ग)(i) मान्यता-	नियमित सेवा की हो; और
प्राप्त	(ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती
विश्वविद्यालय	के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ
या संस्था से	रखते हों।
रासायनिकी या	
जैव रासायनिकी	
या खाद्य	
प्रौद्योगिकी या	
	1

खाद्य विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी या
प्राचामका पा
खाद्य एवं पोषण
या खाद्य तेल
प्रौद्योगिकी या
सूक्ष्म जैव
विज्ञान या डेयरी
प्रौद्योगिकीया
कृषि या
बागवानी
विज्ञानया
औद्योगिक सूक्ष्म
जैव विज्ञान या
आविष विज्ञान
या जन स्वास्थ्य
या जीवन
विज्ञान या जैव
प्रौद्योगिकी या
फल और
वनस्पति
प्रौद्योगिकी या
प्राचागका या
खाद्य सुरक्षा और
गुणता आश्वासन
या खाद्य
प्राधिकरण द्वारा
समय-समय पर
अनुमोदित किसी
अन्य विषय में
स्नातकोत्तर
उपाधि
या
1
किसी मान्यता-
प्राप्त विश्व
विद्यालय या
संस्था से खाद्य
सुरक्षा और

गुणता आश्वासन	
में कम से कम	
एक वर्ष की	
अवधि का	
स्नातकोत्तर	
डिप्लोमा	
(उपयुक्त नाम	
से), जो खाद्य	
प्राधिकरण द्वारा	
7114 17 17 21 17	
समय-समय पर	
अनुमोदित हो।	
या	
खाद्य प्रौद्योगिकी	
या डेयरी	
प्रौद्योगिकी या	
जैव प्रौद्योगिकी	
या तेल	
प्रौद्योगिकी या	
71211141 41	
खाद्यप्रसंस्करण	
इंजीनियरी या	
खाद्य प्रसंस्करण	
प्रौद्योगिकी या	
फल और	
वनस्पति	
प्रौद्योगिकी या	
खाद्य सुरक्षा और	
गुणता आश्वासन	
गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक	
मा और्षा मा	
या औषध या	
पशु चिकित्सा	
विज्ञानया मत्स्य	
विज्ञान या पशु	
विज्ञान या खाद्य	
प्राधिकरण द्वारा	
समय-समय पर	
अनुमोदित किसी	
समय-समय पर अनुमोदित किसी	

		अन्य विषय मे	÷			
		स्नातक उपाधि				
		(जो चार वर्ष से	r			
		कम की अवधि	-			
		4/1 4/1 01410				
		की न हो)।				
		ग(ii) खाइ	ſ			
		विज्ञान य	-			
		मानक या सुरक्ष				
		के क्षेत्र में किर्स	T			
		प्रयोगशाला य	-			
		अनुसंधान संस्था				
		जगुत्तवाग सस्या	_			
		या वैज्ञानिक	9			
		संगठन मे	†			
		अनुसंधान और	-			
		विकास कार्य क	_			
		।वकास काय क				
		कम से कम	「 			
		ग्यारह वर्षों क	r			
		अनुभव, जिसमे				
		जिनुमय, ।जसम				
		से कम से कम	T			
		पाँच वर्षों क	-			
		अनुभव ग्रुप				
		लीडर य				
		पर्यवेक्षी पद पर				
		हो और खाद	-			
		विज्ञान से				
		संबंधित				
		कार्यक्रमों में कार्य	•			
		किया हो,जिनमे				
		आयोजन,				
			.			
		विकास और				
		समन्वयन कार्य	·			
		शामिल हो;				
		[300,000]				
		या				
 l .	L L		1	l l	L	

(घ)(i) उपर्युक्त
विषयों में से
किसी विषय में
ाक्सा विषय म
डॉक्टरेट की
उपाधि तथा
खाद्य विज्ञानया
मानकया सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओंया
के क्षेत्रों में
प्रयोगशालाओंया
अनुसंधान
अनुसंधान संस्थाओं या
वैज्ञानिक
वज्ञापक
संगठनों में कार्य
का नौ वर्षों का
अनुभव तथा इन
अनुभव तथा इन नौ वर्षों में से
कम से कम पाँच
वर्षों का अनुभव
ग्रप लीडर या
ग्रुप लीडर [ँ] या पर्यवेक्षी पद पर
हो और खाहा
हो और खाद्य विज्ञान से
संबंधित
कार्यक्रमों में कार्य
किया हो, जिनमें
आयोजन,
विकास और
समन्वयन कार्य
शामिल हो; और
(i) संबं
धित क्षेत्र में
प्रकाशित
अनुसंधान कार्य।
टिप्पण 1:

वांछित कुल
वांछित कुल अनुभव में से दो
अनुभव म स दा
विषा का अनुभव
वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई
भत्ते या समकक्ष
औद्योगिक
918 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
महंगाई भत्ते के
वेतनमान (जो
भी लागू हो) में
निचले वेतन
स्तर में हो तथा
स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में
ागणा वात्र म
कार्यरत
उम्मीदवारों के
मामलों में वे
पिछले दो वर्षों
से न्यूनतम
से न्यूनतम
तुलनात्मक
वार्षिक कंपनी
का खर्च ले रहे
हों, जिसके बारे
में निर्णय सक्षम
प्राधिकारी द्वारा
लिया जाएगा
और उसका
विज्ञापन में हर
144171 7 6
बार उल्लेख
किया जाएगा।
टिप्पण 2:
टिप्पण ् 2:
अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के
उम्मीदवारों के
मामले में
मामले में योग्यताओं में
सक्षम प्राधिकारी
\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2
के विवेकानुसार
छूट दी ँ जा
सकती है।
टिप्पण 3: चयन

	के किसी स्तर पर
	सक्षम प्राधिकारी
	को यह विश्वास
	हो जाने पर कि
	97 17 17
	अनुसूचित जातिया
	जातिया
	अनुसूचित जन
	अनुसूचित जन जाति के लिए
	आरक्षित
	रिक्तियों को
	भरने के लिए इन
	समदायों के
	भूगोधित अत्रभत
	समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले
	रिखन वाल
	उम्मीदवारों की
	पर्याप्त संख्या
	उपलब्ध होने की
	संभावना नहीं है,
	तो सक्षम
	प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के
	[समुदाया क
	उम्मीदवारा क
	लिए अनुभव संबंधी
	संबंधी
	योग्यताओं में
	अपने
	विवेकानुसार छूट
	दे सकता है।
	टिप्पण 4:
	उपर्यक्त शैक्षिक
	योग्यताओं एवं अनुभव के बारे
	अनुभव के बारे
	में निर्णय पद की
	कार्यात्मक
	भावारमण
	आवश्यकता के
	अनुसार लिया
	जाएगा, जिसका
	उल्लेख विज्ञापन
	V - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

		में हर बार किया			
		जाएगा।			

5. उप निदेशक	"44* (2018)"	साधारण केंद्र सेवा, समूह क, अननुसचिवीर	11 67 2,0	(रु ,700- 18,	40 वर्ष	विश्वविद्यालय स्नातक उपा अपेक्षानुसार मानव संसाधन् सतर्कता का व वर्षों का अनुभ वांछनीयः विश्वविद्यालय एम.वी.ए र्व समतुल्य योग्य (ख)मान्यता-प्र विश्वविद्यालय विधि स्नातक उपाधि तथा सरकारी या अनुसंधान विश्वविद्यालय क्षेत्र के उपक्रम में विधिक माम् अधिकारी के छह वर्षों का अ (ग)(i)मान्यताः विश्वविद्यालय रासायनिकी रासायनिकी रासायनिकी प्रौद्योगिकी या या खाद्य तेल प्र सूक्ष्म जैव वि	मान्यता-प्राप्त ा या संस्था से ता। या या प्ता प्ता या संस्था से की पूर्णकालिक किसी प्रतिष्ठित स्वायतशासी या संस्थान या या सार्वजनिक या विधिक कंपनी ले देखने या विधि रूप में कार्य का गनुभव। या संस्था से या जैव या खाद्य खाद्य विज्ञान एवं खाद्य विज्ञान एवं खाद्य एवं पोषण	दोवर्ष	(i) 60%प्रोत् द्वारा, ऐसा न सकने प्रतिनियुक्ति द्व अल्पकालिक संविदा भी : आमेलन द्वारा (ii) 40% र भर्ती द्वारा	न हो पर द्वारा द्वारा होतर्गत विआ हो पा द्वानि लेंने से टि व्य अपूर्ण लि वह सं जा उस् या अह	77,500) में देशकया सहायक कनीकी)या श्लेषकश्रेणी में धार पर नियुक्ति च वर्ष की सेवा। प्रणण 1: प्रोन्नित त्रता सूची अर्घ ता सुची अर्घ ते का प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची के संबंध में पनी अर्हक या पाव ति कर ली है, प्रोच ता स्वा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा से	खाद्य नियमित के बाद के लिए धेकारियों पद पर प्राप्त कर ति निर्देश किनिष्ठ ं,जिन्होंने न्निति के । रहा हो, कियों के अधे सी अर्हक अपेक्षित । के आधे वर्ष से, कम न एमे एसे व्यक्तियों	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iv) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।

बागवानी विज्ञान या औद्योगिक	पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर
सूक्ष्म जैव विज्ञान या आविष	ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में
विज्ञान या जन स्वास्थ्य या	प्रोन्नति के लिए अपनी
जीवन विज्ञान या जैव	परिवीक्षा की अवधि
प्रौद्योगिकी या फल और	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य	
सुरक्षा और गुणता आश्वासन या	(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प
खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-	कालिक संविदा सहित)या
समय पर अनुमोदित किसी अन्य	आमेलन के लिए:
विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	केंद्रीय सरकार या राज्य
	सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों की
या	सरकारोंया विश्विद्यालयोंया
	मान्यता-प्राप्त अनुसंधान
	संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर
किसी मान्यता-प्राप्त विश्व	उपक्रमों या अर्ध
विद्यालय या संस्था से खाद्य	
सुरक्षा और गुणता आश्वासन में	सरकारी,कानूनी या
कम से कम एक वर्ष की अवधि	स्वायतशासी संगठनों के ऐसे
का स्नातकोत्तर डिप्लोमा	अधिकारी:-
(उपयुक्त नाम से), जो खाद्य	(क)(i) जो मूल संवर्ग या
प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर	विभाग में समतुल्य पद
अनुमोदित हो।	पर नियमित आधार
	परधारण किया हुआ
या	हो;या
	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या
खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी	विभाग में वेतन स्तर
प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी	10या उसके समतुल्य पद
या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्य	पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की
प्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य	
प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल	नियमित सेवा की हो;या
और वनस्पति प्रौद्योगिकी या	(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या
खाद्य सुरक्षा और गुणता	विभाग में वेतन स्तर 8
आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या	या उसके समतुल्य पद
औषध या पशु चिकित्सा विज्ञान	पर नियुक्ति के बाद उस
या मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान	श्रेणी में छह वर्ष की
या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-	नियमित सेवा की हो;
समय पर अनुमोदित किसी अन्य	(ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती
विषय में स्नातक उपाधि (जो	के लिए विहित शैक्षिक
	यः । यद् । याह्य साम्रम

चार वर्ष से कम की अवधि की न	अर्हताएँ रखते हों।
हो); और	
ग(ii) खाद्य विज्ञान या मानक या	
सुरक्षा के क्षेत्र में किसी	
प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्था	
या वैज्ञानिक संगठन में	
अनुसंधान और विकास कार्य का	
कम से कम नौ वर्षों का अनुभव,	
जिसमें से कम से कम चार वर्षों	
का अनुभव ग्रुप लीडर या	
पर्यवेक्षी पद पर हो और खाद्य	
विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों में	
कार्य किया हो, जिनमें आयोजन,	
विकास और समन्वयन कार्य	
शामिल हो;	
या	
(घ)(i) उपर्युक्त विषयों में से	
किसी विषय में डॉक्टरेट की	
उपाधि तथा खाद्य विज्ञान या	
मानक या सुरक्षा के क्षेत्र में	
किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान	
संस्था या वैज्ञानिक संगठन में	
कार्य का सात वर्षों का अनुभव	
तथा इन सात वर्षों में से कम से	
कम चार वर्षों का अनुभव ग्रुप	
लीडर या पर्यवेक्षी पद पर हो	
और खाद्य विज्ञान संबंधी	
कार्यक्रमों में कार्य किया हो,	
जिसमें आयोजना, विकास और	
समन्वयन का कार्य शामिल हो;	
और	
"`	

(घ)(ii)संबंधित क्षेत्र में प्रकाशि अनुसंधान कार्य। वां छनीय : स्नातक अभिक्षम परीक्षण इंजीनियरी वैज्ञानिक और औद्योगि अनुसंधान परिषद् या भारर्त कृषि अनुसंधान परिषद्, रार्ष्ट्र योग्यता परीक्षा	ता ग क य	
टिप्पण 1: वांछित कुल अनुभ में से दो वर्षों का अनुभव केंद्र महंगाई भत्ते या समक औद्योगिक महंगाई भत्ते वेतनमान (जो भी लागू हो) निचले वेतन स्तर में हो त निजी क्षेत्र में कार्या उम्मीदवारों के मामलों में पिछले दो वर्षों से न्यूनत तुलनात्मक वार्षिक कंपनी खर्च ले रहे हों, जिसके बारे निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वा लिया जाएगा और उस विज्ञापन में हर बार उल्ले किया जाएगा।	य क्ष के में ग त वे म न न	
टिप्पण 2: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों योग्यताओं में सक्षम प्राधिका के विवेकानुसार छूट दी सकती है। टिप्पण 3: चयन के किसी स् पर सक्षम प्राधिकारी को य विश्वास हो जाने पर अनुसूचित जाति या अनुसूच्	में री ता ार ह	

देखने या विधि अधिकारी के रूप	से अधिक से या दो वर्ष से, (iv) अध्यक्ष, भारतीय
में कार्य का तीन वर्षों का	इनमें से जो भी कम हो, कम न खाद्य सुरक्षा और
अनुभव।	
	हा और उन्होंने अपने एस
	। काम ७० व्या स्था । व
टिप्पण 1 : वांछित कुल अनुभव	सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या उपयुक्त स्तर का
में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय	पुत्र मेना पुरुषे ही पूरी कर एक बाहरा
महंगाई भत्ते या समकक्ष	1 19004 - 4640 1
औद्योगिक महंगाई भत्ते के	ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में
	प्रोन्नति के लिए अपनी
वेतनमान् (जो भी लागूहो) में	परिवीक्षा की अवधि
निचले वेतन स्तर में हो तथा	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
निजी क्षेत्र में कार्यरत	
उम्मीदवारों के मामलों में वे	(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प
पिछले दो वर्षों से न्यूनतम	कालिक संविदा सहित)या
तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का	आमेलन के लिए:
खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में	केंद्रीय सरकार या राज्य
निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा	सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या
लिया जाएगा और उसका	विश्वविद्यालयोंया मान्यता-
विज्ञापन में हर बार उल्लेख	प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया
किया जाएगा।	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या
(1041.411.5.11)	
टिप्पण 2: अन्यथा सुयोग्य	अर्ध सरकारी,कानूनी या
उम्मीदवारों के मामलों में	स्वायतशासी संगठनों के ऐसे
योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी	अधिकारी:-
के विवेकानुसार छूट दी जा	(क)(i) जो मूल संवर्ग या
सकती है।	विभाग में समत्त्य पद
	S I
टिप्पण 3: चयन के किसी स्तर	पर नियमित आधार
पर सक्षम प्राधिकारी को यह	परधारण किया हुआ
विश्वास हो जाने पर कि	हो;या
अनुसूचित जाति या अनुसूचित	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या
जन जाति के लिए आरक्षित	विभाग में वेतन स्तर 8या
रिक्तियों को भरने के लिए इन	
समुदायों के अपेक्षित अनुभव	उसके समतुल्य पद पर
रखने वाले उम्मीदवारों की	नियुक्ति के बाद उस श्रेणी
पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की	मेंदो वर्ष की नियमित
`	सेवा की हो;या
संभावना नहीं है, तो सक्षम	(iii)जिन्होंने मूल संवर्ग या
प्राधिकारी इन समुदायों के	विभाग में वेतन स्तर 7
उम्मीदवारों के लिए अनुभव	
	या उसके समतुल्य पद

						संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।				पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;		
7. प्रशासनिक	"25*	साधारण केंद्रीय	वेतन स्तर 8	चयन	30	(क)किसी मान्यता-प्राप्त	नहीं	2 वर्ष	(i) 90%प्रोन्नति	के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों। (क)प्रोन्नति के लिए:	चयन समिति जिसमें	लागू
अधिकारी	(2018)"	सेवा, समूह ख, अननुसचिवीय	(रु. 47,600- 1,51, 100)		वर्ष	विश्वविद्यालयया संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता का कार्य देखने का तीनवर्षों का अनुभव। बांछनीय: मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि या एमबीए (कार्मिक,मानव संसाधान प्रबंधन या वित्त) में एम.बी.ए उपाधिया सनदी लेखाकार या कंपनी सेक्रेटरी या आईसीडब्ल्यूए। टिप्पण 1: वांछित कुल अनुभव में से दो वर्षों का अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या समकक्ष औद्योगिक महंगाई भत्ते के वेतनमान (जो भी लागू हो) में निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत			द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 10% सीधी भर्ती द्वारा	स्तर6 (रु. 35,400- 1,12,400) में सहायक की श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ —	नहीं होता।

उम्मीदवारों के मामलों में वे	सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या स ^{दर}	स्य
पिछले दो वर्षों से न्यूनतम	पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर	
तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का	ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	
खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में	प्रोन्नति के लिए अपनी	
निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा	परिवीक्षा की अवधि	
लिया जाएगा और उसका	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
विज्ञापन में हर बार उल्लेख		
किया जाएगा।	(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प	
	कालिक संविदा सहित)या	
टिप्पण 2 : अन्यथा सुयोग्य	आमेलन के लिए:	
उम्मीदवारों के मामले में	केंद्रीय सरकार या राज्य	
योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी	सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या	
के विवेकानुसार छूट दी जा	विश्वविद्यालयोंया मान्यता-	
सकती है।	प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया	
टिप्पण 3: चयन के किसी स्तर	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या	
पर सक्षम प्राधिकारी को यह	अर्ध सरकारी,कानूनी या	
विश्वास हो जाने पर कि	स्वायतशासी संगठनों के ऐसे	
अनुसूचित जातिया अनुसूचित	अधिकारी:-	
जनुजात के लिए आरक्षित		
रिक्तियों को भरने के लिए इन	(क)(i) जो मूल संवर्ग या	
समुदायों के अपेक्षित अनुभव	विभाग में समतुल्य पद	
रखने वाले उम्मीदवारों की	पर नियमित आधार	
पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की	परधारण किया हो;या	
संभावना नहीं है, तो सक्षम	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या	
प्राधिकारी इन समुदायों के	विभाग में वेतन स्तर 7 या	
उम्मीदवारों के लिए अनुभव	उसके समतुल्य पद पर	
संबंधी योग्यताओं में अपने	नियुक्ति के बाद उस श्रेणी	
विवेकानुसार छूट दे सकता है।	में दो वर्ष की नियमित	
। अनुनगपुतार श्लुट प तनाता ह	सेवा की हो;या	
टिप्पण 4 : उपर्युक्त शैक्षिक	(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या	
योग्यताओं एवं अनुभव के बारे	विभाग में वेतन स्तर 6	
में निर्णय पद की	या उसके समतुल्य पद	
कार्यात्मकआवश्यकता के	पर नियुक्ति के बाद उस	
अनुसार लिया जाएगा, जिसका	श्रेणी मेंछह वर्ष की	
उल्लेख विज्ञापन में हर बार	नियमित सेवा की हो;	
किया जाएगा।	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	(ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती	

										के लिए विहित शैक्षिक		
										अर्हताएँ रखते हों।		
8. सहायक	"76* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 6 (रु. 35,400- 1,12, 400)	चयन	30 ati	किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालयया संस्था से स्नातक की उपाधि; टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।	नहीं	2 वर्ष	(i) 10%प्रोन्नित द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 90% सीधी भर्ती द्वारा	(क)प्रोन्नित के लिए: स्तर4(र. 25,500-81,100) में कनिष्ठ सहायक (श्रेणी -1) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ख) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन के लिए: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयोंया मान्यता-	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ — सदस्य	लागू नहीं होता।

										प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पिल्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अिधकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 4 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदस वर्ष की नियमित सेवा की हो;और (iii) जिन्हें पद की अपेक्षा के अनुसार प्रशासन, मानव संसाधान विकास,या या और सतर्कता संबंधी मामलों में तीन वर्षों का अनुभव हो। (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखता हो।		
9. कनिष्ठ सहायक (श्रेणी -1)	"12* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 04 (रु. 25,500- 81,100)	चयन	25 av	किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयसे बारहवीं पास; टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।	नहीं	2 वर्ष	(i) 10%प्रोन्नित द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा। (ii) 90% सीधी	प्रोन्नित के लिए: स्तर 2 (रु.19,900-63,200) में कनिष्ठ सहायकश्रेणी -II के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और	लागू नहीं होता।

										या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	प्राधिकरण- सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	
11. सहायक निदेशक (राजभाषा)	"1* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क,अननुसचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56,100- 1,77,500)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं 	2 वर्ष	100%,प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा।	प्रोन्गित के लिए: स्तर6(रु. 35,400- 1,12,400) में हिंदी अनुवादक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या सिंहत,जिन्होंने ऐसी अर्हक या सिंहत,जिन्होंने ऐसी अर्हक या सिंहत,जिन्होंने ऐसी अर्हक या सिंहत,जिन्होंने ऐसी अर्हक या	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ —	लागू नहीं होता।

पात्रवा नेवा पहले ही पूरी कर संस्था सी है, असारी उचकर तेथा में			
ती है, अपनी उक्कार खेगी में प्रोतनीत के लिए अपनी पीलीता की अवधि सकलतापुकंग पूर्ण नहीं हो। (अ) प्रतिनिम्मुक (अवभ अधिक के विश्व अधिक के विश्व महिल्ला का विश्व कि व्यव महिल्ला का विश्व के विश्व महिल्ला का विश्व कि व्यव महिल्ला का विश्व के विश्व प्रकारी का विश्व कि विश्व के विश्व महिल्ला			पात्रता सेवा पहले ही परी कर सदस्य
प्रोतनिक के लिए आपनी पार्वक्रीया की अविधि पायकतापूर्वक पूरी कर ती हो। (ख) प्रतिनिक्कि (जन्म कालिक संविध्य सहिए)मा आगेतन के लिए: केंद्रीय तनकार पा राज्य सरकारीमा मेंच राज्य अंद्री या विश्वविद्यालयों या भाग्यान- प्राप्त अपूर्वधार मेंच्या या प्राप्त अपूर्वधार मेंच्या या अवं तनकारी, नागृती या स्वाप्तकारीमा मेंच्या के एक अधिकारी- (क)() जो भूत संबर्ध या विभाग में निवमित आधार पर साइत्य पद धारण निवाह के छो;या (श) किन्होंने पूल संबर्ध या विभाग में वेतन स्तर त्या पद पद पर निवृक्तिक के बाद उम्म श्रेणी सेतीक के जाद पर			
परिवीक्षा की अविधि सफलतायुर्वक सूरी कर ली हो। (ख) प्रतिनिद्धि (कस्य कालिक सीविया चिहित)मा कासेनत के लिए: केंद्रीय सरकार वा राज्य सफलारोंचा संव राज्य अंतों या विश्वविद्यालयों या मानवान- प्राप्त अनुसंप्रान संस्थाओं या परिलय सेक्टर उपक्रमीं या परिलय सेक्टर उपक्रमीं या वर्षा अर्थ सरकारी, नामूनी वा स्थायतथाली संस्वरों के ऐसे अधिकारी: (क)() जो मूल संवर्ष या विद्यान में निवसित आधार पर साहुत्य पद धारण किया हुआ हो,या (श) जिल्होंने मूल संवर्ष या विद्यान में नक्त करत 8 या द्यारण मामूल्य पद पर नियुक्ति के बाद इस अधी में संवर्ष की निवसित सेवा की हो;या (श) जिल्होंने मूल संवर्ष या विद्यान में वतन तरर 7 या द्यारण मामूल्य पद पर नियुक्ति के बाद इस अधी में संवर्ष की निवसित सेवा की हो;या (श) जिल्होंने मूल संवर्ष या विद्यान में वतन तरर 7 या द्यारण मामूल्य पद पर नियुक्ति के बाद इस अधी में सीनवर्ष की निवसित स्वा से हो;या (ल) जिल्होंने मूल संवर्ष या विद्यान में स्वत करर 6 या विद्यान में स्वत करर 6 या			
सफलतायुर्क पूरी कर जी हैं। (ख) प्रतिनिद्धि (अस्य कार्किक संविदा सहित)मा आभेतन के लिए: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंचा केंप राज्य अंत्रों वा विश्वविद्यालयों या मान्यता- प्राप्त अनुपंधान संस्थाओं या पश्चिक संस्य उक्करों वा पश्चिक संस्य उक्करों वा अर्थ सरकारी, सानुती वा स्वायतआसी संस्यतों के ऐसे अधिकारी:- (क)() जो पूल संबर्ध वा विभाव में निवसित आधार पर साकुश्य पर धारण किया हुआ हो/या (ii) विन्होंने मूल संवर्ध वा विश्वाम में बेनत स्वर 8 वा उसके नामगुल्य पर वर निवसित के बाद उन्न भेणी सेंदीवर्ध की निवसित सेवा की हो/या (iii) विन्होंने मूल संवर्ध वा विभाव में बेनत स्वर २ वा उसके नामगुल्य पर वर निवसित के बाद उन्न भेणी सेंदीवर्ध की निवसित सेवा की हो/या (iii) विन्होंने मूल संवर्ध वा विभाव में बेनत स्वर २ वा उसके नामगुल्य पर वर निवसित के बाद उन्न भोणी सेंदीवर्षों की निवसित सेवा की हो/या (श) विन्होंने मूल संवर्ध या विभाव में बेनत स्वर २ वा विभाव में बेनत स्वर १ वा विभाव में बेनत स्वर ६ वा विभाव में बेनत स्वर १ वा विभाव में बेनत स्वर ६ वा विभाव में बेनत स्वर ६ वा			
(ख) प्रतिनियुक्ति (बल्प कार्विक संविदा सहित)या आक्रित के सिंदे सहित)या आक्रित के सिंदे सहित)या आक्रित के सिंद सहित)या आक्रित के सिंद सहित।या साम त्या पाण्य को या मान्यता- प्राप्त अनुसंभाग संस्थाओं या पिलल के केक्टर राजकर्मी या आर्थ पर कार्यकर्मी संस्कृती के ऐसे अधिकारी- (क)(1) जो सूल संबर्ध या विभाग से निवसिमा आदार पर पाइत्य पर धारण किया हुआ हो,या (1) जिन्होंने मूल संबर्ध या विभाग से बेतन स्वर 8 सा उजके समुख्य पर पर निव्यक्ति के सात उस अध्य पर पर निव्यक्ति के सात उस अध्य जिला है। या विभाग से बेतन स्वर 8 सा उजके समुख्य पर पर निव्यक्ति के सात उस अधी वेतीयत सेवा की तियमित सेवा की त्राप्त पर पर निव्यक्ति के सात उस अधी वेतीयत सेता की त्राप्त पर पर विव्यक्ति सेवा की त्राप्त पर पर (विव्यक्ति सुल संवर्ध का विभाग से वेतन स्वर रवा उतके समुख्य पर पर (विव्यक्ति सुल संवर्ध का विभाग से वेतन स्वर रवा उतके समुख्य पर पर (विव्यक्ति सुल संवर्ध का विभाग से वेतन स्वर रवा अधी वेतीयवा सेता होर्यों सुल संवर्ध का विभाग से वेतन स्वर रवा स्वर स्वर धा विभाग से वेतन स्वर रवा स्वर सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा			
 कालिक संविदा सहिए)या अमेतन के तिरः कंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोगा संघ राज्य धेयों या विश्वविद्यालयों या गान्यता- प्राप्त अनुसंघान संच्याओं या पर्यक्रक सेक्टर उपक्रमी या अधं सरकारी, सम्पूर्ण या व्यायनगरी संघठनों के ऐसे ऑफ्रेस्सरी:- (१३)() जो सूल संवर्ग या विकास से नियमित आधार पर साकृत्य पद आरण विकास से विवासत आधार पर साकृत्य पद आरण विकास से वेतन स्वर 8 या उसके सम्बुख्य पद पर निवृक्ति के बाद उस थेणी मेदोबर्ग की निवासित केवा की हो:्या ((ii)) जिल्होंने मूल संवर्ग या विकास में वेतन स्वर 7 या उसके सम्बुख्य पद पर निवृक्ति के बाद उस थेणी मेदोबर्ग की निवासित केवा की हो:्या ((iii)) जिल्होंने मूल संवर्ग या विकास में वेतन स्वर 7 या उसके सम्बुख्य पद पर निवृक्ति के बाद उस थेणी मेतीनवर्ग की निवासित नेवा निवासित निवासित नेवा नि			सफलतापूर्वक पूरा कर ला हा।
 कालिक संविदा सहिए)या आमेलन के लिए: केट्रीय तरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य शेवों या विश्वविद्यालयों या पाल्या- प्राप्त अनुसंधान संघ्याओं या पिलेक सेक्टर उपकर्ती या अर्थ सरकारी, कालृती या स्वायव्यासी संगठनों के ऐसे अधिकारी- (क)() जो पूल संवर्ण या विश्वास में स्वर्ण या विश्वास में स्वर्ण प्रता सुत्र संवर्ण या विश्वास में तेत्र कर या उसके समतुल्य पर पर सिम्तुल्य की विश्वास की हो;या (ii) जिल्ह्रीन मूल संवर्ण या विश्वास में तेत्र कर राण उसके समतुल्य पर पर सिम्तुल्य की निवासित लेखा की हो;या (iii) जिल्ह्रीन मूल संवर्ण या विश्वास में तेत्र कर राण उसके समतुल्य पर पर सिम्तुल्य का समतुल्य पर पर सिम्तुल्य की निवासित सेवा तिश्वास मी तीत्र मेत्र की निवासित सेवा की हो;या (iii) जिल्ह्रीन मूल संवर्ण या विश्वास मी तीवासित सेवा की हो;या (iv) जिल्ह्रीन मूल संवर्ण या विश्वास में तेत्र कर राण संवर्ण या विश्वास मी सेवत स्वर हिम्तुल्य में तिवासित सेवा की हो;या (iv) जिल्ह्रीन मूल संवर्ण या विश्वास में तेत्र स्वर में मूल संवर्ण या विश्वास में में तेत्र स्वर में मूल संवर्ण या मिमा में वेतन स्वर हमा या मिमा में वेत स्वर हमा या मिमा में वेत स्वर हमा स्वर हमा स्वर स्वर स्वर में या मिमा में वेत स्वर हमा स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर			(ख) प्रतिनियक्ति (अल्प
श्रीम सत्कार या राज्य स्वाप्ता मंत्र पाज्य शेजों या विश्वविद्यालयों या मान्यता- प्राप्त अनुपंधान संस्थाओं या पिल्लक सेक्टर उपक्रमों या पिल्लक सेकटर उपक्रमों या पिल्लक सेकटर उपक्रमों या अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वायववासी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ष या विश्वास अध्याप पर सादृष्य पट धारण किया हुआ हो;या (ii) विन्होंने मूल संवर्ष या विश्वास विश्वास या विभाग में वेतन स्वर 8 या उत्तक नमसुल्य पट पर तिवृक्ति के बाद उस शेणी मेंदोवर्ष की निवसित सेवा की हो;या (iii) विन्होंने मूल संवर्ष या विभाग में वेतन स्वर 7 या उसके नमसुल्य पट पर तिवृक्ति के बाद उस शेणी मेंदीवर्ष की निवसित सेवा की हो;या (iii) विन्होंने मूल संवर्ष या विभाग में वेतन स्वर 7 या उसके ममसुल्य पट पर तिवृक्ति के बाद उस शेणी मेंदीवर्ष की विश्विस हो। या विभाग में वेतन स्वर 7 या उसके मानुल्य पट पर तिवृक्ति के बाद उस शेणी मेंदीवर्ष की विश्विस हो। या विभाग में वेतन स्वर 6 या विश्विस हो। या विश्विस हो			कालिक संविदा सहित)या
केद्रीय सरकार या राज्य स्वा या स्वाप्ता प्राप्त केता या विव्यविद्या या साम्याना प्राप्त केता या सिव्यविद्या या साम्याना प्राप्त अनुसंधान संन्याओं या पश्चिक सेक्टर उगक्रमों या अर्थ सरकारी,कान्ती या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी (क)() को मूल संवर्ष या विभाग में नियमित आधार पर साइश्य पद धारण क्या हुत्या (आ) जिन्होंने मूल संवर्ष या विभाग में वित्यविद्य हुत्या (आ) जिन्होंने मूल संवर्ष या विभाग में वेतन स्वर 8 या उनके तमसुख्य पद धारण क्या उनके तमसुख्य पर पर तिनुक्ति के बाद उस श्रेणी सेशंबर्ष की नियमित सेवा की हित्या (आ) जिन्होंने मूल संवर्ष या विभाग से वेतन स्वर 7 या उनके समझुख्य पर पर पर तिनुक्ति के बाद उस श्रेणी सेशंवर्ष की नियमित सेवा की हित्या (आ) जिन्होंने मूल संवर्ष या विभाग से वेतन स्वर 7 या उनके समझुख्य पर पर पर तिनुक्ति के बाद उस श्रेणी सेसंतिवर्ष की नियमित सेवा की हीत्या (अ) जिन्होंने मूल संवर्ष या विभाग से वेतन स्वर 6 या विभाग से वेतन स्वर 8 या विभाग से वेतन स्वर 6 या व			आमेलन के लिए:
सरकारोंचा संघ पाज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मास्यता- प्राप्त अनुत्यान संस्थाओं या पश्चिक सेक्टर उपक्रमों या अर्थ सरकारी,कानूनी या स्वायतथासी संग्रतों के ऐसे अधिकारी:- (क)(0) जो सूल संबर्ग या विभाग में निवसित आधार घर सादृश्य पव धारण किया हुआ हो;या (10) जिल्होंने मूल संबर्ग या विभाग सें वेतन स्तर 8 या उसके समतुत्य पद घर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी सेंदोर्या की तिश्वतित सेवा की हो;या (10) बिल्होंने मूल संबर्ग या विभाग सें वेतन स्तर 7 या उसके समतुत्य पद घर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी सेंतीरवर्ण की तिश्वतित सेवा की हो;या (10) बिल्होंने मूल संबर्ग या विभाग सें वेतन स्तर 7 या उसके समतुत्य पद घर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी सेतीनवर्ण की निवसित सेवा की हो;या (10) बिल्होंने मूल संबर्ग या			
विश्वविद्यालयों या मान्यता- प्राप्त अनुवंधान संस्थाओं या परिकाल सेक्टर उपक्रमों या अर्थ सरकारी,कान्ती या स्वायताशारी संग्ठतों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संबर्ग या विभाग में निवमित आधार पर सादृष्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिल्होंने मूल संबर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतृत्य पद पर नितृत्ति के बाद उस केणी मेंदीवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिल्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतृत्य पद पर नितृत्ति के बाद उस केणी मेंतीवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिल्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पविकत सेक्टर उपक्रमी या कर्ष सरकार[कानून] या स्वावतशासी संगठनों के ऐसे अधिकार[- (फ)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में निवसित आधार पर सादृश्य पद धारण किवा हुआ हो,या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बेतन स्तर 8 या उनके समतृत्य पद पर नियसिक के बाद उस श्रेणी मेंशोवर्ग की निवसित सेवा की हो,या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बेतन स्तर 7 या उनके समतृत्य पद पर नियसिक के बाद उस श्रेणी मेंतावर्ग की निवसित सेवा विभाग में वेतन स्तर 7 या उनके समतृत्य पद पर नियसिक के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ग की निवसित सेवा की हो,या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या (विभाग में वेतन स्तर 6 या			
पळिलक सेक्टर उपक्रमों या अर्थ सरकारी,कानुती या स्वायाशमां संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संबर्ग या विभाग में नियमित आधार पर साहश्य पट धारण किया हुआ हो;या (ii) किन्होंने मूल संबर्ग या विभाग में वेतन स्वर 8 या उसके समतुल्य पट पर नियृक्ति के बाद उस थेणी मेंदोबर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iii) किन्होंने मूल संबर्ग या विभाग में वेतन स्वर 7 या उसके समतुल्य पट पर नियृक्ति के बाद उस थेणी मेंतीनवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iii) किन्होंने मूल संबर्ग या विभाग में वेतन स्वर 7 या उसके समतुल्य पट पर नियृक्ति के बाद उस थेणी मेंतीनवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iv) किन्होंने मूल संबर्ग या (विभाग में वेतन स्वर 6 या			
अर्थ सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(1) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ हो,या (11) जिल्होंने मूल संवर्ग या विभाग से वेतन स्तर 8 या उसके समतृत्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मंदावर्ष की नियमित सेवा की हो,या (11) जिल्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतृत्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मंतिवर्ष की नियमित सेवा विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतृत्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मंतिवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (10) जिल्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6वा			
स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)() जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिल्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतृत्य पद पर नियुक्ति के वाद उस श्रेणी मेंदोवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिल्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतृत्य पद पर नियुक्ति के वाद उस श्रेणी मेंतीवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिल्होंने मूल संवर्ग या सेवा की हो;या (iv) जिल्होंने मूल संवर्ग या			
अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बेतन स्तर 8 या उसके समतृल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी भेदोवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बेतन स्तर 7या उसके समतृल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी भेतीनवर्ग की नियमित सेवा जैसे समतृल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी भेतीनवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बेतन स्तर 6या			
(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर साइश्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोबर्ग के नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीन सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ग की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			स्वायतशासी संगठनों के ऐसे
विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुष्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या उसके समतुष्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या			अधिकारी:-
विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुष्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या उसके समतुष्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या			(क)(i) जो मल संवर्ग या
आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ण की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ण की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
धारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संबर्ग या विभाग में बेतन स्तर 8 या उनके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संबर्ग या विभाग में बेतन स्तर 7या उनके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संबर्ग या विभाग में बेतन स्तर 6या			
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 8 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेदोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेतीनवर्ण की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
विभाग में बेतन स्तर 8 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में बेतन स्तर 6या			
उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंदोवर्ण की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ण की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
मेंद्रोवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
की हो;या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या			
(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			मेंदोवर्ष की नियमित सेवा
(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			की हो;या
विभाग में वेतन स्तर 7या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या
उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
नियुक्ति के बाद उस श्रेणी मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
मेंतीनवर्ष की नियमित सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
सेवा की हो;या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6या			
विभाग में वेतन स्तर 6या			
			(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या
उसके समतल्य पद पर			विभाग में वेतन स्तर 6या
			उसके समतुल्य पद पर

शिविक के बाद पर अपी से साजवर्ग की नियमित सेवा की हो,और (ख) पिनाविकित श्रीक्षक योग्या और अनुभव खले हों? ही तर पर जीवी अनिवास या खलीन विवास परीक्षा के नामका के क्या में राजवे हुए किसी नारवा-प्राप्त विकास परीक्षा के नामका के क्या में राजवे हुए किसी नारवा-प्राप्त विकास परीक्षा के नामका के क्या में राजवे हुए किसी नारवा-प्राप्त विकास पर हिंदी से लावार्गाताल उपायि; या विकास पर हिंदी अनिवास या चामका विवास या परीक्षा के नामका के क्या में राजवे हुए विश्ली मानवा-प्राप्ता विकास पर अंग्रेजी से नावार्गा-प्राप्ता विकास पर अंग्रेजी अनिवास या परीक्षा अर्थवा में हुई या संग्रेजी के अनावा निर्मा या अंग्रेजी के अनावा निर्मा या अंग्रेजी के अनावा निर्मा या संग्रेजी का स्थापक के सामका निर्मा या समित विवास या परीक्षा के नामका निर्मा या चानका परीक्षा के नामका निर्मा या चानका परीक्षा के नामका निर्मा या चानका परीक्षा के नामका नामका					
संशादकों की निवधीय शेवा की ही होंगे (ह) निम्मिलिकित लेकिन योगना और अनुभव रचने हों? हियी जान रम अंग्रेली अगिवामों या चवानित विषय ना परिकास के माल्यम के क्या में रचले हुए गिनी माल्यम माण विश्वविद्यालय ने हिंदी में स्वातकों जा रमिला विषय ना परिकास हियी जान रमिला ने हिंदी भी नाया हियी जान रमिला ने हिंदी अगिवामों या चवानित विषय ना परिकास के माल्यम के क्या में रचले हुए गिनी माल्यम माण विश्वविद्यालय ने अंग्रेली में स्वातकों जा रमिला विश्वविद्यालय ने अंग्रेली में स्वातकों जा रमिला हियी हितर रम अंग्रेली विश्वविद्यालय ने अंग्रेली में स्वातकों जा रमिला विश्वविद्यालय ने अंग्रेली विश्वविद्यालय ने अंग्रेली विश्वविद्यालय ने स्वेति विश्वविद्यालय ने स्वेति विश्वविद्यालय ने स्वेति विश्वविद्यालय ने हिंदी या अंग्रेली के अलावा किसी भी विषय में हिंदी जिन्सामें या चारित विश्वविद्यालय में स्वातकों कर स्वातम के स्वी हुए किसी माल्यमा में				नियक्ति के बाद उस श्रेणी	
सेवा की हो:और (हा) निस्तिक शैक्षिक योगवा और अनुस्वर व्यवे ही: हिंगी क्वार पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विचय ना परीक्षा के माध्यम के पर केवली हिंगी मानवात-आप्त कि माध्यम के पर में करते हुए किसी मानवात-आप्त विवार ना परीक्षा के माध्यम के पर में करते हुए किसी मानवात-आप्त विवार ना परीक्षा से माध्यम के क्या में करते हुए किसी मावात-आप्त विवार ना परीक्षा के माध्यम के रूप में करते हुए विसी मापता-आप्त विवार ना परीक्षा के माध्यम के रूप में करते हुए किसी माध्यम-आप्त विवार ना परीक्षा के स्वार केवल केवल केवल केवल केवल केवल केवल केवल					i
(ख) निम्तानिशित श्रीठेक योगदा शि अनुपत्र रखते ही: डिजी प्रता पर अंजी अतिवासं या व्यक्तित विषय या परिका के माध्यम के रूप में खते हुए किसी मानवाना, जाण किसी हिसी मानवाना, जाण किसी विषय से परिका में स्वान हुए किसी मानवाना, जाण किसी विषय से परिका में स्वान हुए किसी मानवाना, जाण है: शा डिजी स्तर पर हिंदी अनिवासं या च्यक्ति हुए किसी मानवान, प्राप्त है माध्यम के रूप में पखते हुए किसी मानवान, प्राप्त विवयविद्यालय से अंजेजी में स्वातकीत्तर उपाधि; शा डिजी स्तर पर अंजेजी अतिवासं या परिका के रूप में स्वातकीत्तर उपाधि; शा डिजी स्तर पर अंजेजी अतिवासं या परिका के रूप में स्वातकीत विषय या परिका के रूप में स्वातकीत विषय या परिका के रूप में स्वातकीत विषय या परिका के रूप में स्वातकीत से हिंदी या अंजेजी के अत्यादा हिसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्वाति विषय या परिका के माध्यम से रूप में स्वाति विषय या परिका के माध्यम से रूप में स्वाति विषय या परिका के माध्यम से रूप में स्वति हुए किसी माच्यात आप विषय से परिका के माध्यम से रूप में स्वति हुए किसी माच्यात आप विषय से परिका के माध्यम से रूप में स्वति हुए किसी माच्यात स्वाप विषय से परिका के माध्यम से रूप में स्वति हुए किसी माच्यात स्वाप विषय से हिंदी या अंजेजी के अववादा किसी जी विषय में अंजेजी से माध्यम से हिंदी या अंजेजी के अववादा किसी जी विषय में अंजेजी माध्यम से हिंदी या अंजेजी के अववादा किसी जी विषय में अंजेजी माध्यम से					
गोगन्या और अनुवाद रखते हों- हिंद्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या परनित विषय या परीक्षा के नाध्यम के रूप पे पढ़ते हुए किसी माग्यता-प्राप्त विवयिव्यालय से हिंदी में स्मातकोत्तर उपपि; या हिंगी स्तर पर हिंदी अनिवार्य या परनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विवयिव्यालय में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपपि; या हिंगी स्तर पर अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपपि; या हिंगी स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या परीक्षा अश्रियार्थ या परीक्षा अश्रियार्थ या परीक्षा अश्रियार्थ या परीक्षा विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में स्वते हुए हिंगी शिवार्य में हिंगी पायात-गण्त विवयविव्यालय में हिंगी विवयव में स्त्रेजी स्वातकोत्तर उपपि; या हिंगी स्तर पर हिंदी अनिवार्य या परीक्षा के माध्यम में स्वते हुए किसी मान्यत-गण्ण विश्वविद्यालय में हिंदी पा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विवयव में अंग्रेजी माथ्यम में				*	
हों- दिडी स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्ग या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के कण में रखते हुए किली माध्यात्रापत विकारविवालय से हिंदी में स्नातकात उपाधि; या दिजी तत्तर पर हिंदी अनिवार्थ या चयनित विषय या परीक्षा के साध्यम के कण में रखते हुए किली माध्यात्र के कण में रखते हुए किली माध्यात्र में स्वातकीत्र उपाधि; या दिजी स्तर पर अंग्रेजी में स्नातकीत्र उपाधि; या दिजी स्तर पर अंग्रेजी में स्नातकीत्र उपाधि; या दिजी स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या परीक्षा के माध्यम के कण में स्वात हुए किसी माध्यात्रापत्र विकारविवालय से हिंदी या स्वातकीत्र उपाधि; या दिवालय स्वात हुए किसी माध्यात्र पार्थिता के माध्यम से कण में रखते हुए किसी माध्यात्र पार्थिता विकारविवालय से दिवी वा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विवालय में अंग्रेजी माध्यम से					
विद्यी तरार पर अंग्रीजी अनिवार्य या चयनित विचय या परिध्या के स्थाप्टम के रूप में रखते हुए किसी मान्वता-प्याप्त विश्वविद्यास्त्र में हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि; या विद्यी तरार पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परिधा के साध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्वता-प्राप्त विश्वविद्यास्त्र में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; या विश्वविद्यास्त्र में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; या विश्वविद्यास्त्र में अंग्रेजी अनिवार्य या परीधा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्वता-प्राप्त विश्वविद्यास्त्र में हिंदी प्राप्त या परीधा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्वता-प्राप्त विश्वविद्यास्त्र में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या विश्वविद्यास्त्र में हिंदी भाष्ट्रम से स्नातकोत्तर उपाधि; या विश्वविद्यास्त्र में हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीधा के साध्यम के रूप में रखते हुए वित्री मान्वता-प्राप्त विश्वविद्यास्त्र में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम ये अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम ये अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम ये					
या चवनित विषय या परिवा के माध्यम के में रखते हुए िनती साम्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी सानाकरोलार उपाधि; या विश्वी स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चवनित विषय या परिवा के माध्यम के एण में रखते हुए िनती माच्यत-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से मानाकरी-पाए विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से मानाकरी-पाए विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या चरित विषय या परिवा या परिवा ते से स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चरित विषय या परिवा विश्वविद्यालय से हुई से पाय विश्वविद्यालय से हुई से माध्यम से स्नातकरेतालय उपाधि; या विश्वविद्यालय से हुई से माध्यम से स्नातकर उपाधि; या विश्वविद्यालय से हुई से माध्यम से स्नातकर प्राप्ति; या विश्वविद्यालय से हुई से सार्य परिवा के माध्यम से स्नातकर प्राप्ति; विषय या परिवा के माध्यम से हुई से सार्य परिवा के माध्यम से हुई से सार्य परिवा के माध्यम से हुई से सार्य परिवा के साम्यवा-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी					
के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मास्यान्यापत विश्वविद्यालय में हिंदी में स्नावकोलार उपाधि; या विद्या स्वरूप परिदेशी अनिवार्य वा चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मास्यतान्यापत विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में स्नावकोलार उपाधि; या विद्या स्वरूप पर अंग्रेजी में स्नावकोलार उपाधि; या विद्या स्वरूप पर अंग्रेजी अनिवार्य या परीक्षा के साध्यम के रूप में रखते हुए किसी मास्यान क्या में रखते हुए किसी मास्यान के रूप में रखते हुए किसी मास्यान में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा मिसी भी विषय में अंग्रेजी मास्यान में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में मास्यान में में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में मास्यान में मास्यान में में स्वर्वा अंग्रेजी मास्यान में में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में मास्यान में मास्यान में में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में में मास्यान में मास्यान में स्वर्वा हुए किसी मास्यान में मास्यान मास्					i
किसी माणवा-प्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी में स्मानकोलत उपाधि; या डिग्री स्वर पर हिंदी अनिवार्य या परिक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी माण्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में स्नातकोलतर उपाधि; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी में स्नातकोलतर उपाधि; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या परिक्षा के रूप में स्वातकोलतर उपाधि; या परिकार माध्यम के रूप में स्वतं हुए किसी मास्वता-प्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम में स्नातकोलतर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य हिंगी स्वाप्तम में स्नातकोलतर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या परिक्षा के माध्यम के रूप में रस्ता हुए किसी मास्वयम वे रूप हिंदी आनवार्य या परिक्षा के माध्यम के रूप में रस्ता हुए किसी मास्वयम में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में					
विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकांत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी माय्यता-पाप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकांतर उपाधि; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी माय्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलात भी विषय में हिंदी या अंग्रेजी के अलात भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकांतर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या प्याप्तिकां के स्थापित हुए किसी माय्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकांतर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या च्यानित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप ने रखते हुए किसी माय्यता-पाप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					i
स्नातकोलर उपाधि; या हिंदी स्तर पर हिंदी अतिवार्थ या चयतित विषय या परीक्षा के साध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-पारत विश्वविद्यालय से अंग्रेजी स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयतित विषय या परीक्षा के साध्यम के रूप में स्वते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्वातकोलर उपाधि; या हिंदी सर पर हिंदी अतिवार्थ या परीक्षा के साध्यम से स्वातकोलर उपाधि; या हिंदी सर पर हिंदी अतिवार्थ या च्यानित विषयय या परीक्षा के साध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी हुए किसी मान्यता-पाल विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी					I
श्वा विश्व प्रतिवार्थ या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी माग्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्मातकोत्तर उपाधि; श्वा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अतिवार्य या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी माग्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी माग्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्मातकोत्तर उपाधि; श्वा विश्वविद्यालय से हिंदी भाव्यम से स्मातकोत्तर उपाधि; श्वा विश्वविद्यालय से हिंदी आनिवार्थ या चयनित विश्वव या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विश्वय में अंग्रेजी माध्यम से					i
हिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्ष या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यस्य के रूप में द्यावे हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर उपाधि; या हिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या हिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषयय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी भी				स्नातकात्तर उपाधः;	i
या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-पूण्य विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में से हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा विषय या अंग्रेजी के अलावा विसी भी					
के साध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोल्तर उपाधि; था डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा सिक्सी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोल्तर उपाधि; था डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी					i
किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयतित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वयिद्यालय से हिंदी आदिया से सिंग से स्वात हुए किसी मान्यता परीक्षा के माध्यम से स्वात के स्वात के स्वात के स्वात के सिंग से से स्वात के सिंग से					i
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोलर उपाधि; या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अतिवार्य या चयतित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मास्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोलर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अतिवार्य या चयतित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्या से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी					i
स्नातकोत्तर उपाधि; था िडग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या प्ररीक्षा के माध्यम के स्थ में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; था िडग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					I
था डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; था डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					I
डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से				स्नातकोत्तर उपाधि;	I
अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यताप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					I
या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या विश्वति विषय पारीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					I
रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					I
विश्विद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					I
अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					ŀ
विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					
स्नातकोत्तर उपाधि; या डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी					
था डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					i I
डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से				स्नातकोत्तर उपाधि;	
या चयनित विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					
के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					
किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					
विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					
अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से					
विषय में अंग्रेजी माध्यम से					
					i l
स्नातकोत्तर उपाधि;					i I
				स्नातकोत्तर उपाधि;	i l

42

											या		T
											डिग्री स्तर पर हिंदी और		
											अंग्रेजी अनिवार्य या चयनित		
											विषयों के रूप में रखते हुए या		
											इनमें से कोई एक परीक्षा के		
											माध्यम के रूप में तथा दूसरी		
											अनिवार्य या चयनित विषय के		
											रूप में रखते हुए हिंदी या		
											अंग्रेजी के अलावा किसी भी		
											अन्य विषय में किसी मान्यता-		
											प्राप्त विश्वविद्यालय से		
											स्नातकोत्तर उपाधि; और		
											(ii) केंद्रीयया राज्य सरकारया		
											स्वायतशासी संस्थाया कानूनी		
											संगठनया सार्वजनिक क्षेत्र के		
											उपक्रमया विश्वविद्यालयों या		
											मान्यता-प्राप्त शैक्षिक संस्था		
											मेंहिंदी शब्दावली		
											(पारिभाषिक शब्दावली) के		
											उपयोगया अनुप्रयोग तथा		
											अंग्रेजी से हिंदी में या इसके		
											विपरीत अनुवाद कार्य,		
											अधिमानत: तकनीकी और		
											वैज्ञानिक अनुवाद कार्य, का		
											तीन वर्षों का अनुभव।		
											या		
	1										केंद्रीयया राज्य सरकारया		
											स्वायतशासी संस्थाया कानूनी		
]										संगठनया सार्वजनिक क्षेत्र के		
	1										उपक्रमोंया विश्वविद्यालयों या		
											मान्यता-प्राप्त अनुसंधान या		
											शैक्षिक संस्थाओं में हिंदी और		
											अंग्रेजी अध्यापन या हिंदी या		
											अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन		
											वर्षों का अनुभव।		
12. हिंदी	"3*	साधारण	वेतन	स्तर	त्राम	30	 डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य	लाग	2 वर्ष	100% सीध	- i	चयन समिति जिसमें	न्नाग
_				7117	लागू नहीं	ु उ वर्ष	या चयनित विषय या परीक्षा के	लागू उटीं	2 44		11 414 481 81411	निम्न- लिखित होंगे:-	लागू नहीं
अनुवादक	(2018)"	केंद्रीयसेवा,समूह	06		नहा	वष		नहीं		भर्ती द्वारा		ान+न-।लाखत हाग:-	
					होता।		माध्यम के रूप में रखते हुए	होता।					होता।

[PART III—SEC. 4]

'ख',	(₹.	किसी मान्यता-प्राप्त	(i) कार्यकारी
अननुसचिवीय	35,400-	विश्वविद्यालय से हिंदी में	निदेशक,भारतीय
		स्नातकोत्तर उपाधि;	खाद्य सुरक्षा और
	1,12,400)	या	मानक प्राधिकरण–
		डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य	
		या चयनित विषय या परीक्षा के	अध्यक्ष
		माध्यम के रूप में रखते हुए	(ii) निदेशक,भारतीय
		किसी मान्यता-प्राप्त	खाद्य सुरक्षा और
		विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में	मानक प्राधिकरण–
		स्नातकोत्तर उपाधि;	सदस्य
		या	(iii) संयुक्त
		ि. डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य	
		या चयनित विषय या परीक्षा के	निदेशक,भारतीय
		माध्यम के रूप में रखते हुए	खाद्य सुरक्षा और
		किसी मान्यता-प्राप्त	मानक प्राधिकरण–
		विश्वविद्यालय से हिंदी या	सदस्य
		अंग्रेजी के अलावा किसी भी	(iv) मुख्य कार्यकारी
		विषय में हिंदी माध्यम से	अधिकारी द्वारा
		स्नातकोत्तर उपाधि;	नामित उपयुक्त
		या	स्तर का एक
		डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य	बाहरी विशेषज्ञ –
		या चयनित विषय या परीक्षा के	सदस्य
		माध्यम के रूप में रखते हुए	त्रपत्य
		किसी मान्यता-प्राप्त	
		विश्वविद्यालय से हिंदी या	
		अंग्रेजी के अलावा किसी भी	
		विषय में अंग्रेजी माध्यम से	
		स्नातकोत्तर उपाधि;	
		या डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी	
		अनिवार्य या चयनित विषयों के	
		रूप में रखते हुए या इनमें से	
		कोई एक परीक्षा के माध्यम के	
		रूप में तथा दूसरी अनिवार्य या	
		चयनित विषय के रूप में रखते	
		हुए हिंदी या अंग्रेजी के अलावा	
		किसी भी अन्य विषय में किसी	

साम्यतान्त्राम्य विश्वविद्यालय से समाजान्त्रित उपारि; श्रीर श्रिती में अंद्रेडी या इसके स्थिती अजुनवार का गाम्यता- प्राण दिल्मीया वा प्रमाण-पव पाठ्यक्रम मा आगत्त सरकार के उपायम महित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी ने अनुवार कार्य के विद्यालय सुवीम्य उम्मीदायारों के जामको में वेशाववारों में प्रथम प्राधिकारी के जामको में वेशाववारों में प्रथम प्राधिकारी के विद्यालय प्रथम सुवीम्य उम्मीदायारों के व्यविद्यालय हुए दी जा पवनती हैं। स्थित 2 पवन के किसी स्तर प्रथम सुवीम्य उम्मीदायारों के अप्रमाण प्रथम के अप्रमाण प्रयम के अप्रमाण प्रथम के अप्रमाण प्रयम के अप्रमाण प्रथम के अप्रमाण प्रयम के अप्यास प्रथम के अप्रमाण प्रथम के अप्रमाण प्रयम के अप													
क्षेर हिंदी में अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवाद का मान्यता- पान्न हिंप्लीमा या प्रायम्य पान्न वार्याप्त का पान्नकार के उपकास महित केंद्र या राज्य पान्नकार का आविश्व के हिंदी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य का मीहत केंद्र या राज्य पान्नकार कार्यावर में हिंदी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य कार्य मुश्लेस उम्मीदवारों के मानले से योग्यताओं में मानम प्राप्तिकारी के के स्थित अनुवाद कार्य का योग्याप्त हैं दिष्यण 2: चरन के किसी स्तर पर प्रथम प्राप्तिकारी को यह विश्वाद को जाने पर कि अनुविन जानिया अनुविन जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को मार्ग के किसी स्तर पर प्रथम प्राप्तिकारी की अनुविन जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को मार्ग के किसी स्तर पर प्रथम प्राप्तिकारों की पर्याप्त मंग्रा उपलब्ध होने की प्राप्त मंग्रा अपने विवेद्य सुमार के उपपित का होने किस केंद्र प्राप्त मंग्रा हो है, तो स्वयम प्राप्तिकारों में अपने विवेद्य सुमार कुट दे सकता है। विशेष सिंदी विवेद होने। कही होता। विवेद सुमार , एसा न हो होता। विवेद होने। कही होता। विवेद होने। कही होता।							मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय						
केर हिरी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवार का मान्यता- ग्रांज दिल्लीमा या प्रांचा- ग्रांज कार्याच्या से हिरी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवार कार्याच्या से हिरी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवार कार्याच्या से सामले से ग्रांचावरार्थ के सामले से ग्रांचावरार्थ के सामले से ग्रांचावरार्थ के सामले से ग्रांचानाओं में ग्रांचा प्रांचा प्रांचा ग्रांचा के प्रांचा सामले से ग्रांचा के प्रांचा के सामले से ग्रांचा के सामले से ग्रांचा के सामले से ग्रांचा के सामले से ग्रांचा के अपिया स्वार्च के सिंग्य स्वार्च को अपिया स्वार्च के अपिया स्वार्च के अपिया स्वार्च के अपिया से ग्रांचा प्रांचा के अपिया से ग्रांचा प्रांचा के सामले से ग्रांचा सामले से से ग्रांचा सामले से ग्रांचा सामले से से ग्रांचा सामले से से से ग्रांचा सामले से							से स्नातकोत्तर उपाधि;						
हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपरित अवुवाद का मान्यता. प्राप्त डिल्लीमा या प्रमाण-पव पाठककन या भारत सरकार के उत्पक्त महिंदी हैंद्र या राजव सरकार के कार्यावत में हिंदी से अंग्रेजी या उसके विपरित अनुवाद के सामले रे स्वाप्ति के सामले से वीम्यताओं में सरकार प्राप्तिवारी के विवेद्रतात स्वाप्त प्राप्तिवारी के सामले से वीम्यताओं में सरकार प्राप्तिवारी के यह विश्वाद हो जा सकती हैं। क्षित्र स्वाप्त प्राप्तिवारी को यह विश्वाद हो जा सकती हैं। क्षित्र स्वाप्त प्राप्तिवारी को यह विश्वाद हो जा सकती हैं। क्षित्र स्वाप्त प्राप्तिवारी को यह विश्वाद हो जा सकती हैं। से स्वाप्त प्राप्तिवारी के सिए स्वाप्त संव्या उपलब्ध होने की संभावना गत्र हैं है, तो सल्ला प्राप्तिवारों के निए पत्ति सम्बद्ध प्राप्तिवारों की स्वाप्त संव्या उपलब्ध होने की संभावना गत्र हैं है, तो सल्ला प्राप्तिवारों के निए अनुभव प्राप्तिवारों के निए अनुभव संविधी परिप्ताओं में अपने विवेद्यात्र प्राप्तिवारों के निए स्वाप्तिवार के निए सम्बद्ध प्राप्तिवार के निए स्वाप्त संवय प्राप्तिवार के निए स्वाप्त संवय प्राप्तिवार के निए स्वाप्त संवय प्राप्तिवार के निए सम्बद्ध प्राप्त सम्बद्ध स्वाप्त सम्बद्ध स्वाप्त सम्बद्ध स्वाप्तिवार के निप्त सम्बद्ध स्वाप्त सम्बद्ध स्वाप्त सम्बद्ध सम्							_						
विसरीत अनुवाद का मानवता- प्राप्त हिल्लीमा या प्रमाण-गव पाठ्यक्रम वो भारत सम्प्रार के उग्रक्रम सहित केंद्र या राज्य सम्प्रार के कार्यावय में हिंदी से अंग्रेजी या एक कि विसरीत अनुवाद कार्य कार्य सुरों हैं। अंग्रेजी या एक कि विसरीत अनुवाद कार्य कार्य सुरों के उम्मिद्धारों के मामले में पोपवाओं में सभ्यम प्राधिकारी कि विवेकानुवार छूट दी जा सकती हैं। दिष्पण 2: जबन के किसी स्तर पर गत्रम प्राधिकारी के वह विस्वार के जिसी स्तर पर गत्रम प्राधिकारी के वह विस्वार के अभिवास अनुमृचित जव जावि के लिए इत समुवारों के अभिवास अनुमृचित जव जावि के लिए इत समुवारों के अभिवास अनुमृचित जव जावि के लिए इत समुवारों के अभिवास अनुमृचित विस्वार नहीं हैं। से समस्य पाणिकारी इत समुवारों के उम्मिद्धारों के प्रमादकारों के लिए इत समुवारों के अभिवास कार्य है से सेवास्ता नहीं है, तो सक्रम पाणिकारी इत समुवारों के उम्मिद्धारों के अभिवास कार्य विवेकानुवार छूट दे सकता है तिसी सचिव विस्ति होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता।							1 27 2						
पात दिल्लोमा या प्रमाण-गव पात्रक्षम या पात्र सत्त्रकार के उपक्रम महित केंद्र या राज्य सत्त्रकार के विषयित अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव उम्मीदवारों के मामले में वीयत्रवार्लों में नामले में वीयत्रवार्लों में नामले में वीयत्रवार्लों में नामले में विषया है। जाने मामले में विषया है। जाने मामले में विषया सही जाने पर कि अनुमूचित जानिया अनुस्थित तिर्माले को अमेरिवत तिर्माले को अमेरिवत तिर्माले के अमेरिवत त्राचित प्रमाण के उम्मीदवारों के विषय अम्मले अमेरिवत त्राच्या उपन्त्रका होने की मंगावाना नहीं है, तो राज्यम प्राणिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के विषय अमुभव संत्री वीयत्राओं में अपने विकेश प्रमाण के उम्मीदवारों के विषय अमुभव संत्री वीयत्राओं में अपने विकेश प्रमाण के विषय अमेरिवत तिर्माले के विषय के													
पाज्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम महिंदी में अंग्रेजी या इसके विषयीत अनुवाद कार्य का दो क्यों का मानके में वोच्यावाओं में सक्षम प्राधिकारी के विकेशनुसार छूट दी जा सकती हैं िरण्या 2. चयन के किसी स्वर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास ही जाते पर कि अनुप्रवित जातिया अनुप्रवित कार्य अनुप्रवित कार्य अनुप्रवित कार्य अनुप्रवित कार्य कार्य कार्य के अनुप्रवित अनुमव स्वर्ग वाले अमेरिवारों के लिए कार्याय उपलब्ध होंगे की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी का नमुद्रायों के ज्यापिकारों के उपमित्वारों के विषय अनुमव संबंधी योग्यताओं में अपने विकेशनुसार छूट दे सकता है। 13. बरिष्ट पर्न साधारण वेतन स्वर चयन जामू नहीं होता। नहीं वाह सकते पर व्यवस्था समझ के विकेश स्वर्ग के विषय स्वर्ग कार्य प्रवित होते। नहीं होता। वहीं होता। वहीं होता। के विषय सकते पर स्वर्ग पर स्वर्ग पर सकते पर स्वर्ग पर सकते पर स्वर्ग पर सकते पर स्वर्ग पर सकते पर सकते पर स्वर्ग पर सकते पर सकते पर स्वर्ग पर सकते पर स्वर्ग पर सकते पर सकते प													
अप्रकास सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्याचय में हिंदी से अंग्रेजी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दी वर्षी का अनुभव िट्टपण 1: अन्यथा सुगोस्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विकानुसार छूट दी जा कर्ताहें हैं िट्टपण 2: चवन के किसी स्तर पर सबस प्राधिकारी को यह विकास हो जाने पर कि अनुस्थित जातिया अनुभवित जात्र का स्तर जात्र का समुदायों के अभिता अनुभव स्वर्ण वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपनच्छा होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारों में अगले विकेशानुसार छूट दे सकता है। 13. विष्ट "7" साधारण केंद्रीयसेवा, समूह विवास वाल प्राप्त होते ति होता। केंद्रीयसेवा, समूह विवास हो ति होता। केंद्रीयसेवा, समूह विवास होता। केंद्रीयसेवा केंद्रीयसेवा विवस सामास्त केंद्रीय													
मत्यार के कायांलय में हिंदी से अंग्रेजी या इसके विषयित अनुभव स्वित्त कार्याय हुये होता। सम्बार के नाम स्वार के स्वर स्वर कार्याय हुये होता। सम्बार के स्वर स्वर समुद्रायों के स्वर स्वर कार्याय हुये होता। सम्बार के स्वर स्वर समुद्रायों के स्वर स्वर कार्याय हुये होता। सम्बार के स्वर स्वर समुद्रायों के स्वर स्वर समुद्रायों के स्वर स्वर समुद्रायों के सम्बर समुद्रायों के स्वर समुद्रायों के स्वर समुद्रायों के समुद्र स													
अग्रेजी या इसके विषयीत अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुवाद कार्य का दो वर्षों के विकानुसार छूट दी जा नकती है। 2 प्रणा 2: चवन के किसी स्तर पर सक्तम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुव्धित जातिया अनुव्धित जातिया अनुव्धित जिल आर्थित विश्वास हो जाने पर कि अनुव्धित जातिया अनुव्धित किस मामले हो स्तर्य के अग्रेजित जानुमार्थ का नहीं के अग्रेजित जानुमार्थ के अग्रेजित का जाप नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी हन समुद्राधी के उपमित्रवारों के कि एक अनुभव गंबंधी योग्यताओं में अग्रेजित जानुमार छूट दे सकता है। 13. बरिष्ट पर साधारण वेतन स्तर चवन लागू नहीं लिजी समित्र हिता। 13. बरिष्ट (2018) 3 के द्वियसेवा, समूह विश्व होता। 3 के विश्व स्तर्य विवेद सकता है। 4 के विवेदसेवा, समूह विश्व होता। 4 के द्वियसेवा, समूह विश्व होता। 4 के विश्व स्तर्य (दे 44 90)													
श्रिष्ण 1: अन्यवा स्थोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। श्रिष्ण 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विवेकान हो जाने पर कि अनुस्वित जातिया अनुस्वित प्रतिक्षों को भरने के लिए इन समुदायों के अधिक्षत अनुभव स्वते वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संयावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के निए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. वरिष्ठ "7* साधारण विवेकानुसार छूट दे सकता है। 14. वरिष्ठ " 15. वर्ष प्रतिक्षित होंगे. वर्ष प्रतिक्षा होता। 13. वरिष्ठ " 15. वर्ष प्रतिक्षा होता। 13. वरिष्ठ " 15. वर्ष प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा होता। 14. वर्ष प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा होता। 15. वर्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा होता। 15. वर्ष प्रतिक्ष प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा प्रतिक्षा होता। 15. वर्ष प्रतिक्ष प्र													
किष्णण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यवाओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा मकती हैं। किष्णण 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जातिया अतुस्चित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को अरने के लिए इन ममुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के जम्मीदवारों के जम्मीदवारों के जम्मीदवारों के जम्मीदवारों के जिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। किसी सचिव किसी स्तर पर किसी स्तर पर किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी							अनुवाद कार्यका दो वर्षों का						
उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुमार छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वमा हो जाने पर कि अनुसूचित जान जातिया अनुसूचित जान वाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के जिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुवार छूट देसकता है। 13. वरिष्ट "७ साधारण वेतन स्तर चयन लागू लोगू नहीं तहीं होता। नहीं							अनुभव।						
उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुमार छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वमा हो जाने पर कि अनुसूचित जान जातिया अनुसूचित जान वाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के जिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुवार छूट देसकता है। 13. वरिष्ट "७ साधारण वेतन स्तर चयन लागू लोगू नहीं तहीं होता। नहीं							विकास 1 अज्ञाश समीमा						
पेत्रवाओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **Read 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जानी तो कि लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अमितवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के जिए अनुभव संबंधी योगवताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। **Table ** Table ** Tabl													
के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्वित जातिया अनुस्वित जातिया अनुस्वित जातिया अनुस्वित जातिया अनुस्वित जातिया अनुस्वित जातिया अनुस्वित जाते कि लिए आरक्षित रिक्तियों के अपेश्रित अनुमाद सखे वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों के जिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. बरिष्ट विज्ञा साधारण केंद्रीयसेवा, समूह वित्त स्तर वयन लागू नहीं होता। वहीं होता													
सकती है। Rew 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जातिया अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव मंबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. वरिष्ट "७७ साधारण के तिन स्तर चयन लागू निज्ञी सचिव विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. वरिष्ट 100% प्रोन्नित द्वारा, ऐसा न हों स्तर, एसा न हों सकने पर स्तर ७ (ह 44 900-													
किस प्राप्त प्राप्त के किसी स्तर एर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जातिया अनुसूचित होने की समादायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के जिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. वरिष्ठ पुर* साधारण वेतन स्तर चयन लागू नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। सकने पर स्तर 7 (5. 44 900)													
पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जातिया अनुस्व सम्वायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के तिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. बरिष्ठ "७० साधारण वेतन स्तर चयन लागू नहीं होता। नहीं त्या प्तर्भ के द्वारा, ऐसा न हो सकने पर स्तर ७ (ठ. 44 900-							`						
विश्वास हो जाने पर कि अनुस्वित जातिया अनुस्वित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट देसकता है। विजी सचिव (2018)" वेतन स्तर चयन लागू केंद्रीयसेवा, समूह विकास क्षा क्षा नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट देसकता है। जागू नहीं होता। नहीं होता। प्राधिकारी होता। जागू नहीं होता। प्राधिकारी होता। प्राधिकारी होता।													
अनुस्चित जातिया अनुस्चित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता हैं। 13. विरष्ट (2018)" वैतन स्तर चयन लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। सकने पर स्तर 7 (क 44 900-													
जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के अपने विवेकानुसार छूट दे सकता हैं। 13. विरूष्ठ (2018)" के त्रियसेवा, समूह ख कि एक जुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता हैं। के त्रियसेवा, समूह ख कि एक जुभव संबंधी योग्यताओं के अपने विवेकानुसार छूट दे सकता हैं। कि त्रियसेवा, समूह ख कि													
रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. विरुट "७७ साधारण केंद्रीयसेवा, समूह 08 (रु. 47,600- होंता। होता। होता। होता। होता। होता। होता। होता। सकने पर स्तर ७ (रु. 44,900- होता।													
समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. विष्ठ "7* साधारण वेतन स्तर चयन लागू नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। सकने पर स्तर ७ (क. 44,900-													
रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. विरुठ "७० साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख (2018)" केंद्रीयसेवा, समूह ख (47,600- विवेका होता। होता। होता।													
पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. बरिष्ठ (2018)" वेतन स्तर चयन लागू नहीं होता। 147,600- विवेकानुसार छूट दे सकता है। 15. वरिष्ठ (2018)" केंद्रीयसेवा, समूह ख (47,600- विवेकानुसार छूट के सकता है। 16. वरिष्ठ (100% प्रोन्नित द्वारा, ऐसा न हो होता। 17. वरिष्ठ द्वारा, ऐसा न हो सकने पर स्तर 7 (क 44,900- वर्ग कार्यकारी)													
संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। 13. वरिष्ठ (७७ साधारण केंद्रीयसेवा, समूह (2018)" कें													
प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। विवेकानुसार छूट							-						
अमिदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। विवेकानुसार छू													
13. वरिष्ठ													
13. वरिष्ठ "७७ साधारण वेतन स्तर चयन लागू लागू नहीं होता। नहीं लागू नहीं होता। सकने पर स्तर ७ (क्. 44,600-													
13. बरिष्ठ "७४ साधारण वेतन स्तर चयन लागू लागू नहीं होता। नहीं लागू नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। सकने पर स्तर ७ (१०००) होता। नहीं होता। सकने पर स्तर ७ (१०००) होता।													
निजी सचिव (2018) " $ $ केंद्रीयसेवा, समूह $ $ 08 (रु. $ $ नहीं $ $ होता। $ $ नहीं $ $ होता। $ $ सकने पर स्तर 7 (रु. 44.900- $ $													
ख 47,600- होता। होता। होता। होता। होता। होता। होता। होता।		"7*			चयन		लागू नहीं होता।	नहीं	लागू	100%प्रोन्नति	प्रोन्नति के लिए:		
ख 47,600- होता। होता। होता। होता। होता। सकने पर स्वर 7 (रु. 44,900-	निजी सचिव	(2018)"	केंद्रीयसेवा, समूह	,				1		द्वारा, ऐसा न हो		`	_
		1	ख	47,600-		होता।			होता।	_	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(i) कार्यकारी	होता।
			· ·										
(जिसके अंतर्गत 1,42,400) में निजी सचिव के खाद्य सुरक्षा और			अननुसचिवीय	1,51,100)						प्रतिनियुक्ति द्वारा	•	निदेशक,भारतीय	

		अल्पकालिक	रूप में नियमित आधार पर	मानक प्राधिकरण–
		संविदा भी है) या	नियुक्ति के बाद दो वर्ष की	
		आमेलन द्वारा	सेवा।	अध्यक्ष
			• • • • • •	(ii) सलाहकार,
			टिप्पण 1: प्रोन्नित के लिए	भारतीय खाद्य
			पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनके ग्रेड या पद पर	सुरक्षा और मानक
			द्वारा उपक ग्रंड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर	प्राधिकरण– सदस्य
			लेने की तारीख के प्रति निर्देश	(iii) निदेशक,भारतीय
			से तैयार की जाएगी।	खाद्य सुरक्षा और
				मानक प्राधिकरण–
			टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ	सदस्य
			व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने	(iv) मुख्य कार्यकारी
			अपनी अर्हक या पात्रता सेवा	अधिकारी द्वारा
			पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	नामित उपयुक्त
			लिए विचार किया जा रहा हो,	स्तर का एक
			वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के	बाहरी विशेषज्ञ –
			संबंध में भी विचार किया	सदस्य
			जाएगा, परंतु यह तब जब कि	
			उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	
			या पात्रता सेवा, अपेक्षित	
			अर्हक या पात्रता सेवा के आधे	
			से अधिक से या दो वर्ष से,	
			इनमें से जो भी कम हो, कम न	
			हो और उन्होंने अपने ऐसे	
			कनिष्ठ व्यक्तियों	
			सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या	
			पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर	
			ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	
			प्रोन्नित के लिए अपनी	
			परिवीक्षा की अवधि	
			सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
			(ख) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	
			भी है) या आमेलन के लिए:	
			•	
			केंद्रीय सरकार या राज्य	

14. निर सचिव	ft "17* (2018)"	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख, अननुसचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900- 1,42,400)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्निति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)या आमेलन द्वारा।	सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्विद्यालयोंया मान्यता- प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पिब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में2 वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रोन्गित के बिए: स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400) में निजी सहायक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा। टिप्पण 1: प्रोन्नित के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनके ग्रेड या पद पर विहित अर्हता सेवा पूरी कर लेने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: अर्हकया पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ	सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय	लागू नहीं होता।
										विहित अर्हता सेवा पूरी कर लेने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: अर्हकया पात्रता	य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– सदस्य	

											सेवा अपेक्षित अर्हकया पात्रता सेवा के आधे से अधिक,या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च श्रेणी पर प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो (ख) प्रतिनियुक्ति के लिए जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारोंया संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयोंया मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओंया पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी,कानूनी या स्वायतशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परधारण किया हुआ हो;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की	नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
											नियमित सेवा की हो।		
	"39* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख अननु- सचिवीय	वेतन स्तर 06 (रु. 35,400- 1,12,400)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष	(i) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालयया संस्था से स्नातक की उपाधि तथा आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट और/या	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	100% भर्ती द्वारा	सीधी	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण–	लागू नहीं होता।

16. स्टाफ कार	"3*	साधारण केंद्रीय	वेतन स्तर 02 (रु.	लागू नहीं	25 av	हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की गित की दक्षता। (ii) कंप्यूटर-साक्षर हो तथा एमएस ऑफिस और इंटरनेट इत्यादि पर कार्य करने में दक्ष हो। बांछनीय: किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्था से कार्यालय प्रबंधन और सचिवालयी प्रक्रिया में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या	प्रतिनियुक्ति या आमेलन: किसी भी सरकारी संगठन से	अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं
ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	(2018)"	सेवा, समूह ग, अननुसचिवीय	02 (रु. 19,900- 63,200)	होता।	14	ड्राइविग लाइसेंसधारी; (ii) मोटर कार्य-प्रणाली का ज्ञान (उम्मीदवार वाहन में छोटी- मोटी खराबियाँ दूर करने में सक्षम हो) (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव;और (iv) दसवीं कक्षा पास। टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा	होता।	14	आमेलन द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	वेतन स्तर-1 में उन नियमित स्टाफ कार ड्राइवरों में से जो स्तंभ 7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएँ रखते हों।	(i) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iii) उप निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य सदस्य सदस्य सरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य	होता

						सकती है।				(iv) मुख्य कार्यकारी	
						टिप्पण 2: चयन के किसी स्तर				अधिकारी द्वारा	
						पर सक्षम प्राधिकारी को यह				नामित उपयुक्त	
						विश्वास हो जाने पर कि				स्तर का एक	
						अनुसूचित जाति या अनुसूचित				बाहरी विशेषज्ञ –	
						जन जाति के लिए आरक्षित				सदस्य	
						रिक्तियों को भरने के लिए इन					
						समुदायों के अपेक्षित अनुभव				1	
						रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की					
						*					
						संभावना नहीं है, तो सक्षम				1	
						प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव				1	
						्रुम्मादवारा क लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने				1	
						तिबवा चाग्यताजा में जेपा विवेकानुसार छूट दे सकता है।				1	
			_								
17. बहु-कार्य	"50*	साधारण केंद्रीय	वेतन स्तर	लागू	25	मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या	दोवर्ष	100%सीधी भर्ती	नहीं	चयन समिति में निम्न-	लागू
स्टाफ	(2018)"	सेवा, समूह ग,	01 (रु.	नहीं	वर्ष	समतुल्य।		द्वारा		लिखित होंगे:-	नहीं
(एम.टी.एस.)		अननुसचिवीय	18,000-	होता।		टिप्पण : अन्यथा सुयोग्य				(i) निदेशक,भारतीय	होता।
			56,900)			उम्मीदवारों के मामले में				खाद्य सुरक्षा और	
						योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी				मानक प्राधिकण–	
						के विवेकानुसार छूट दी जा				अध्यक्ष	
						सकती है।				(ii) संयुक्त	
										निदेशक,भारतीय	
										खाद्य सुरक्षा और	
										मानक प्राधिकण–	
										सदस्य	
										(iii) उप	
										निदेशक,भारतीय	
										खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकण–	
										सदस्य	
										(iv) मुख्य कार्यकारी	
										अधिकारी द्वारा	
										नामित उपयुक्त	
										स्तर का एक	

					बाहरी विशेषज्ञ –	
					सदस्य	

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

18. **60* साधारण वितर हत र 10 चयन उर्ज प्राचानामा विश्वविद्यालय स्वाप्त सही थे वर्ण सही वर्	सहायक (2018)** (क र्ड) (2018)** (क र्ड) (2018)** (क र्ड) (क रंड) (क र					वैज्ञानिक एवं तक	नीकी संवर्ग				
या पात्रता सेवा, अपेक्षित		सहायक निदेशक (2018)"	केंद्रीयसेवा, समूह क, अननु-	(रु. 56,100-		मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या खाद्य प्रांचोगिकी या खाद्य एवं प्रोचोगिकी या खाद्य एवं प्रोचोगिकी या खाद्य एवं पोषण या खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौचोगिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या जेवगीगिकी या कृषि या बागवानी विज्ञान या जौद्योगिकी या किसा या जीवन विज्ञान या जान स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जैव प्रौचोगिकी या फल और वनस्पित प्रौचोगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समयसमय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यता-प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा		द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा (ii) 40% सीधी	स्तर (रु. 44,900- 1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा वाले तकनीकी अधिकारियों में से 80%; और स्तर (रु. 44,900- 1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा वाले केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में से 20%; टिप्पण 1: प्रोन्निति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड या पद पर विहित योग्यता पूरी कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्निति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ -	नहीं

या	अर्हक या पात्रता सेवा के आधे
	से अधिक से या दो वर्ष से,
	·
खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी	इनमें से जो भी कम हो, कम
प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल	न हो और उन्होंने अपने ऐसे
	कनिष्ठ व्यक्तियों
	सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या
प्रसंस्करण इंजीनियरी या	पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर
खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में
या फल और वनस्पति	प्रोन्नति के लिए अपनी
प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा	परिवीक्षा की अवधि
और गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या औषध या	सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
्रवा.इ/वा.टक या आषध्य या पश् चिकित्सा विज्ञान या	
9	(ख) प्रतिनियुक्ति के लिए
मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा	(अल्पकालिक अनुबंध या
समय-समय पर अनुमोदित	आमेलन सहित):
किसी अन्य विषय में स्नातक	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों
उपाधि (जो चार वर्ष से कम	या संघ राज्य क्षेत्रों की
की अवधि की न हो)।	सरकारों या विश्वविद्यालयों
11 31 31 31 11 1 (1))	या मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान
	संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर
वांछनीय योग्यता: उपर्युक्त	उपक्रमों या अर्ध
विषयों में से किसी विषय में	सरकारी,कानूनी या
डॉक्टरेट उपाधि।	स्वायतशासी संगठनों के ऐसे
और	स्वायतशासा सगठना क एस अधिकारी :-
(ii) संबंधित क्षेत्र का पाँच वर्षों	(क)(i) जो मूल संवर्ग या
का अनुभव	विभाग में समतुल्य पद
वांछनीय: गेट या	पर नियमित आधार
सीएसआईआर/ आईसीएआर	परकार्यरत हों;या
नेट	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या
	विभाग में वेतन स्तर 8
टिप्पण 1:वांछित कुल अनुभव	या उसके समतुल्य पद पर
में से दो वर्षों का अनुभव	नियुक्ति के पश्चात उस
केंद्रीय महंगाई भत्ते या	ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित
समकक्ष औद्योगिक महंगाई	सेवा की हो;
भत्ते के वेतनमान (जो भी	या
लागू हो) में निचले वेतन स्तर	
में हो तथा निजी क्षेत्र में	(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या

					कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से न्यूनतम तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसकाविज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पण3: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना				विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 3वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 8वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ रखते हों।		
19. खाद्य विश्लेषक	"10* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क, अननु सचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56,100- 1,77,500)	35 वर्ष	उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रासायनिकी या जैव रासायनिकी या जैव रासायनिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान या डेयरी रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी,खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि या डेयरी या तेल प्रौद्योगिकी में वी.टेक उपाधि या	नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण– अध्यक्ष (ii)	लागू नहीं होता।

पशुचिकित्सा विज्ञान में	सलाहकार,भारती
स्नातक उपाधि या	य खाद्य सुरक्षा
इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स	और मानक
(इंडिया) द्वारा संचालित खाद्य	प्राधिकरण– सदस्य
विश्लेषक खंड में परीक्षा देकर	(iii) कार्यकारी
इंस्टीट्यूशन् ऑफ् केमिस्ट्स	
(इंडिया) के एसोशिएट या	निदेशक,भारतीय
ऐसे प्रयोजन के लिए केंद्रीय	खाद्य सुरक्षा और
सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त	मानक प्राधिकरण–
और अधिसूचित अन्य कोई समतुल्य योग्यता तथा खाद्य	सदस्य
विश्लेषण का अन्यून तीन वर्षों	(iv) अध्यक्ष, भारतीय
का अनुभव; और	खाद्य सुरक्षा और
ું માં બંધુ ને પા, બાર	मानक प्राधिकरण
(ii) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त	द्वारा नामित
और अधिसूचित बोर्ड द्वारा	उपयुक्त स्तर का
खाद्य विश्लेषक के रूप में	एक बाहरी
योग्य घोषित हो।	विशेषज्ञ – सदस्य
वांछनीय: गेट या सीएसआईआर/ आईसीएआर नेट	
टिप्पण 1 : अन्यथा सुयोग्य	
उम्मीदवारों के मामले में	
योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी	
के विवेकानुसार छूट दी जा	
सकती है।	
टिप्पण 2: चयन के किसी स्तर	
पर सक्षम प्राधिकारी को यह	
विश्वास हो जाने पर कि	
अनुसूचित जाति या जन जाति	
के लिए आरक्षित रिक्तियों को	
भरने के लिए इन समुदायों के	
अपेक्षित अनुभव रखने वाले	
उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या	
उपलब्ध होने की संभावना	
नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी	
इन समुदायों के उम्मीदवारों के	

				लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।						
20. "2! तकनीकी (20) अधिकारी (20)	.5* साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख अननु सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900- 1,42,400) तकनीकी अधिकारियों को तीन वर्ष और छह वर्ष पूरे कर लेने पर सतर्कता अनुमति मिलने के पश्चात क्रमशः वेतन स्तर 8 और 9 में गैर- कार्यात्मक अपग्रेडेशन दि या जा सकता है।	30 atú	मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रासायनिकी या जीव रासायनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य एवं पोषण या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या खाद्य तेल प्रौद्योगिकी या सुक्ष्म जैव विज्ञान या औद्योगिकी या कृषि या बागवानी विज्ञान या औद्योगिकी या कृषि या बागवानी विज्ञान या जान स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जन स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जान स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जान स्वास्थ्य या जीवन विज्ञान या जाशवासन या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यता-प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उपयुक्त नाम से), जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो। या खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी	नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i कार्यकारी निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— अध्यक्ष (ii) सलाहकार,भारती य खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iii) निदेशक,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण— सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ — सदस्य	लागू नहीं होता।

						प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या फल और वनस्पति प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में बी.ई/बी.टेक या औषध या पशु चिकित्सा विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या पशु विज्ञान या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समयसमय पर अनुमोदित किसी अन्य विषय में स्नातक उपाधि (जो चार वर्ष से कम की अवधि की न हो)। वांद्यनीय: गेट या सीएसआईआर/ आईसीएआर नेट टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।						
21. केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी	"74* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख, अननु सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900- 1,42,400) केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तीन वर्ष और छह वर्ष पूरे कर लेने पर सतर्कता अनुमति मिलने के पश्चात	लागू नहीं होता।	30 वर्ष	(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रासायनिकी या सूक्ष्म जैव विज्ञान में स्नातक उपाधि या रासायनिकी में स्नातकात्तर उपाधि या औषध में स्नातक	नहीं -	दो वर्ष (परिवीक्षा अवधि के दौरान सीधी भर्ती के अधिकारियों को पक्का होने के लिए किसी मान्यता-प्राप्त संस्था या इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था से खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य	लागू नहीं होता।

सूचना प्रौद्योगिकी और विशेषित संवर्ग

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गी- करण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचय न पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति यों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू	परिवी क्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	विभागीय प्रोन्नति समिति होने पर उसकी संरचना	वे स्थिति याँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
1	2	3	4	5	6	7	म लागू होंगी या नहीं 8	9	10	11	12	ाकथ। जाएगा 13
22. मुख्य प्रौद्योगिकी अधि कारी	"1*(2018) "	साधारण केंद्रीय	वेतन स्तर 13 (1,23, 100-	लागू नहीं	50 वर्ष	(i)किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	100% सीधी भर्ती	लागू नहीं होता।	चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं

सेवा, 2,	,15, 900) होता।	इंजीनियरी के	(i)अध्यक्ष, भारतीय होता।
समूह या	ा अनुभव के	किसी क्षेत्र में	खाद्य सुरक्षा और
क, विष	र्षों के आधार	स्नातक या	मानक प्राधिकरण-
	र रु.	स्नातकोत्तर	अध्यक्ष
1.3	1 60 000	उपाधि	(ii)मुख्य कार्यकारी
		(ii)सूचना	अधिकारी, भारतीय
	,58,300)	प्रौद्योगिकी के क्षेत्र	खाद्य सुरक्षा और
	ो रेंज में मेकित	में कम से कम	मानक प्राधिकरण –
	माकत ारिश्रमिक	सोलह वर्षों के	
	।।रश्रामक	कार्य का	सदस्य
		अनुभव,जिसमें से	(iii)स्वास्थ्य एवं
		कम से दस वर्षों	परिवार कल्याण
		का अनुभव बड़े	मंत्रालय द्वारा
		एप्लीकेशन के	नामित एक
		विकास में हो,	प्रतिनिधि – सदस्य
		(iii)सरकार या	(iv)अध्यक्ष,
		सार्वजनिक क्षेत्र में	भारतीय खाद्य
		कार्य का कम से	सुरक्षा और मानक
		कम पाँच वर्षों का	प्राधिकरण द्वारा
		अनुभव	नामित उपयुक्त
		टिप्पण 1:अन्यथा	स्तर का एक बाहरी
		सुयोग्य	विशेषज्ञ – सदस्य
		उम्मीदवारों के	
		मामले में	
		योग्यताओं में	
		सक्षम प्राधिकारी	
		के विवेकानुसार	
		छट दी जा सकती	
		छूट दी जा सकती है।	
		टिप्पण 2: चयन	
		के किसी स्तर पर	
		सक्षम प्राधिकारी	
		को यह विश्वास	
		हो जाने पर कि	
		अनुसूचित जाति	
		या अनुसूचित	

	-
महंगाई भत्ते या	विचार किया जा (iv) अध्यक्ष,
समकक्ष औद्योगिक	रहा हो, वहाँ उनके भारतीय खाद्य
आद्यागिक महंगाई भत्ते के	ज्येष्ठ व्यक्तियों के सुरक्षा और मानक
वेतनमान (जो	सबध म भा विचार प्राधिकरण द्वारा
भी लागू हो) में	किया जाएगा, नामित उपयुक्त
निचले वेतन स्तर	परतु यह तब जब
में हो तथा निजी	। कि उसके द्वारा का
क्षेत्र में कार्यरत	गई ऐसी अर्हक या विशेषज्ञ-सदस्य
उम्मीदवारों के	पात्रता सेवा,
मामलों में वे	अपेक्षित अर्हक या
पिछले दो वर्षों से	पात्रता सेवा के
न्यूनतम	आधे से अधिक से
तुलनात्मक	या दो वर्ष से, इनमें
वार्षिक कंपनी का	से जो भी कम हो,
खर्च ले रहे हों,	कम न हो और
जिसके बारे में	उन्होंने अपने ऐसे
निर्णय सक्षम	कनिष्ठ व्यक्तियों
प्राधिकारी द्वारा	सहित,जिन्होंने
लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में	ऐसी अर्हक या
हर बार उल्लेख	पात्रता सेवा पहले
कि या जाएगा।	ही पूरी कर ली है,
	अगली उच्चतर
टिप्पण2 :अन्यथा	श्रेणी में प्रोन्नति के
स्योग्य	लिए अपनी
उम्मीदवारों के	परिवीक्षा की
मामलों में	अवधि ू
योग्यताओं में	सफलतापूर्वक पूरी
सक्षम प्राधिकारी	कर ली हो।
के विवेकानुसार	
छूट दी जा सकती है।	प्रतिनियुक्ति
 	(अल्पकालिक
	संविदा सहित) या आमेलन के लिए:
टिप्पण 3 : चयन	नेंद्रीय सरकार या
के किसी स्तर पर	राज्य सरकारों या
सक्षम प्राधिकारी	संघ राज्य क्षेत्रों
को यह विश्वास	W 1 W 1 W 1

हो जाने पर कि	की सरकारों या
अनुसूचित जाति	विश्वविद्यालयों या
या अनुसूचित	मान्यता-प्राप्त
जनजाति के लिए	अनुसंधान संस्थाओं
अरक्षित रिक्तियों	या सार्वजनिक क्षेत्र
को भरने के लिए	के उद्यमों या अर्ध
इन समुदायों के	
अपेक्षित अनुभव	सरकारी,वैधानिक
रखने वाले	या स्वायतशासी
उम्मीदवारों की	संगठनों के ऐसे
	अधिकारी -:
पर्याप्त संख्या	(क)(i) जो मूल
उपलब्ध होने की	संवर्ग या
संभावना नहीं है,	विभाग में
तो सक्षम	समतुल्य पद
प्राधिकारी इन	पर नियमित
समुदायों के	आधार
उम्मीदवारों के	परकार्यरत
लिए अनुभव	हों;या
संबंधी योग्यताओं	
में अपने	(ii) जिन्होंने मूल
विवेकानुसार छूट	संवर्ग या
दे सकता है।	विभाग में
	वेतन स्तर 11
	या उसके
टिप्पण4: उपरोक्त	समतुल्य पद
शैक्षिक योग्यता	पर नियुक्ति के
और अनुभव	पश्चात ग्रेड में
पात्रता का	पाँच वर्ष की
बुनियादी मानदंड	नियमित सेवा
है। कार्यात्मक	की हो; और
आधार पर	
अतिरिक्त	(ख) जो स्तंभ में 7
आवश्यकताओं,	सीधी भर्ती के
यदि कोई होंगी,	लिए विहित
	शैक्षिक
का उल्लेख विज्ञापन में हर	योग्यताएँ और
	अनुभव रखते
	हों।
जाएगा।	

24. प्रबंधक (सूचना	"2*	साधारण	वेतन स्तर 11	चयन	40वर्ष	(i)कंप्यूटर विज्ञान	लागू नहीं	दोवर्ष	100% प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति के लिए :	चयन समिति जिसमें	लागू
प्रौद्योगिकी)	(2018)"	केंद्रीयसेवा,				में या किसी अन्य	होता।		ऐसा न हो सकने पर	स्तर 10 (रु	निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं
	(2018)	समूह क,	(रु.67,700-			इंजीनियरी विषय			प्रतिनियुक्ति	`	(i) मुख्य कार्यकारी	होता।
		अननुसचिवी	2,08,700)			में बी.टेक या			(अल्पकालिक	56,100-	अधिकारी, भारतीय	
		य	या अनुभव के			एम.टेक या			संविदासहित) या	1,77,500) में	खाद्य सुरक्षा और	
]	वर्षों के आधार			एमसीए या			आमेलन/संविदा के	नियुक्ति के बाद	मानक प्राधिकरण -	
			पर			संबंधित क्षेत्र में			आधार पर सीधी	नियमित आधार	अध्यक्ष	
			रु.95,000-			स्नातक की डिग्री।			भर्ती द्वारा।	पर पाँच वर्षों की	(ii) कार्यकारी	
			रु.2,70,000			(ii) कुल आठ वर्षों				सेवा वाले उप	निदेशक, भारतीय	
			के बीच			का अनुभव				प्रबंधक		
			समेकित			(iii) संबंधित क्षेत्र				(सूचनाप्रौद्योगिकी)	खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण -	
			पारिश्रमिक			में न्यूनतम पाँच				1	। मानक प्रााधकरण - । सदस्य	
						वर्षोंका अनुभव।						
										टिप्पण 1 : जहाँ	(iii) मुख्य तकनीकी	
						टिप्पण 1 :वांछित				ऐसे कनिष्ठ	अधिकारी,	
						कुल अनुभव में से				व्यक्तियों के संबंध	भारतीय खाद्य	
						दो वर्षों का				में, जिन्होंने अपनी		
						अनुभव केंद्रीय				अर्हक या पात्रता	प्राधिकरण- सदस्य	
						महंगाई भत्ते या				सेवा पूरी कर ली	(iv) अध्यक्ष,	
						समकक्ष				है, प्रोन्नति के लिए	भारतीय खाद्य	
						औद्योगिक •				विचार किया जा	सुरक्षा और मानक	
						महंगाई भत्ते के				रहा हो, वहाँ उनके	प्राधिकरण द्वारा	
						वेतनमान (जो				ज्येष्ठ व्यक्तियों के	नामित उपयुक्त	
						भी लागू हो) में				संबंध में भी विचार	स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	
						निचले वेतन स्तर में हो तथा निजी				किया जाएगा,परंतु	। वश्रषश-सदस्य	
						्म हा तथा ।नजा क्षेत्र में कार्यरत				यह तब जब कि		
						उम्मीदवारों के				उसके द्वारा की गई		
						मामलों में वे				ऐसी अर्हक या		
						पिछले दो वर्षों से				्र पात्रता सेवा,		
						न्यूनतम				अपेक्षित अर्हक या		
						तुलनात्मक				पात्रता सेवा के		
						वार्षिक कंपनी का				आधे से अधिक से		
						खर्च ले रहे हों,				या दो वर्ष से, इनमें		
						जिसके बारे में				से जो भी कम हो,		
						निर्णय सक्षम						
						प्राधिकारी द्वारा				कम न हो और		
										उन्होंने अपने ऐसे		

ति वा जारणा और उसमा विज्ञानम में हर वार उल्लेख कि या जाएगा। ति जांगम में हर वार उल्लेख कि या जाएगा। ति जांगम में हर वार उल्लेख कि या जाएगा। ति जांगम में हर वार उल्लेख कि या जांगा। ति जांगम में हर वार उल्लेख कि या प्रकार में हर वार उल्लेख कि या प्रकार में हर वार उल्लेख के ति प्रकार में हर या प्रकार में वि ज्ञान कि ते प्रकार में वि ज्ञान कि ते प्रकार माणिवारी के विकार पर से कि जा जानती है। ति प्रकार अवार पर से कि प्रकार पर से प्रकार पर			
श्री उक्का विकासन में हुं वार उक्केय कि या जाएगा। तिकासन में हुं पान के हुं पान के हुं पान के हुं पुर्श कर की है, असमी उक्का हुं पुर्श कर की है। या पानों में पान हों के विकास में पान हों के विकास हुं पुर्श कर की हो। के विकास हुं पुर्श का सकती है। के विकास हुं पुर्श कर की हुं पुर्श कर		लि या जाएगा	क्रनिष्ठ व्यक्तियों
विज्ञासन में हर वार उल्लेख कि या जाएगा िष्ण 2: अर्था पुर्शेष कर की है, अराजी उल्लेख कि समामती के समामती			
बार उल्लेख कि या जाएगा। क्रिक्स प्रशासक			
प्रशासक पुर्वास्त है, अवादी उच्चतर वेशी में प्रशासक पुर्वास्त वेशी में प्रमासित के विषय अपनी प्रशासक पुर्वास्त वेशी में प्रमासित के विषय अपनी परिवीधा की अपनी परिवीधा की अपनी परिवीधा की अपनी परिवीधा की अपनी स्वास्त प्राधिकारी के विषय अपना पुर्वास्त के विषय अपना पुर्वास्त के विषय अपना पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास्त पुर्वास पुर्वास पुर्वास पुर्वास पुर्वास पुर्वास पुर्वास पुर्वास पुर्वास वेशी सरकार या प्राव्य अपना के विषय अपना के विषय सरकार वा प्राव्य अपना के विषय सरकार वा प्राव्य अपना वेश सरकार वा प्राव्य अपना वा प्राप्त के विषय सरकार वा प्राव्य अपना वा प्राप्त का वा प्राप्त के विषय सरकार वा प्राव्य अपना वा प्राप्त का प्राप्त के विषय सरकार वा प्राव्य अपना वा प्राप्त का वा प्राप्त के विषय सरकार वा प्राप्त का वा प्राप्त का वा प्राप्त का वा प्राप्त के विषय सरकार वा प्राप्त का वा प्य वा प्राप्त का वा वा प्राप्त का वा वा प्राप्त का वा प्राप्त का वा वा प्राप्त क			ऐसी अर्हक या
ही पूरी कर नी है, 20 व्याप 2 : अवका पूरीपय उन्नियाय उन्नियय उन्न			पात्रता सेवा पहले
श्रिमाची अमानति के अवस्थित अपनी प्रोत्तिक के स्थानति के अवस्थित की स्थानति के सामलों में सोनति के सामलों में सोनताओं में सामलाओं में सामलाओं में सामलाओं में के विकेतानुवार कुट दी वा सकती हैं। श्रिमाची के किसी स्थान पर सामलाची के सिंदी महिता		या जाएगा।	
स्थित । जनवा मुशोय उम्मीदवारों के समित । जनवा मुशोय विश्वास की अपि से प्रान्ति के विषय अपि से प्रान्ति के समित । स्वास मुशोयकारी के विश्वास कि से से कि			6, 7, 4, 4, 6,
अन्यज्ञा सुर्योग्य जन्यज्ञा सुर्योग्य जन्यज्ञा सुर्योग्य जन्यज्ञा सुर्योग्य सामक प्राधिकारी के विवेकानुसार कुट री जा सकती है टिप्पण 3: जवन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को विवेका पर कि अनुस्रिक किसी से सरकारों या राज्ञ सरकारों या विवश्य अर्थी वा जान जाति के विपा आराज्ञ अंत्रों की सरकारों या विश्वविद्याययोग या मान्यतायाम पान्यतायाम जन्तपान संख्याओं या पत्रिकस सेकटर उपक्रमों या। अर्थ सरकारी, कानूसी या प्राव्यक्ष सेकटर उपक्रमों या। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों या। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी या स्वावस्थानी संज्ञ सेकटर उपक्रमों वा। अर्थ सरकारी, कानूसी सरकारी अधिकारी -: (का)() औ पूल संवर्ध या विभाग सें सम्पाल्य पर सम्पाल्य पर सम्पालय पर सम्पालय पर सम्पालय पर सम्पालय पर सम्पालय पर		Brum 2 .	
उम्मीदवारों के सामानों में योगवताओं में सक्षम प्राधिकारी के विकाननार कुट दी जा सकती है। रिप्पण 3: चयन के किसी स्वर पर सक्षम प्राधिकारी को वह दिश्या के किसी स्वर पर सक्षम प्राधिकारी को वह दिश्या को वह दिश्या हो जाने पर कि अनुस्थित जावि या जन जावि के लिए इन लिए जा सिता रिरिक्त को भरने के लिए इन अनुस्था अभ्या विवाद का अप्रीक्षम सक्षम के अपित्र अनुम्य या प्राव्य को अप्रीक्ष के अप्रीक्षम सक्षम वा जन जावि के लिए जारिका रिक्ति को भरने के लिए इन अनुस्थाम के अप्रीक्षम अनुभय या प्राव्य को अप्रीक्षम अनुभय या प्राव्य को अप्रीक्षम विवाद वा जन जावि के स्वाद को सक्षम अप्रीक्षम के अप्रीक्षम के अप्रीक्षम अनुभय या प्राव्य को सक्स या प्राव्य को सक्स वा प्राव्य को स्वर वा स्वाय वा स्वाय को स्वर को स्वर वा स्वाय वा स्वय को स्वर को स्वर वा सक्स वा प्राव्य को सक्स वा प्राव्य को सक्स वा प्राप्त को सक्स वा प्राव्य का सम्बद्ध प्राव्य पर पर निवास में समान्य पर समान्य का सक्स			
सामलों में योगयाओं में सामयाओं में सामयाओं में सामयाओं में सामयायों के विवेकतानुवार छूट दी जा सकती है िरमण 3: वयन के किसी स्तर पर साम प्राधिकारी तो सह विश्वास हो जाने पर ति अतुमूलित जाति या जन जाति के सामयायों को सह विश्वास हो जाने पर ति अतुमूलित जाति या जन जाति के तिया प्राप्तिकारों तो सामयायायायायायायायायायायायायायायायायायाय			
योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विविकतानुगर हुट दी जा सकती हैं। दिप्पण 3 : जबन के किसी त्वार पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्थित जाति या जन जाति के लिए इन समुताओं के अपने के लिए इन समुताओं के अपेश्वात अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुताओं के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के अप्राचित उस्मी प्राचित में पर पर मिस्सीन			परिवीक्षा की
मध्यम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा मकती है। िटप्पण 3 : जयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्तिन जाति या जन जाति के जिल्ला कार्यकि लिए कार्यकार या संघ राज्य केवी की सरकारों या विश्वविद्यानयों या मान्यता-प्राप्त लिए कार्यका रिक्तियों को भरने के लिए हन समुदावों के अपेक्षित अनुभव रखने वाल उपमीववारों की पर्यान्त संख्या उपस्था होने की संपाना मही है, तो सक्षम प्राधिकारी उन समुदायों के उपमीववारों के संभावा मही है, तो सक्षम प्राधिकारी उन समुदायों के उपमीववारों के उपमीववारों के अप्रधिकारी उन समुदायों के अप्रधिकारी उन समुदायों के अप्रधिकारी उन समुदायों के अप्रधान संस्था			अवधि
सक्षम आधिकारा के विवेकान्वार हुट दी जा सकती है। ि स्थिण 3 : चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जान पर कि अनुमुचित जाति या जन जाति के तिया आति मरकार या राज्य सरकारों या तेष राज्य को की साम्याधिकारी को यह विश्वास हो जान पर कि अनुमुचित जाति या जन जाति के तिया आरक्षित या जन जाति के तिया आरक्षित तिरुक्ति को मरने के लिए इन समुताओं के अपेशित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्वारत संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुताओं के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के			सफलतापर्वक परी
के विवेकतानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पण 3: चयन के किसी न्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्थित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित विश्वास रखने वाले उम्मीदवारों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुद्रावों के उम्मीदवारों के उपनिक्रियों को संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुद्रावों के उम्मीदवारों के			कर ली हो।
हुट दी जा सकती है। िटपण 3: चयन के किसी कर पर साक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्थित तो सकतों या संघ राज्य सकतों या संघ राज्य क्षेत्रों को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्थित तो या जत जाति के लिए आरक्षित रिक्तिजों को मरने के लिए इत सम्दायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध के सेरे अधिका अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध के कि संभावता नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इत समुद्रायों क उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के		के विवेकानुसार	6 2 11 611
िष्पण 3 : चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्रशिकारी को यह विश्वाम हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित िरिक्त के किए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखे वाले उम्मीदवारों की पर्याप संख्या उपलब्ध होने की सेभावता नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के अपेक्षित अनुभव रखं ने वाले उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के		छट दी जा सकती	
िष्पण 3 : चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्रशिकारी को यह विश्वाम हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित िरिक्त के किए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखे वाले उम्मीदवारों की पर्याप संख्या उपलब्ध होने की सेभावता नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के अपेक्षित अनुभव रखं ने वाले उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के		है। है।	प्रतिनियुक्ति ।
हिष्णा 3 : चयन के किसर पर सक्षम प्रशिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए हन समुदायों के अपिक्षत अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुद्वायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के			
हिष्णा 3 : चयन के किसर पर सक्षम प्रशिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए हन समुदायों के अपिक्षत अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुद्वायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के			संविदा सहित) या
क किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसुवित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अभितत अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना महीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के अभितत अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना महीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुश्चित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के			केंद्रीय सरकार या
को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसृचित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के		सक्षम प्राधिकारी	
हो जाने पर कि अनुस्वित जाति या जन जाति के ति सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के		को यह विश्वास	
अनुस्चित जाति या जन जाति के लिए आरक्षित िरिक्तयों को भरते के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याग्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के			
या जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सख्य प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की उप्मीदवारों की प्राप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के		या जन जाति के	
रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			उपक्रमों या अर्ध
अपक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			सरकारी, काननी
रखन याल उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			। । त्याप्रधान । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
प्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			सगठना क एस
संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के		पर्याप्त संख्या	
संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के		उपलब्ध होने की	(क)(i) जो मूल
तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के			
पर [े] नियमित समुदायों के उम्मीदवारों के			
उम्मीदवारों के आधार अधार			
उम्मादवारा क			
लिए अनभव परकायरत		उम्मीदवारों के	
		लिए अनुभव	परकायरत

						संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4 : उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।				हों;या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ में सीधी भर्ती 7 के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएं रखते हों।		
25.उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	"4* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह क, अननुसचिवी य	वेतन स्तर 10 (रु.56,100- 1,77,500) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. 80,000- रु.2,34,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	चयन	35वर्ष	(i)कंप्यूटर विज्ञान में या किसी अन्य इंजीनियरी विषय में बी.टेक या एम.टेक या एमसीए या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। (ii) कुल छह वर्षों का अनुभव (iii) संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीनवर्षों का अनुभव। टिप्पण 1:वांछित कुल अनुभव में से	लागू नहीं होता।	दोवर्ष	100% प्रोन्नतिद्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित) या आमेलन या अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नित के लिए: स्तर 7(रु. 44,900- 1,42,400) में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर तीन वर्षों की सेवा वाले उप सहायक प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) मुख्य तकनीकी	लागू नहीं होता।

दो वर्षों का	अर्हक या पात्रता अधिकारी,
अनुभव केंद्रीय	
महंगाई भत्ते या	
	है, प्रोन्नित के लिए सुरक्षा और मानक
समकक्ष	विचार किया जा प्राधिकरण- सदस्य
औद्योगिक -	रहा हो, वहाँ उनके
महंगाई भत्ते के	
वेतनमान (जो	ज्यष्ठ व्यक्तियों क (iv) अध्यक्ष
भी लागू हो) में	संबंध में भी विचार भारतीय खाद्य
निचले वेतन स्तर	किया जाएगा, सुरक्षा और मानक
में हो तथा निजी	परंतु यह तब जब प्राधिकरण द्वारा
क्षेत्र में कार्यरत	कि उसके द्वारा की नामित उपयुक्त
उम्मीदवारों के	गई ऐसी अर्हक या स्तर का एक बाहरी
मामलों में वे	
	पात्रता सेवा, विशेषज्ञ-सदस्य
पिछले दो वर्षों से	अपेक्षित अर्हक या
न्यूनतम	पात्रता सेवा के
तुलनात्मक	आधे से अधिक से
वार्षिक कंपनी का	या दो वर्ष से, इनमें
खर्च ले रहे हों,	
जिसके बारे में	से जो भी कम हो,
निर्णय सक्षम	कम न हो और
प्राधिकारी द्वारा	उन्होंने अपने ऐसे
	कनिष्ठ व्यक्तियों
लि या जाएगा	सहित,जिन्होंने
और उसका	ऐसी अर्हक या
विज्ञापन् में हर	
बार उल्लेख कि	पात्रता सेवा पहले
या जाएगा।	ही पूरी कर ली है,
	अगली उच्चतर
टिप्पण 2 :	श्रेणी में प्रोन्नति के
अन्यथा सुयोग्य	लिए अपनी
	परिवीक्षा की
उम्मीदवारों के	अवधि
मामलों में	
योग्यताओं में	सफलतापूर्वक पूरी
सक्षम प्राधिकारी	कर ली हो।
के विवेकानुसार	
छूट दी जा सकती	प्रतिनियुक्ति
ै है।	(अल्पकालिक
टिप्पण3 : चयन	संविदा सहित)
के किसी स्तर पर	या आमेलन के
VE /11/11/11/11	या जानलग क

स्था प्राणिकारी से रह स्थिया हो जाने पर कि आनुत्विका वरिते से अनुत्विका से स्था अनुत्विका से स्था से स्था अनुत्विका से स्था से स्था से स्था स्था स्था से स्था स्था स्था से स्था से स्था स्था स्था से स्था स्था से स्था से स्था स्था स्था से स्था							
श्री यह विश्वास है जाने पर वि अनुपूचिन जानि या जन जानि के किए इन गमुरावी के श्री किए इन गमुरावी के गम्मान के श्री किए इन गमुरावी के गम्मान के गम्माम के			सक्षम	म प्राधिकारी		लिए:	
है जाने पर कि अनुक्षित व्यक्ति अनुक्ष्मित व्यक्ति स्व जाति के किए आजित स्व जाति के किए कत समुद्यारों के अपितत अनुम्य स्व पर पाल उम्मीयदारों की प्रचार मंग्री प्रचार मंग्री प्रचार मंग्री प्रचार मंग्री प्रचार मंग्री प्रचार मंग्री स्व जाति के स्व प्रमाणिकारी पति सम्मान मही है, तो सं अला प्रधिकारी पति सम्मान स्व के सम्मान प्रदार मिन्सिन स्व अप्रव स्व सम्मान स्व के सम्मान स्व के सम्मान प्रद के सम्मान स्व के सम्मान प्रद के सम्मान स्व के सम्मान प्रद के सम्मान स्व के सम्मान प्रद के सम्मान प्रद के सम्मान प्रद के सम्मान स्व के सम्मान प्रद के सम्मान स्व के सम्मान प्रद के सम्मान स्व के सम्मान सम्मान स्व के सम्मान स्व के सम्मान सम्मा						केंद्रीय सरकार या	
अनुत्रशिक जाति या जज जाति के सिंग अगरिवित तिक्षिणों की भरने के लिए अगरिवित तिक्षणों की भरने के लिए इन समुद्रायों के अगरिवित अनुभव खने बाले अगरिवत अनुभव खने बाले उन्हर्मिण्यारों की पा स्वापनामामी पांचा संख्या अगरिवत अनुभव खने बाले उन्हर्मिण्यारों की पा स्वापनामामी पांचा संख्या अगरिवत अनुभव अगरिवत अनुभव संख्या निक्षण सम्बद्धानी के सेंग अधिकारी : स्वाप प्राणिकारी इन समुद्रायों के उन्हर्मिण्यारों के समुद्रायों के उन्हर्मिण्यारों के समुद्रायों के अगरिवत अनुभव संख्या नियारवाओं से अपने विकार अनुभव संख्या नियारवाओं से अपने विकार जुन्मव से अनुमान का से अपने से जुन्मव से अनुमान का से से जुन्मव से अनुमान से से जुन्मव साम्बद्धा साम्बद्धा से से के साम्बद्धा साम्बद्धा से से से के साम्बद्धा साम्बद्धा से से से से साम्बद्धा साम्बद्धा से से से साम्बद्धा साम्बद्धा से से से साम्बद्धा से से से साम्बद्धा से से से साम्बद्धा साम्बद्धा से से से से से साम्बद्धा से स							1
या जन जाति के तिए आपितित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के आपितत अनुभव समुदायों के आपितत अनुभव सकते वाले उस्मीरवसरों की प्राण्डिक सेक्टर अपितत अनुभव सकते वाले उस्मीरवसरों की प्राण्डिक सेक्टर अपितत अनुभव सकता है। सेमानवसरों की प्राण्डिक सेक्टर अप्रकार होने की संपानवसरों के संपानवसरों है। सेमानवसरों है। सिंगा में सम्मुच्या के उम्मीरवसरों के विकास में सम्मुच्या के उम्मीरवसरों के विकास सेक्टर सकता है। स्मानवा अंगे अप्रकार सुरु दे सकता है। स्मानवा औ अप्रकार सुरु दे सकता है। स्मानवा औ सम्मुच्या पर स्मानवा औ सम्मुच्या पर स्मानवा के सम्मुच्या पर स्मानवा औ सम्मुच्या पर स्मानवा औ सम्मुच्या पर पर निस्मुक्ति के सम्मुच्या पर सम्मुच्या पर							
लिए आपितन रिकियों को भरने के लिए इन समुदायों के अधितत अनुम्ब स्थाने वार्ष अभितत संख्य। उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम पाणिकारी एन समुदायों के पाणिकारी एन समुदायों के पाणिकारी एन समुदायों के जिस्मायारों के लिए अनुभव संख्यों गोम्पलाओं में आपित स्थान संख्यों गोम्पलाओं में आपित स्थित समुद्य स्थान संख्यों गोम्पलाओं में आपित स्थान स्							
रितियों को भारते के विषय क्ष स्वाप्त स्थान से स्वाप्त स्थान से स्वाप्त से स्थान से							
के लिए हुत गमुदायों के अशिकत अनुभव सको वाले उसमीववारों की पर्योग्त लंख्या उसमीववारों की पर्योग्त लंख्या उसमववारों की पर्योग्त लंख्या उसमववारों के सेवा काले सेवा का			IMU	आराक्षत ————————————————————————————————————			
समुदायों के अधित अनुभव सकते वाले उम्मीदवारों की पर्यांत ने संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्रमुदायों के उम्मीदवारों के संभावना नहीं है, तो सक्षम प्रमुदायों के उम्मीदवारों के अध्या विभाग में समहुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यतः संखी प्रोप्यताओं में अपने विकेतनसुमार हुट दे सकता है। टिप्प 4: उपरोक्त अधिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंद है कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आधार पर अत्रादिक्त आधार पर अतिरिक्त आधार पर अत्रादिक्त आधार पर अतिरिक्त आधार पर अत्रादिक्त अत्राद्ध कि स्रोधिक्त स्रोधिक्त स्रोधिक्त स्रोधिक्त स्रोधिक्त स्रोधिक्त स्वाद्ध किए विहित							
अमेतित अनुमब रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संगावना नहीं है, तो सखम प्राधिकारी इत समुदायों के समावना नहीं है, तो सखम प्राधिकारी इत समुदायों के उम्मीदवारों के तिर अनुमव संबंधी योग्यताओं में अपने विकेशनुमार छूट दे सकता है िप्पण 4: उपरोक्त शिक्षा योग्यता में स्वाप्त प्राधिकारी समावना में दे प्राप्त शिक्षा योग्यताओं से अपने विकेशनुमार छूट दे सकता है िप्पण 4: उपरोक्त शिक्षा योग्यता में स्वाप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त समावन्य सम्बद्ध पर समावन्य सम्बद्ध पर विभाग में विका सत्ता है तिप्पण 4: उपरोक्त शिक्षा योग्यता का अविषयि समावन्य पर समावन्य समावन्य पर समावन्य पर समावन्य समावन्य पर समावन्य							
प्याने वालं उपमीदवारों की पर्याण संख्या उपलब्ध होते की संप्राण संख्या उपलब्ध होते की संप्राण होते हैं, तो मध्य प्राथिकारी हैं, तो मध्य प्राथिकारी हका ममुदायों के उपमीदवारों के प्राथिकारी का ममुदायों के उपमीदवारों के जिए अनुभव संबंधी सोम्यताओं से अपने वालंक पर पर निवसित आधार परकार्यत हैं, या विकान पर निवसित आधार परकार्यत हैं, या विकान सार छूट वे तकता है विकान सार छूट वे तकता है विकान सार छूट वे तकता है विकान सार हुट वे तकता है वेतन स्तर 7 या उसके समाजूष्य पर परिवृत्ति के वालंक हैं। सार हुट वे तकता है विकान सार पर विवृत्ति के वालंक हैं। तह से विकान सार है। तह से विवृत्ति के वालंक हैं। तह से विवृत्ति के वालंक से वाल							
उम्मीदवारों की पर्योग्त संख्या उपलब्ध होने की संगवना नहीं है, तो सवा प्राणिकारी इत समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकान्तार छुट दे सकता है। दे समत्र प्राणिकारी उपलब्ध होने स्ला संवंधी योग्यताओं से अपने विवेकानुतार छुट दे सकता है। दे सकता है। दे समत्र प्राणिकार संबंधी योग्यता और अपार विभाग में वितन स्तर 7 या उसके समत्र पर सम्मित्र पर अनुभव पावता का बुनियादी समत्र है। कार्यात्मक आधार पर अविरेक्त आधार पर अविरेक्त समत्र प्रव पर समत्र पर समत्र पर स्वर्ध वेतन स्तर 7 या उसके समत्र पर समत्र समत्र पर समत्र समत्र समत्र पर समत्र समत्र समत्र पर समत्र							
अम्मिदवारों की पर्योग्त संख्या उपलब्ध होने की संपठनों के ऐसे अधिकारी -: संभावना नहीं हैं, तो सक्षम प्राधिकारी कह ने समुदायों के सम्मादायों के उम्मीदवारों के सिप्त क्षम में स्थाप के उम्मीदवारों के सिप्त क्षम मंत्रीयों के उम्मीदवारों के समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हैं रेपा विकेत मुद्दार हुट दे सकता है। िर्माण 4: उपरोक्त शिक्षक वार्या अपर अतुभव पावता का विलेश हैं के समतुल्य पद पर नियमित की समतुल्य पर परकार्यरत हैं रेपा विकास में अपने हैं के समत्र हैं सकता है। िर्माण 4: उपरोक्त शिक्षक वार्या के समतुल्य पद पर नियमित के समतुल्य पद अतिरिक्त आधार पर अतिरिक्त समाज्य की हो; और (इ) जो उत्तेष पर अतिरिक्त समाज्य के सम्भाव की हो; और (इ) जो उत्तेष पर सिप्ति के समाज्य पर स्थापित के समाज्य के सम्भाव की हो; और (इ) जो उत्तेष पर सिप्ति के सिप्त के स्थापित के						सरकारी,कानूनी	
पयान संख्या उपलब्ध होते की संभावना नहीं है, तो ताश्रम प्राधिकारी इन समुदायों के सममुख्य पद सममुख्य पद उपनीयतारों के नियमित नियसित न							
उपलब्ध होन की संभावना नहीं है, तो सबस प्राधिकारी इन संवर्ष या प्रिकारी इन समुदायों के समृत्य पर पर निविध्या नेवें श्री योग्याताओं के समृत्य पर पर निविध्या नेवें श्री योग्याताओं से समृत्य पर के स्थाप नेवें श्री योग्याताओं से समृत्य पर के सकता है। विकानमार छूट वे सकता है। विकानमार छूट ये सकता है। विश्वाया और अपने विकास से वेतन स्तर 7 या उसके सेम्या और समृत्य पर पर निव्धाया और समृत्य पर पर निव्धाया की समृत्य पर पर निव्धाया की समृत्य पर पर निव्धाया के व्याव ग्रेड में तीन वर्ष की सानवंड है। कार्यास्म आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख निव्धाया के हर से विवाद के स्वाव की हो; और सिधा सेमी के विवाद के से सेमी के विवाद के से सेमी का उल्लेख निव्धाया के होंगी, का उल्लेख निव्धाया के होंगी, का उल्लेख निव्धाया के होंगी, का उल्लेख निव्धाया के हांगी के निव्धाया के होंगी कर स्वाव के स्वाव के स्वाव के स्वाव के स्वाव की हों और स्वाव की हों कर स्वाव के स्वाव के स्वाव के स्वाव के सेमी के निव्धाया के स्वाव के स्वाव के स्वाव के सेमी के निव्धाया के स्वाव के स्वाव के स्वाव के सेमी के निव्धाया के से स्वाव के सेमी के निव्धाया के स्वाव के स्वाव के स्वाव के स्वाव के सेमी के सेमी के निव्धाया के स्वाव के स्वाव के स्वाव के सेमी के निव्धाया के स्वाव के स्वाव के सेमी के सिव्धाया के सेमी के निव्धाया के स्वाव के सेमी के सिव्धाया के सेमी के सिव्धाया के स्वाव कि स्वव के सेमी के सिव्धाया के स्वाव कि स्वव के सेमी के सिव्धाया के स्वाव के सेमी के सिव्धाया के सेमी के सिव्धाया के स्वाव के सेमी के सिव्धाया के सेमी के स्वाव के सेमी के सिव्धाया के सेमी के सेमी के सिव्धाया के सेमी के सेमी के सेमी के सिव्धाया के सेमी के स							1
संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यातओं में अपने विवेकतानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपरोक्त शिक्षक योग्यता और अपने विवेकतानुसार क्रिट अपने के विवायता और अपने विवेकतानुसार क्रिट विभाग में वितन स्तर 7 या उसके योग्यता और अनुभव पावता का युनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर नियक्ति के वाद येड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की ही; और यदि कोई होंगी, का उल्लेख विवायत हैं। स्रिंग व्याप्त में स्रिंग व्याप्त में स्रिंग व्याप्त में स्रिंग वर्ष की नियमित सेवा की ही; और विवायत की ही; और			उपल	ाब्ध होने की			
तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के जिस अनुभव संबंधी प्राप्त के जिस अनुभव संबंधी प्राप्त के विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पावता का चुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर नियुक्ति के बार ग्रंड मैं तीन वर्ष की नियमित सेवा आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लोख विवास में दर्द				-			1
प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के जिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपरोक्त शैटिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी सानदंड है। कार्यात्मक श्रधार पर कार्योरत हों,या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समहुल्य पद पर नियुक्ति के वार्यात और अनुभव पात्रता का बुनियादी सानदंड है। कार्यात्मक श्रधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विजयान में वर						(क)(।) जा मूल	1
समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुमार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपरोक्त शिक योग्यता और अनुभव पात्रता का वृत्तियदी मानदेव हैं। कार्यात्मक आधार पर जियिक के वात ग्रेड हैं। कार्यात्मक आधार पर अतिरक्त आबश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञात में ह							
उम्मीदवारों के लिए अनुसव संबंध योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त जावश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख जिल्लाम सें टर स्वर्थ किया में हो सिंध भर्ती के लिए विहित							
लिए अनुभव संबंधी योगयताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। िटपण 4: उपरोक्त शिक्षक योगयता और अनुभव पावता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अनिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापत में वर्ष			समुद	રાયા જ 			
मंबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पण 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आधार पर अतिरिक्त आधार पर अतिरिक्त आधार चें करें काव उल्लेख विवास में हैं होंगी, का उल्लेख						पर नियमित	
में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। िटपण 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख						आधार	
विवेकानुसार छूट दे सकता है। िटपण 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्योत्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख						परकार्यरत	
विवकानुसार छूट दे सकता है। (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 7 या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा का ब्रांट्सिक्त आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख						हों:या	
िष्पण 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख							
िटप्पण 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख			दे सब	कता है।			
12 प्या 4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विचापन में उर							
उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख			िष्य	TUT 4.		विभाग में	
योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख						वेतन स्तर 7	
पायता आर अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख						या उसके	1
पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पर अतिरिक्त आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख							1
बाद ग्रेड में मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख							
तीन वर्ष की नियमित सेवा पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख							1
पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख							1
भर आतारक आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विचापन में दर							1
यदि कोई होंगी, का उल्लेख विचापन में हर							1
ना उल्लेख सीधी भर्ती के लिए विहित			आवः	श्यकताओं,			
ना उल्लेख का उल्लेख विचायन में दर			ਸ਼ਿੰਦ	कोर्ट होंगी		(ख) जो स्तंभ 7 में	
विचापन में दर						सीधी भर्ती के	
			विज्ञ	।पन म हर		शैक्षिक	

बार कि या योग्यताएँ जाएगा। रखते हों। 26.सहायक प्रबंधक ''10* साधारण बेतन स्तर 07 चयन 30वर्ष (i) कंप्यटर लागू नहीं 2 वर्ष 95%सीधी भर्ती प्रोन्नति के लिए चयनसमिति ि	
20	
(स्वनाप्रोचोगिकी) (2018)* केंद्रीयसेवा, प्रमुख अनुमाविवी प्राप्त प्रमुख अनुमाविवी प्राप्त स्वाप्त केंद्रीय प्रमुख अनुमाविवी प्राप्त स्वाप्त केंद्रीय प्राप्त केंद्रीय महास्का प्राप्त स्वाप्त केंद्रीय महास्का प्राप्त स्वाप्त केंद्रीय महास्का प्राप्त स्वाप्त केंद्रीय महास्का अनुमाव केंद्रीय महास्का केंद्	क द्यकक्षकी द्यका द्यक री ो री द्यक

	खर्च ले रहे हों,	उन्होंने अपने ऐसे
		कनिष्ठ व्यक्तियों
	जिसके बारे में	सहित,जिन्होंने
	निर्णय सक्षम	
	प्राधिकारी द्वारा	ऐसी अर्हक या
	लिया जाएगा	पात्रता सेवा पहले
	और उसका	ही पूरी कर ली है,
	विज्ञापन् में हर	अगली उच्चतर
	बार उल्लेख कि	श्रेणी में प्रोन्नति के
	या जाएगा।	लिए अपनी
		परिवीक्षा की
	टिप्पण2 : अन्यथा	अवधि
	सुयोग्य	सफलतापूर्वक पूरी
	उम्मीदवारों के	कर ली हो।
	मामलों में	
	योग्यताओं में	प्रतिनियुक्ति
	सक्षम प्राधिकारी	(अल्पकालिक
	के विवेकानुसार	संविदा सहित) या
	छूट दी जा सकती	आमेलन के लिए:
	छूट दी जा सकती है।	केंद्रीय सरकार या
		राज्य सरकारों या
	टिप्पण3 :चयन के	संघ राज्य क्षेत्रों
	किसी स्तर पर	की सरकारों या
	सक्षम प्राधिकारी	विश्वविद्यालयों या
	को यह विश्वास	मान्यता-प्राप्त
	हो जाने पर कि	अनुसंधान संस्थाओं
	अनुसूचित जाति	या सार्वजनिक क्षेत्र
	या जन जाति के	के उद्यमों या अर्ध
	लिए आरक्षित	सरकारी,वैधानिक
	रिक्तियों को भरने	
	के लिए इन	या स्वायतशासी
	समुदायों के	संगठनों के ऐसे
	अपेक्षित अनुभव	अधिकारी -:
	रखने वाले	(क)(i) जो मूल
	उम्मीदवारों की	संवर्ग या
	पर्याप्त संख्या	विभाग में
	उपलब्ध होने की	समतुल्य पद
	संभावना नहीं	पर नियमित
	4.11.4.11.161	आधार

						है,तो सक्षम प्राधिकारी इन				परकार्यरत हों;या		
						समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं				(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 6		
						में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।				या उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के		
						टिप्पण4ः उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव				बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
						पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक				का हा, आर ख) जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित		
						आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी,				शैक्षिक योग्यताएँ रखते हों।		
						वाद काइ हागा, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या						
27.सूचनाप्रौद्योगिकीसहाय क	''6* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग	वेतन स्तर 06 (रु.35,400- 1,12,400)	लागू नहीं होता।	30वर्ष	जाएगा। (i) स्नातक टिप्पणःउपरोक्त शैक्षिक योग्यता	लागू नहीं होता।	दोवर्ष	100%सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) निदेशक- भारतीय खाद्य	लागू नहीं होता।
		अननुसचिवी य	या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. 50,000-			और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर					सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष	
			1,50,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक			अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख					(ii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक	

						विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।					प्राधिकरण- सदस्य (iii) उप निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणसदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी	
28.प्रधान प्रबंधक	"1* (2018)"	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह क, अननुसचिवी य	वेतन स्तर 13 (रु.1,23,100- 2,15,900) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.1,65,000- रु.2,80,000 के बीच समेकित	लागू नहीं होता।	50वर्ष	मान्यता- प्राप्तविश्वविद्याल य या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के	लागू नहीं होता	1 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण -अध्यक्ष (ii)कार्यकारीविदेश क, भारतीय खाद्य	लागू नहीं होता।
			पारिश्रमिक			साथ एमबीए या किसी मान्यता- प्राप्तविश्वविद्याल य या संस्थान से सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री					सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य	

या डिप्लोमा। (ii) संबंधितक्षेत्र में सोलह वर्षों का अनुभव	
(ii) संबंधितक्षेत्र में सोलह वर्षों का कल्याण मंत्र	
सोलह वर्षों का कल्याण मंद	
	الاست
	।। लय स
	तेनिधि-
	ara-
टिप्पण1 :वांछित	
कुल अनुभव में से दो वर्षों का (v)	अध्यक्ष
	खाद्य
महंगाई भत्ते या सुरक्षा और	
प्राधिकरण	द्वारा
औद्योगिक नामित उ	
वितनमान (जो स्वरंका एव	
भी लागू हों) में	स् य
निचले वेतन स्तर	
में हो तथा निजी	
क्षेत्र में कार्यरत	
उम्मीदवारों के	
मामलों में वे	
पिछले दो वर्षों से	
तुलनात्मक	
वार्षिक कंपनी का	
खर्च ले रहे हों,	
जिसके बारे में	
निर्णय सक्षम	
प्राधिकारी द्वारा	
लि या जाएगा	
और उसका	
विज्ञापन में हर	
बार उल्लेख कि	
या जाएगा।	
टिप्पण2 :अन्यथा	
सुयोग्य	
उम्मीदवारों के	
मामलों में	

योग्यताओं में
सक्षम प्राधिकारी
के विवेकानुसार
छूट दी जा सकती है।
है।
टिप्पण 3: चयन
के किसी स्तर पर
सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास
हो जाने पर कि
अनुसूचित जाति
जनुसूर्यं जाति ।
या अनुसूचित जनजाति के लिए
आरक्षित रिक्तियों
को भरने के लिए
इन समुदायों के
इन समुदाया क
अपेक्षित अनुभव रखने वाले
उम्मीदवारों की
पर्याप्त संख्या
उपलब्ध होने की
संभावना नहीं है,
तो सक्षम
प्राधिकारी इन
समुदायों के
उम्मीदवारों के
लिए अनुभव
संबंधी योग्यताओं
में अपने
विवेकानुसार छूट
दे सकता है।
टिप्पण4: उपरोक्त
शैक्षिक योग्यता
और अनुभव
पात्रता का

29. वरिष्ठ प्रबंधक	"2*	साधारण	वेतन स्तर 12	चयन	50वर्ष	बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।	लागू नहीं	एक वर्ष	(i) 75% सीधी भर्ती	प्रोन्नति के लिए∶	चयनसमिति जिसमें	लागू
	(2018)"	केंद्रीयसेवा, समूह क अननुसचिवी य	पतम स्तर 12 (रु.78,800- 2,09,200) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.1,10,000- रु.2,75,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक			प्राप्तविश्वविद्याल य या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए या किसी मान्यता- प्राप्तविश्वविद्याल य या संस्थान से सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। (ii) संबंधित क्षेत्र में दस वर्षों का अनुभव	लागू नहीं होता।		(ii) 25% प्रोन्नितिद्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित)/आमेल न द्वारा।	स्तर 11(र. 67,700-2,08,700) में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पाँच वर्षों की सेवा वाले प्रबंधक। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्निति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) निदेशक- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iv) निदेशक- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (iv) निदेशक,	नहीं होता।

कुल अनुस्त्र से में से वर्ण का अनुस्त्र के हैं हैं। स्वर्ण का अनुस्त्र के हैं हैं। स्वर्ण का अनुस्त्र के हैं हैं। से स्वर्ण का अनुस्त्र के हैं हैं। से			
ते वर्षा से अधिक से आफ से अधिक से आफ से अधिक से आफ से अधिक से सामक आफ से से अधिकरण - सदस्य पामक अधिकरण - सदस्य पामक से आप से से अधिकरण - सदस्य पामक से आप से कारण के सामक से आप से अधिकरण - सदस्य पामक से अधिकरण - सदस्य पामक से सामक से से सामक से		कुल अनुभव में से	अपेक्षित अर्हक या भारतीय खाद्य
अनुमन बेडीय महोतार ये पासकर अधीमिक से प्राचिकरण- सदस्य महोतार ये पासकर अधीमिक से हो, पर अध्यक्ष अधीमिक से हो, कि में हो हो में कि से हों में हैं, अधीम उच्चत हैं हो पूरी कर ती है, अधीम उच्चत हैं हो पूरी कर ती है, अधीम उच्चत हैं हो पूरी कर ती है, अधीम उच्चत हैं हो है हो		दो वर्षों का	
सहँगाई भरते या समकक्ष अंद्योगिक महंगाई भरते के वेदनमान (जो भी लागू हों) में सिना महंगाई भरते के वेदनमान (जो भी लागू हों) में निचके वेदान स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यत क्षित महंगाई भरते के पात्र में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यत क्षेत्र में कार्यत क्ष्मी में महंगाई में निचके वेदान स्तर में हो तथा निजी क्षेत्र में कार्यत क्ष्मी में महंगालि के पाद्यत में वेदा पाद्यत में वेदा क्षमी में महंगालि के निव्यत मानती ज्यादम स्तर का एक बाहरी विभोगत-सद्यय विभोगत-सद्यय स्थान में हर स्वात में कार्यत क्षमी में महंगालि के लिए अपनी पश्चित्रा की अविधि सफलतापूर्वक प्री किरोक कोर में रिजीय महस्स पाधिकारी द्वारा लिया जाएवा और उसका विजापन में हर बार उसकी कराय के सिक्ष् वारायन के सिक्ष विवारायन वारायन के सिक्ष विवारायन के सिक्ष विवारायन वारायन के सिक्ष विवारायन के सिक्ष विवारायन वारायन के सिक्ष विवारायन वारायन के सिक्ष विवारायन के सिक्ष विवार करिया विवारयन के सिक्ष विवार करिया वार के सिक्ष विवार करिया विवार करिया वि		अनुभव केंद्रीय	
सं जो भी कम हो, (v) अध्यक्ष, क्षाना हो और अस्तर्ग के वित्तमान (जो वित्तमान (जे वित			
अंद्योगिक महें ते से सहें के विकास किया है। प्राप्त के विकास कर है। के प्राप्त के प्राप्			
महंगाई भरते के वेतनमान (वी पीता क्षणि प्राप्तीय बाज पुराक्षा और मानक पुराक्षा के तिन्य निवास की पीता हों) में तिन्य ने वेतन स्मर में हो त्वा निवी अंत में कार्यत्व प्राप्तीय बाज प्राप्तीय बाज प्राप्तीय विशेष अहंक या पावता स्वा पहले ही पूरी कर ली है, प्राप्तीय के मानकों में वेतन के तिया निवी प्राप्तीय के मानकों में प्राप्तीय के तिया निवी प्राप्तीय के तिया निवी के त्या निवी के त्या निवी के त्या के तिया के तिया अपनी प्राप्तीय की वार्षिक कंपनी का वार्षिक के तरे हैं, जिनके निवी सकम प्राप्तिया की तिया प्राप्तीय की तिया के तिया काण्या के तिया वार्षिक के तरे हैं, विनक्ष निवी का वार्षिक के तरे हैं, विनक्ष निवी का वार्षिक की तरे हैं हैं, विनक्ष निवी का वार्षिक की तरे हैं विवी के तरे हैं, विनक्ष निवी का वार्षिक की तरे हैं हैं, विनक्ष निवी का वार्षिक की तरे हैं विवी के तरे हैं विवी के तरे हैं हैं, विवी के तरे हैं हैं के तरे हैं विवी के तरे हैं हैं के तरे हैं विवी के तरे हैं हैं हैं के तरे हैं विवी के तरे हैं हैं हैं हैं के तर की हैं			
वेतनमान (जो नेतिय स्वित्त वित्त के स्वति के स्वित्त वित्त के स्वति के स्वति के सिहत जिहतें ने एसी अर्हत वा से सहत जिहतें ने एसी अर्हत वा से सहत जिहतें ने एसी अर्हत वा सामत उपयुक्त स्वत के सामता में के सिहत वा से सामता में के सिहत वा से से सिहत के से स्वत के से स्वत के से समता में के सामता में के सामता में के सिहत वा स्वत के स्वत के स्वत के से स्वत के से से सिहत के सामता में से सिहत के सामता में से सिहत के			कम न हो और भारतीय खाद्य
भी नाग् हों) में विवसं बेतन स्तर में हो तथा निवी से हो तथा निवी तेष में कार्यरत उम्मीदवारों के मामानों में बे पिछले दो वणों से पिछले दो वणों से ल्यूनतम वुलनासक वार्षिक कंपनी का वर्ष में हैं, जिनके बारे में निर्णय सक्षम प्राविकारण वेष पा जाएगा और उसका विज्ञा कहे विज्ञा का विज्ञापम के विषय जाएगा और उसका विज्ञापम के विज्ञा के विज्ञापम के विज्ञापम के विश्व वार्षा के विवर्ष अपनी परिवीधा की अवधि सफततापूर्वक पूरी कर ली हो। विश्व सक्षम प्राविकारी हार। विज्ञापम के विज्ञ			उन्होंने अपने ऐसे सरक्षा और मानक
निवास वेवता स्वर में हीतथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले यो वार्य में स्वर्तन में हैं तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले यो वार्यों से स्वृत्ततम तुलतात्मक वार्यिक कैपनी का व्यर्ज के रहे हीं, विकाक बारे में निजय सक्षम प्राधिकारी द्वारा कि या जाएगा और रक्षमा विवासन में हर वार उल्लेख किया जाएगा। स्विप्ता स्वित्र प्राप्ता सिहत या वार्यक के लिए प्राप्ति प्रित्तिवृत्ति (अस्पाविध संविदा सिहत) या वार्यक के लिए प्राप्तिवृत्ति (अस्पाविध संविदा सिहत) या वार्यक के लिए प्राप्ति वार्य			latita antique l
भेत्र में कार्यता श्रेत्र में कार्यता श्रेत्र में कार्यता श्रमीदवारों के मामलों में वे शिखले दो वध्यों से ल्यूनतम वार्षिक कंपनी का खर्ज के रहे हों, शिसके वार्षिक कंपनी का शिष्ठ वार्षिक कंपनी का शिष्ठ वार्षिक कंपनी का शिष्ठ वार्षिक कंपनी का शिष्ठ वार्षिक कंपनी के किए बार्य अलेख किया शाहणा। टिप्पण 2 :अल्यथा सुत्यों व्याप्त संस्था या स्थापा वार्षिक कंपनी वार्षिक वार्यक वार्			
श्रेण में कार्यपत उम्मीदिवाल के मामलों में के पिछले दो वर्षों से स्कृततम तुलनात्मक वर्षा के रहे हों, जिसके कंपनी का वर्षा के रहे हों, जिसके वारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा वि या जाएगा और उनका विज्ञापन में हर वार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा स्वीयय उम्मीदिवारों के मामलों में योग्याओं में सक्षम प्राधिकारी के सिष्			ोगी अर्टक गा
उम्मीदवारों के मामलों में वे पिछले दो वर्षों से पूजतम तुलवात्मक वार्षिक कंपनी का वर्ष ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्रथिकारी द्वारा विजापन में हर वर उल्लेख किया जाएगा टिप्पच 2 :अन्यथा सुलोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में माभलों में विवेकान्सार			
प्रामानों में वे पिछले दो वर्षों से प्यानतम तुननात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्रक्रिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विजापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा रिष्पण 2:अन्यथा सुयोगय उम्मीदवारों के मामनों में योगदताओं में सक्षमाधिकारी के विवेकानसार			
पिछले दो वर्षों से न्यूनतम त्लनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उकलेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में सोभदाओं में सक्षम प्राधिकारी। के विवेकात्मार			हा पूरा कर ला ह,
न्यूनतम तुवनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च के रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2:अन्यथा सुबीन्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			अगली उच्चतर
तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदबारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकान्सार			श्रेणी में प्रोन्नति के
तुलनात्मक वार्षिक कंपनी का खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर वार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2:अन्यथा सुभोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुमार			लिए अपनी
खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विजापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
खर्च ले रहे हों, जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। और उसका विजापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकात्सार		वार्षिक कंपनी का	अवधि
जिसके बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लि या जाएगा और उसका विजापन में हर वार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार		बर्च ले रहे हों.	
निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा टिप्पण 2:अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उसका विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2:अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			1, 11, 611
लि या जाएगा और उसका विज्ञापन में हर वार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
और उसका विज्ञापन में हर वार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
विज्ञापन में हर बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2:अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
बार उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा स्योग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			सहित) या आमेलन
जाएगा। टिप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			के लिए
िटप्पण 2 :अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
राज्य सरकारों या सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			केंद्रीय सरकार या
संघ राज्य क्षेत्रों उम्मीदवारों के मामलों में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
ती सरकारों या विश्वविद्यालयों या योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
विश्वविद्यालयों या योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
याग्यताआ म सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
सक्षम प्राधिकारा के विवेकानुसार अनुसंधान संस्थाओं		योग्यताओं में	
के विवेकानुसार		सक्षम प्राधिकारी	
छट दी जा सकती या पाब्लक सक्टर		के विवेकानुसार	
		छट दी जा सकती	
उपक्रमी या अर्ध		छूट दी जा सकती है।	उपक्रमों या अर्ध
हिप्पण 3: चयन सरकारी,कानूनी		िटिप्पण 3. चयन	सरकारी,कानूनी
के किसी स्तर पर			या स्वायतशासी
संगठनों के ऐसे			

सक्षम प्राधिकारी	अधिकारी -:
को यह विश्वास	(क)(i) जो मूल
हो जाने पर कि	संवर्ग या
अनुसूचित जाति	तिथा या विभाग में
या अनुसूचित	समतुल्य पद
जनजाति के लिए	पर नियमित
आरक्षित रिक्तियों	अधार
को भरने के लिए	आवार परकार्यरत
इन समुदायों के	
अपेक्षित अनुभव	हों;या
रखने वाले	(ii) जिन्होंने मूल
उम्मीदवारों की	संवर्ग या
पर्याप्त संख्या	विभाग में
उपलब्ध होने की	वेतन स्तर 11
संभावना नहीं है,	या उसके
तो सक्षम	समतुल्य पद
प्राधिकारी इन	पर नियुक्ति के
प्राधिकारा इन समुदायों के	पश्चात ग्रेड में
समुदाया क उम्मीदवारों के	पाँच वर्ष की
लिए अनुभव	नियमित सेवा
सिबंधी योग्यताओं	की हो; और
संबंधी योग्यताआ	
विवेकानुसार छूट	ख) जो स्तंभ 7 में
दे सकता है।	सीधी भर्ती के
द सकता हा	लिए विहित
	शैक्षिक
टिप्पण4: उपरोक्त	योग्यताएँ
शैक्षिक योग्यता	रखते हों।
और अनुभव	
पात्रता का	
बुनियादी मानदंड	
है। कार्यात्मक	
आधार पर	
अतिरिक्त	
आवश्यकताओं,	
यदि कोई होंगी,	
का उल्लेख	
विज्ञापन में हर	

	T	1	T	ı	1		1	ı		T	Т	<u> </u>
						बार कि या						
						जाएगा।						
30.प्रबंधक	"8*	साधारण	वेतन स्तर 11	चयन	35वर्ष	मान्यता-प्राप्त	लागू नहीं	दोवर्ष	i) 75% सीधी भर्ती	प्रोन्नति के लिए	चयनसमिति जिसमें	लागू
	(2018)"	केंद्रीय सेवा,	(रु.67,700-			विश्वविद्यालय	होता।		द्वारा	स्तर 10(र <u>ु</u> .	निम्नलिखित होंगे:	नहीं
	, ,	समूह क				या संस्थान से			(ii) 25% प्रोन्नति	`	(i) मुख्य कार्यकारी	होता।
			2,08,700)			पत्रकारिता या जन संचार या			द्वारा, ऐसा न हो	56,100-	अधिकारी,भारतीय	
		अननुसचिवी	या 			जन संपर्क में जन संपर्क में			सकने पर	1,77,500)ਥੇਂ	खाद्य सुरक्षा और	
		य	अनुभव के वर्षों			स्नातकोत्तर डिग्री			प्रतिनियुक्ति	नियुक्ति के बाद	मानक प्राधिकरण -	
			के आधार पर			या डिप्लोमा			(अल्पकालिक संविदा	नियमित आधार	अध्यक्ष	
			रु.95000-			(पूर्णकालिक			सहित)/आमेलन	पर पाँच वर्षों की	(ii)	
			र.270000 के			पाठ्यक्रम) या			द्वारो।	सेवा वाले उप	कार्यकारीनिदेशक,	
			बीच समेकित			विपणन में				प्रबंधक।		
			पारिश्रमिक			विशेषज्ञता के				टिप्पण1 : जहाँ	भारतीयखाद्य सुरक्षा और मानक	
						साथ एमबीए				ऐसे कनिष्ठ		
						या				व्यक्तियों के संबंध	प्राधिकरण - सदस्य	
						किसी मान्यता- प्राप्तविश्वविद्याल				में, जिन्होंने अपनी	(:::) 	
						य या संस्थान से				्र अर्हक या पात्रता	(iii) सलाहकार,	
						सामाजिक कार्य				सेवा पूरी कर ली	भारतीय खाद्य	
						या मनोविज्ञान				है, प्रोन्नति के लिए	सुरक्षा और मानक	
						या श्रम और				विचार किया जा	प्राधिकरण - सदस्य	
						समाज कल्याण में				रहा हो, वहाँ उनके		
						स्नातकोत्तर डिग्री				ज्येष्ठ व्यक्तियों के	(iv)अध्यक्ष	
						या डिप्लोमा।				संबंध में भी विचार	भारतीय खाद्य	
										किया जाएगा,	सुरक्षा और मानक	
						या				परंतु यह तब जब	प्राधिकरणद्वारा	
						किसी मान्यता-				कि उसके द्वारा की	नामित उपयुक्त	
						प्राप्तविश्वविद्याल य या संस्था से				गई ऐसी अर्हक या	स्तर का एक बाहरी	
						य या संस्था स पुस्तकालय				पात्रता सेवा,	 विशेषज्ञ-सदस्य	
						विज्ञान या				अपेक्षित अर्हक या		
						पुस्तकालय और				पात्रता सेवा के		
						सूचना विज्ञान में				आधे से अधिक से		
						स्नातकोत्तर				या दो वर्ष से, इनमें		
						उपाधि।				से जो भी कम हो,		
										कम न हो और		

(ii) संबंधित क्षेत्र	उन्होंने अपने ऐसे
	कनिष्ठ व्यक्तियों
में आठ वर्षों का	
अनुभव।	सहित,जिन्होंने
	ऐसी अर्हक या
टिप्पण 1 :वांछित	पात्रता सेवा पहले
कुल अनुभव में से	ही पूरी कर ली है,
दो वर्षों का	अगली उच्चतर
	श्रेणी में प्रोन्नति के
अनुभव केंद्रीय	
महंगाई भत्ते या	लिए अपनी
समकक्ष	परिवीक्षा की
औद्योगिक	अवधि
महंगाई भत्ते के	सफलतापूर्वक पूरी
वेतनमान (जो	कर ली हो।
भी लागू हों) में	
निचले वेतन स्तर	प्रतिनियुक्ति
में हो तथा निजी	(अल्पकालिक
क्षेत्र में कार्यरत	(अल्पकार्यक
उम्मीदवारों के	संविदा सहित्)
मामलों में वे	या आमेलन के
पिछले दो वर्षों से	लिए:
	केंद्रीय सरकार या
न्यूनतम	राज्य सरकारों या
तुलनात्मक	संघ राज्य क्षेत्रों की
वार्षिक कंपनी का	सरकारों या
खर्च ले रहे	विश्वविद्यालयों या
हों,जिसके बारे में	मान्यता-
निर्णय सक्षम	प्राप्तअनुसंधान
प्राधिकारी द्वारा	संस्थाओं या
लिया जाएगा और	पब्लिक सेक्टर
उसका विज्ञापन में	उपक्रमों या अर्ध
हर बार उल्लेख	
	सरकारी,कानूनी
कि या जाएगा।	या स्वायतशासी
	संगठनों के ऐसे
टिप्पण 2 :अन्यथा	अधिकारी -:
स्योग्य	(क)(i) जो मूल
उम्मीदवारों के	
मामलों में	संवर्ग या
योग्यताओं में	विभाग में
सक्षम प्राधिकारी	समतुल्य पद
सदाम प्राधिकारा	

के विवेकानुसार	पर नियमित
छुट दी जा सकती	आधार
छूट दी जा सकती है।	परकार्यरत
	हों;या
टिप्पण 3: चयन	(ii) जिन्होंने मूल
के किसी स्तर पर	संवर्ग या
सक्षम प्राधिकारी	विभाग में
को यह विश्वास	वेतन स्तर 10
हो जाने पर कि	
अनुसूचित जाति	या उसके
या अनुसूचित	समतुल्य पद
जनजाति के लिए	पर नियुक्ति के
आरक्षित रिक्तियों	पश्चात ग्रेड में
	पाँच वर्ष की
को भरने के लिए	नियमित सेवा
इन समुदायों के	की हो; और
अपेक्षित अनुभव	
रखने वाले	ख) जो स्तंभ 7 में
उम्मीदवारों की	सीधी भर्ती के
पर्याप्त संख्या	लिए विहित
उपलब्ध होने की	शैक्षिक
संभावना नहीं है,	योग्यताएँ
तो सक्षम	रखते हों।
प्राधिकारी इन	
समुदायों के	
उम्मीदवारों के	
लिए अनुभव	
संबंधी योग्यताओं	
में अपने	
विवेकानुसार छूट	
दे सकता है।	
व समापा हा	
टिप्पण4 : उपरोक्त	
शैक्षिक योग्यता	
और अनुभव	
पात्रता का	
बुनियादी मानदंड	
है। कार्यात्मक	

[PART III—SEC. 4]

78

	किसी मान्यता	अपेक्षित अर्हक या
	प्रदत्त	पात्रता सेवा के
	विश्वविद्यालय	आधे से अधिक से
	या संस्था से	
		या दो वर्ष से, इनमें
	पुस्तकालय	से जो भी कम हो,
	विज्ञान या	कम न हो और
	पुस्तकालय और	उन्होंने अपने ऐसे
	सूचना विज्ञान में	कनिष्ठ व्यक्तियों
	स्नातकोत्तर	
	उपाधि।	सहित,जिन्होंने
	(ii) संबंधित क्षेत्र	ऐसी अर्हक या
	में छह वर्षों का	पात्रता सेवा पहले
	अनुभव।	ही पूरी कर ली है,
	अगुमया	अगली उच्चतर
		श्रेणी में प्रोन्नति के
	टिप्पण 1 :वांछित	
	कुल अनुभव में से	लिए अपनी
	दो वर्षों का	परिवीक्षा की
	अनुभव केंद्रीय	अवधि 🛒
	महंगाई भत्ते या	सफलतापूर्वक पूरी
	समकक्ष	कर ली हो।
	औद्योगिक	
	महंगाई भत्ते के	प्रतिनियुक्ति
	वेतनमान (जो	(अल्पकालिक
	भी लागू हों) में	संविदा सहित)
	निचले वेतन स्तर	या आमेलन के
	में हो तथा निजी	निए:
	म हा तथा । नजा	केंद्रीय सरकार या
		राज्य सरकारों या
	उम्मीदवारों के	संघ राज्य क्षेत्रों की
	मामलों में वे	
	पिछले दो वर्षों से	सरकारों या
	न्यूनतम	विश्वविद्यालयों या
	तुलनात्मक	मान्यता-प्राप्त
	वार्षिक कंपनी का	अनुसंधान संस्थाओं
	खर्च ले रहे हों,	या पब्लिक सेक्टर
	जिसके बारे में	उपक्रमों या अर्ध
	निर्णय सक्षम	सरकारी,कानूनी
	प्राधिकारी द्वारा	या स्वायतशासी
	लिया जाएगा और	संगठनों के ऐसे
	ाराया गाएगा जार	41511 11 34

उसका विज्ञापन में	अधिकारी -:
हर बार उल्लेख	(क)(i) जो मूल
कि या जाएगा।	संवर्ग या
·	सवग या विभाग में
टिप्पण 2 :अन्यथा	
	समतुल्य पद
सुयोग्य	पर नियमित
उम्मीदवारों के	आधार
मामलों में	परकार्यरत
योग्यताओं में	हों;या
सक्षम प्राधिकारी	(ii) जिन्होंने मूल
के विवेकानुसार	संवर्ग या
छूट दी जा सकती है।	विभाग में
है।	वेतन स्तर 7
	या उसके
टिप्पण 3: चयन	समतुल्य पद
के किसी स्तर पर	पर नियुक्ति के
सक्षम प्राधिकारी	पश्चात ग्रेड में
को यह विश्वास	पश्चात ग्रह म तीन वर्ष की
हो जाने पर कि	नियमित सेवा
अनुसूचित जाति	
या अनुसूचित	की हो; और
जनजाति के लिए	ख) जो स्तंभ 7 में
आरक्षित रिक्तियों	सीधी भर्ती के लिए
को भरने के लिए	विहित शैक्षिक
इन समुदायों के	योग्यताएँ रखते
अपेक्षित अनुभव	हों।
रखने वाले	
उम्मीदवारों की	
पर्याप्त संख्या	
उपलब्ध होने की	
संभावना नहीं है,	
तो सक्षम	
प्राधिकारी इन	
समुदायों के	
उम्मीदवारों के	
लिए अनुभव	
संबंधी योग्यताओं	
में अपने	

						विवेकानुसार छूट दे सकता है।						
						टिप्पण4: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव पात्रता का बुनियादी मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई होंगी, का उल्लेख विज्ञापन में हर बार कि या जाएगा।						
32.सहायकप्रबंधक	"8* (2018)"	साधारण केंद्रीयसेवा, समूह ख अननुसचिवी य	वेतन स्तर 07 (रु.44,900- 1,42,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.60,000- रु.1,86,000 के बीच समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं होता।	30वर्ष	क(i) मान्यता- प्राप्तविश्वविद्याल य या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए या (ii) किसी मान्यता- प्राप्तविश्वविद्याल य या संस्थान से सामाजिक कार्य	लागू नहीं होता।	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	चयनसमिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (i) कार्यकारीनिदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष (ii) निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii)मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं होता।

या मनोविज्ञान
या श्रम और
समाज कल्याण में
स्नातकोत्तर डिग्री
या डिप्लोमा।
या
ख.(i) किसी
मान्यता-
प्राप्तविश्वविद्याल
य या संस्था से
पुस्तकालय
विज्ञान या
पुस्तकालय और
सूचना विज्ञान में
स्नातक की
उपाधि।
अपाधा
(ii) केंद्रीय या
राज्य सरकार या
स्वायतशासी या
स्वायरासास या
कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर
या पोब्लक सक्टर
उपक्रम या
विश्वविद्यालय के
पुस्तकालय में दो
पुस्तकालय में दो वर्षों का पेशेवर
अनुभव।
टिप्पण 1 :वांछित
कुल अनुभव में से दो वर्षों का
हो वर्षों का
अनुभव केंद्रीय
अनुभव केंद्रीय महंगाई भत्ते या
महगाइ मत्त या
समकक्ष
औद्योगिक

महंगाई भत्ते के
वेतनमान (जो
भी लागू हों) में
निचले वेतन स्तर
में हो तथा निजी
क्षेत्र में कार्यरत
उम्मीदवारों के
मामलों में वे
पिछले दो वर्षों से
न्यूनतम
तुलनात्मक
वार्षिक कंपनी का
खर्च ले रहे हों,
जिसके बारे में
निर्णय सक्षम
प्राधिकारी द्वारा
लिया जाएगा और
उसका विज्ञापन में
हर बार उल्लेख
किया जाएगा।
टिप्पण 2 :अन्यथा
सुयोग्य उम्मीदवारों के
। अम्मादवारा क
योग्यताओं में
सक्षम प्राधिकारी
के विवेकानुसार
छूट दी जा सकती है।
टिप्पण 3: चयन
के किसी स्तर पर
सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास
हो जाने पर कि
अनुसूचित जाति
या अनुसूचित

	जनजाति के लिए		
	आरक्षित रिक्तियों		
	को भरने के लिए		
	इन समुदायों के		
	अपेक्षित अनुभव		
	रखने वाले		
	उम्मीदवारों की		
	पर्याप्त संख्या		
	उपलब्ध होने की		
	संभावना नहीं		
	है,तो सक्षम		
	प्राधिकारी इन		
	समुदायों के उम्मीदवारों के		
	उम्मीदवारों के		
	लिए अनुभव		
	संबंधी योग्यताओं		
	में अपने		
	विवेकानुसार छूट		
	दे सकता है।		
	टिप्पण4: उपरोक्त		
	शैक्षिक योग्यता		
	और अनुभव		
	पात्रता का		
	बुनियादी मानदंड		
	है। कार्यात्मक		
	आधार पर		
	अतिरिक्त		
	आवश्यकताओं,		
	यदि कोई होंगी,		
	का उल्लेख		
	विज्ञापन में हर		
	बार किया		
	जाएगा।		

^{*}कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

No.12/01/2010-Admn.FSSAI.— Whereas certain draft of the Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2018 were published, as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India, No.F.No.12/01/2010-Admn.FSSAI, dated 7th February, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 dated 8th February, 2018 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of thirty days from the date of publications of the said regulations in the official Gazette;

And whereas, objections and suggestions received from public have been duly considered and suitable provisions have been incorporated to the extent admissible;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section 2 of section 92 read with sub-section (2) and (3) of section 9 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Authority, with the previous approval of the Central Government hereby makes following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement. -(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) They shall apply to posts specified in the Schedule annexed to these regulations.
- 2. Definitions.-

In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);
- (b) "Central Government" means the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;
- (c) "Age" means the upper age limit as specified in the Schedule;
- (d) "Appointing and Disciplinary Authority" in relation to any post under the Food Authority means, -

- (i) the Chairperson of the Authority in respect of all Group 'A' posts of the level 14 (144200-218200) in the pay matrix; and above but does not include the Chief Executive Officer;
- (ii) the Chief Executive Officer of the Authority in respect of all Group 'A' posts of the level less than 14(Rs.144200-218200) in the pay matrix;
- (iii) the Executive Director of the Authority in respect of all Group 'B' posts; and
- (iv) the Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters or Regional Offices or Laboratories of the Food Authority in respect of all sanctioned posts equivalent to Group 'C' under their respective jurisdiction;
- (e) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Food Authority;
- (f) "Candidate" means the person who is eligible for consideration against any of the posts specified in the Schedule of these regulations;
- (g) "Contract employee" means an employee whose employment is on contract basis for a specific period;
- (h) "Committee" means and includes Search cum Selection Committee, Departmental Promotion Committee, Screening or Expert Committee or Assessment Board as specified in the Schedule or specific provisions under these regulations;
- (i) "Direct Appointment" means any appointment made by the Authority otherwise than by appointment by transfer on deputation including short term contract or on contractual basis in accordance with the provisions of the regulations notified by the Food Authority.
- (j) "Deputation" means a method of recruitment where officers of Central Government Departments or State or UT Governments are appointed to post(s) in Food Safety and Standards Authority of India.
- (k) "Probation" means a person appointed to any post shall be on probation for the period as specified in the schedule.
- (l) "Recognised university or educational board" means any University or Board set up under any law of Central or State legislature in India, as the case may be, and recognised by the University Grants Commission or any institution so authorised by the Central and State Governments for the purpose;
- (m) "Short-term contract" means the method of recruitment of officers belonging to non-government bodies, such as Universities, recognised research institutions, Public Sector Undertakings to the Food Authority for a specified period.
- (n) "Departmental employees or candidates" means all persons appointed in the services of the Food Authority on a regular basis under these regulations and employees appointed under the provisions of section 3 of these regulations;
- (o) words and expressions used in these regulations but not defined, shall have the meaning as respectively assigned to them in the Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006) and the rules or regulations made thereunder, the General Clauses Act, 1897(10 of 1897) or the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

CHAPTER II

CLASSIFICATION OF POSTS

- 3. Initial constitution. All persons appointed in the service of the Food Authority on regular basis before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations and the service rendered by them shall be counted for the purpose of benefit of promotion and other service conditions.
- 4. Classification of Posts. The posts in the Food Authority shall be classified as follows: -

Sl No.	Description.	Classification of posts.
1	Post of Level 10 in pay matrix or above	Group "A"
2	Post of Level 6 to Level 9 in pay matrix	Group "B"
3	Post of Level 1 to level 5 in pay matrix	Group "C"

- 5. Post, Cadres, classification and scales of pay.-
 - (a) There shall be three Cadres in Food Safety and Standards Authority of India, namely, Administrative and Finance Cadre (Sr.No. 1 to 17); Scientific and Technical cadre (Sr.No.18 to 21); and I.T. and other Specialized Services Cadre (Sr.No. 22to 32).
 - (b) With the approval of the Competent Authority and for reasons to be recorded in writing, posts at levels 11 to 13 in pay matrix can be operated as a common pool across cadres and levels, based on the requirement and availability of eligible candidates.
 - (c) The Cadre management of all Group 'A' and Group 'B' posts in Food Authority of India shall be undertaken centrally at Headquarters of Food Authority.
 - (d) The cadre management of Group'C' posts shall be managed by Headquarters unless delegated to Regional Offices and Laboratories in respect of the posts under their respective jurisdiction.
 - (e) The classification of posts and the pay levels attached thereto shall be as specified in the Schedule to these regulations.

6. General conditions for appointment in the Food Authority. –

The general conditions specified in sub-regulations (1) to (6) shall apply to all appointments in the Food Authority.

- (1) The Food Authority shall lay down the procedure for appointment.
- (2) Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- (3) No person shall be eligible for appointment to the service of the Food Authority unless he or she has attained the age of eighteen years. There shall be no maximum age restriction for the departmental candidate for appointment to any post of the Food Authority under Direct Recruitment as specified in the Schedule.
- (4) No person shall be qualified for appointment to the service of the Food Authority unless he or she is,-
- (a) a citizen of India;
- (b) is covered by any other category of citizenship notified by the Central Government as eligible for appointment to service under the Government:

Provided that a person shall be treated as other category of citizenship if a certificate of eligibility has been granted by the Government of India in such person's favour.

- (5) No person shall be appointed to the service of the Food Authority unless he or she,-
 - (a) is a person bearing a good moral character and has not been convicted in the past for any offence;
 - (b) has been dismissed or removed or compulsorily retired from any Government or Public enterprise or private job or any other organisation on grounds of misconduct involving moral turpitude.
- (6) (a) No person, -
- (i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment;
- (b) every person shall be required to furnish a marriage declaration in the prescribed format before his or her appointment:

Provided that the competent authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Relaxation in Appointment.-Notwithstanding anything contained in these regulations, the competent authority may approve appointment through deputation, short term contract, contract basis or as the case may be, till officers in feeder grade become eligible for promotion and may also operate higher level posts at lower level through deputation, short term contract, contract basis or as the case may be, as an interim measure, due to non-availability of suitable candidates at higher level posts.

8. Recruitment Norms.-

- (1) The method of recruitment to the posts, pay level, age limit, qualification and other matters connected thereto, shall be as specified in the Schedule.
- (2) The closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahauland Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) shall be the date for determining the upper age limit of the advertised posts.
- 9. Select list of candidates.-On the recommendations of the Selection Committee, a select list of candidates in order of merit alongwith a reserve list shall be prepared, as accepted by the Competent Authority which shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the Competent Authority may specify.

10. Selection of candidates.

- (a) offer of appointment to the candidates or the select list shall be issued in the order of merit shown in the select list specifying a time limit within which the candidate must join service, which may be extended at the discretion of the Competent Authority;
- (b) the letter of offer of appointment shall specify the conditions to be fulfilled by a candidate, prior to appointment;
- (c) the competent authority may withdraw the offer of appointment if the selected candidate fails to fulfil any of the conditions prescribed prior to appointment or if the candidate fails to join service within the specified time;
- (d) all appointments by direct recruitment shall be subject to verification of character and antecedents;
- (e) where an offer of appointment is withdrawn in the manner prescribed in clause (c) above, the competent authority at its discretion may issue offer of appointment to the candidate next below in the order of merit in the select list.
- (f) the employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
- (g) every person shall take oath under the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) before his or her appointment.

11. Direct Recruitment. -

- (1) (a) The vacancies which are to be filled up shall be widely advertised as per extant government instructions;
 - (b) Applications not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall be liable to be summarily rejected:

Provided that the competent authority may extend the time given for receiving the applications.

- (2) The candidates possessing the educational qualifications and experience as specified in the Schedule and other provisions under these regulations shall be eligible for direct recruitment through selection process. The competent authority may at its discretion, where it considers desirable, also stipulate whether written examination or interview or both to be a part of the selection process.
- (3) The competent authority, at its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates as per recommendations of the Selection Committee. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the competent authority may specify from the date of its approval.
- (4) If a departmental candidate is selected for appointment to any of the posts by Direct Recruitment, the post shall be considered to be filled by Direct Recruitment.
- (5) With the approval of Food Authority, all persons on contract in the services of the Food Authority on the date of notification of these regulations may be permitted a relaxation in the upper age limit specified for direct recruitment and may be given weightage in selection for being engaged in the work of the Food Authority.

 12. Absorption. -
- (1) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be appointed on absorption basis subject to fulfilment of the following conditions: -
 - (a) the candidate possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule; and
 - (b) the candidate holds a post analogous to the post applied for.
- The competent authority may, from time to time, by appropriate order, permanently absorb any person already appointed on deputation in the Food Authority by following the procedure mentioned in sub-regulations (3) below, except clause (3)(d) thereof, for persons already on deputation to the Authority on the date of notification of these Recruitment Regulations:

Provided that no person shall be absorbed in the Food Authority unless, such person has,-

- (a) given in writing his option to get permanently absorbed in the Food Authority, on being called to do so by the Food Authority, and
- (b) possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule to these regulations and has completed at least two years on deputation in the Food Authority.
- (3) The competent authority may consider for absorption of the persons referred to in sub-regulations (1) and (2) above,-
 - (a) on the recommendation of the Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Food Authority; and
 - (b) in consultation with the parent office of such person;
 - such person shall be absorbed in the Food Authority after he has tendered resignation from his substantive post and accepted by his parent organisation.
 - (d) any such possibility of absorption shall be indicated in advertisement.

- 13. Deputation (including Short Term Contract).-
- All appointments made on deputation on Foreign Service Terms including short term contract in the Food Authority under these regulations shall be for a period not exceeding three years in the first instance, which may be extended as per guidelines issued by the Government of India at the discretion of the Competent Authority which shall be based on the performance appraisal of the candidate and in consultation with the parent department. The deputation in the Food Authority on the posts as specified in the Schedule are exempted from rule of immediate absorption.
- (2) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be taken on deputation including on short term contract in the manner as specified in these regulations and subject to fulfilment of the following conditions, namely:-
 - (i) possessing minimum educational qualifications and experience as specified in the Schedule, and
 - (ii) holding a post analogous to the post applied for or has put in minimum number of years of service rendered in the lower post required for promotion to the level of deputation post or its analogous post.
- (3) The departmental candidates who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre posts for which they are not the feeder grade officers.
- (4) If any employee proceeds on deputation to any Department or Organisation, the terms and conditions of service of such employee shall be governed under extant Government rules.
- 14. Appointment by Promotion.-
- (1) Appointment of regular employees by promotion who fulfil the eligibility criteria as specified in the Schedule to different grades shall be made from the lower or feeder grades to the next higher post in direct line of promotion in the order of their seniority subject to availability of vacancy and on the recommendations of Departmental Promotion Committee which shall be constituted as per the extant instructions of the government on the subject.
- (2) The fixation of seniority shall be in accordance with the general instructions or principles of seniority laid down by the Central Government and the fixation of seniority of a transferee shall not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption.
- 15. Contract appointment.-

(1) The competent authority may appoint employees on contract basis for a specified period to meet interim requirements arising out of failure to fill vacancies through normal mode of recruitment, on entry qualification, as required for equivalent sanctioned posts and terms and conditions as required with the approval of Chairperson of the Authority:

Provided that the total number of such appointments shall be within the sanctioned posts and shall be restricted to five percent of the total number of sanctioned posts.

- (2) The competent authority may hire services of Consultants from open market for such other disciplines related to the duties entrusted to the Food Authority, where special skills and competencies, not covered in these regulations, are required, on terms and conditions as may be required with the approval of Chairperson of the Authority. Such appointments shall be over and above the sanctioned posts, but shall not exceed at anytime five percent of the overall sanctioned posts.
- (3) The consultants, under sub-regulation (1) and (2) above, shall be appointed on contract basis for a period not exceeding three—years with no claims for subsequent permanent employment.
- (4) Procedure and norms for selection of appointment of employees appointed on contract basis shall be broadly aligned to these regulations and may be decided in each case by the Chairperson of the Authority.
- (5) There shall be no provision for lien against the post in which officers have been appointed on contract basis.

16. Selection. -

- (1) Appointment to the posts shall be made through Selection Committees as specified in the Schedule.
- The panel recommended by the Selection committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, a fresh Selection committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such a committee may also consider the names of the persons in the earlier panel.
- (3) The minimum educational qualifications and experience for candidates recruited through this process shall be as specified in the Schedule, but the minimum period of experience may be relaxed in the case of candidates possessing expertise in highly specialised disciplines, provided it is so recorded in writing by the Selection Committee. The provision of relaxation shall be incorporated in the vacancy circular or advertisement.
- 17. Power of relaxation. -The power to relax any of the provisions of these regulations shall lie with the Central Government.
- 18. Interpretation. -If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it will be referred to the Central Government for examination and the decision of the Central Government shall be final.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classificatio n of post	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educationa l qualificatio ns prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probatio n if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstan ces in which Union Public Service Commissio n is to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Executive Director	"2*(2018) "	General Central Service, Group-A, Non- Ministerial	Pay Level 14 (Rs.1,44,2 00- 2,18,200)	Not applicabl e	Not applicabl e	Not applicable	Not applicable	Not applicabl e	By deputation	Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or	Search- cum- Selection Committee shall comprise of: - (i) Chairperso n, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman (ii) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India- Member	Not applicable

										departments; or	(iii) One	
											representat	
										(ii) With five years	ive	
										regular service in	nominated	
											by	
										the grade rendered	Ministry	
										after appointment	of Health	
										thereto on a regular	and	
										basis in Pay level 13	Family	
										or equivalent in the	Welfare -	
										parent cadre or	Member	
										department; and	(iv) One	
										department, and	outside	
										(···) II · ·	expert of	
										(iii) Having ten	appropriat	
										years experience of	e level to	
										administration,	be	
										finance or/ and	nominated	
										vigilance matters.	by	
											Chairperso	
											n, Food	
											Safety and	
											Standards	
											Authority	
											of India -	
											Member.	
2. Advisor	"2*(2018)	General	Pay Level	Not	Not	Not applicable	Not	Not	Deputation	Officers of the	Search- cum-	Not
	,,	Central	14	applicabl	applicabl	• •	applicable	applicabl	•	Central Government	Selection	applicable
		Service,	(Rs.1,44,2	e	e		-FF	e		or State	Committee	
		Group-A,	00-							Governments or	shall comprise	
		Non-	2,18,200)							Union Territories or	of:-	
		Ministerial								Universities or		
										Recognized	(i) Chairperso	
										Research	n, Food	
										Institutions or	Safety and	
										Public Sector	Standards	
										Undertakings or	Authority	
											of India -	
										Semi–Government,	Chairman	
										_	(ii) Chief	
										Autonomous	Executive	
										Organisations:	Officer,	
										_	Food	
										(i) Holding	Safety and	
										, in the second	Standards	

				analogous post on	Authority	
				regular basis in the	of India -	
				parent cadre or	Member	
				departments; or	(iii) One	
					representat	
				(ii) With five years	ive nominated	
				regular service in	by	
				the grade rendered	Ministry	
				after appointment	of Health	
				thereto on a regular	and	
				basis in Pay level 13	Family	
				or equivalent in the	Welfare -	
					Member	
				parent cadre or	(IV) One	
				department; and	outside	
					expert of	
				(iii) Possessing	appropriat	
				"Master Degree	e level to	
				from a recognized	be nominated	
				University or	by	
				Institution in	Chairperso	
				Chemistry or	n, Food	
				Biochemistry or	Safety and	
				Food Technology or	Standards	
				Food Science &	Authority	
				Technology or Food	of India	
					Authority -	
					Member.	
				Technology or		
				Microbiology or		
				Dairy Technology		
				or Agricultural or		
				horticultural		
				Sciences or		
				Industrial		
				Microbiology or		
				Toxicology or		
				Public Health or		
				Life Science or		
				Biotechnology or		
				Diocemiology 01		

			Fruit & Vegetable
			Technology or Food
			Safety & Quality
			Assurance or any
			other subject as
			approved by Food
			Authority from time
			to time
			OR
			OK
			PG Diploma of at
			least one year
			duration from a
			recognized
			University or
			Institution in Food
			Safety and Quality
			Assurance (under
			appropriate
			nomenclature) and
			approved by the
			Food Authority
			from time to time
			OR
			OR
			BE or B.Tech in
			Food Technology or
			Dairy Technology
			or Biotechnology or
			Oil Technology or
			Food Process
			Engineering or
			Food Processing
			Technology or Fruit
			& Vegetable
			Technology or Food
			Safety & Quality

					Assurance or Bache	
					lor's degree (not	
					less than four years	
					duration) in	
					Medicine or	
					Veterinary sciences	
					or Fisheries or	
					Animal Sciences or	
					any other subject as	
					approved by Food	
					Authority from time	
					to time; and	
					(iv) with eighteen	
					years experience of	
					working in research	
					and development in	
					Laboratories or	
					Research	
					Institutions or	
					Scientific	
					Organisations in the	
					field of food science	
					or standards or	
					safety and out of the	
					aforesaid eighteen	
					years at least nine	
					years should be in a	
					supervisory	
					capacity; or	
					Doctorate Degree in	
					any of the aforesaid	
					subjects with fifteen	
					years working	
					experience in the	
					Laboratories or	
					research institutions	
					or scientific	
					organisations in the	

										fields mentioned		
										above in this para		
										and out of fifteen		
										years at least eight		
										years should be in a		
										supervisory		
										capacity; and		
										(v) Published		
										research work of		
										high standards in		
										related field.		
3. Director	"16*(2018)"	General Central	Pay Level 13	Selection	50 Years	(a) (i) Bachelor's Degree from	No	One Year	(i) 60	(a) For Promotion:	Selection Committee	Not Applicable
	•	Service, Group-A,	(Rs.1,23,100-			a recognised University or			% by Promotion	Joint Director in Level 12	shall consist of -	
			2,15,900)			Institution; and			failing which Deputation	(Rs.78,800-2,09,200) with five		
		Non-Ministerial							(including short-	years' service in the grade rendered after appointment	(i) Chief Executive	
						(ii) Fifteen Years experience			term contract) or	thereto on a regular basis.	Officer, Food Safety	
						in handling administration, finance, human resource			absorption (ii) 40		and Standards Authority of India -	
						development or/ and vigilance			% by Direct	Note 1: Where juniors who	Chairman.	
						matters depending on the post			recruitment	have completed their		
						requirement.				qualifying or eligibility	(ii) Executive Director,	
										service are being considered	Food Safety and	
						Desirable: Degree of Law or				for promotion, their seniors would also be considered	Standards Authority of	
						MBA degree or equivalent				provided they are not short of	India - Member	
						from a recognised university or Institution				the requisite qualifying or	/"" All T	
										eligibility service by more	(iii) Advisor, Food Safety and Standards	
						OR				than half of such qualifying or	Authority of India -	
										eligibility service, or two years, whichever is less, and	Member.	
						(b)(i) "Master Degree from a				have successfully completed		
						recognized University or				their probation period for	(iv) One representative	
						Institution in Chemistry or				promotion to the next higher	nominated by Ministry	
						Biochemistry or Food				grade along with their juniors	of Health and Family Welfare - Member	
						Technology or Food Science				who have already completed such qualifying	***CHAIC = WICHIUCI	
						& Technology or Food & Nutrition or Edible Oil					(v)	
						Technology or Microbiology				(b) For Deputation	* *	
						or Dairy Technology or				(including short	One outside expert of	
						Agricultural or horticultural				term contract) or Absorption:	appropriate level to be	
						Sciences or Industrial				Officers of the Central	nominated by	
						Microbiology or Toxicology				Government or State	Chairperson, Food	
						or Public Health or Life Science or Biotechnology or				Governments or Union	Safety and Standards Authority of India -	
						Fruit & Vegetable Technology				Territories or Universities or Recognized Research	Member.	
						or Food Safety & Quality				Institutions or Public Sector		
						Assurance or any other subject				Undertakings or Semi-		
						as approved by Food				Government, Statutory or		

					Authority from time to time		Autonomous Organisations:-	
					j		0	
							(-)(i) H-1E1	
					OR		(a)(i) Holding analogous post	
							on regular basis in the parent	
							cadre or department; or	
					PG Diploma of at least one			
					year duration from a		(ii) With five years regular	
					recognized University or		service in the grade rendered	
					Institution in Food Safety and		after appointment thereto on a	
					Quality Assurance (under		regular basis in Pay Level 12	
					appropriate nomenclature) and		or equivalent in the parent	
					approved by the Food		cadre or department; and	
					Authority from time to time		cause of department, and	
					rudionly from time to time			
							(b) Possessing the educational	
					OR		qualification prescribed for	
							Direct Recruitment under	
							column 7.	
					BE or B.Tech in Food			
					Technology or Dairy			
					Technology or Biotechnology			
					or Oil Technology or Food			
					Process Engineering or Food			
					Processing Technology or			
					Fruit & Vegetable Technology			
					or Food Safety & Quality			
					Assurance or Bachelor's			
					degree (not less than four			
					years duration) in Medicine or			
					Veterinary sciences or			
					Fisheries or Animal Sciences			
					or any other subject as			
					approved by Food Authority			
					from time to time and;			
					nom time to time una, :			
					a) a)			
					(b) (ii) with fourteen years			
					experience of working in			
					research and development in			
					Laboratory or Research			
					Institutions or Scientific			
					Organisations in the field of			
					food science or standards or			
					safety out of which at least			
					five years should be as group			
					leader or in a supervisory			
					capacity and should have			
					handled food science related			
					programmes involving			
					planning, development and			
					coordination;			
					,			
					OB			
					OR			
					(c) (i) Doctorate Degree in any			
					of the aforesaid subjects with			
					twelve years experience of			
					working in research and			
					development in Laboratories			
					or Research Institutions or			
	l	I .	I .	1	l			

			Scientific Organisations in the				
			field of food science or				
			standards or safety out of				
			which at least five years				
			should be as group leader or in				
			a supervisory capacity and				
			should have handled food				
			science related programmes				
			involving planning,				
			development and				
			coordination; and				
			(c) (ii) Should have published				
			research work in related field.				
			Note to Out of the total				
			Note 1: Out of the total				
			experience sought, two years				
			of experience should be in				
			immediate lower pay level in				
			central dearness allowance, or				
			equivalent industrial dearness				
			allowance scale (as				
			applicable) and in case of				
			candidates working in private				
			sector he or she shall be				
			drawing minimum comparable				
			annual cost To company for				
			last two years to be decided by				
			the competent authority and				
			shall be indicated in the				
			advertisement on each				
			occasion				
			Note 2: Qualifications are				
			relaxable at the discretion of				
			the Competent Authority in				
			the case of candidates				
			otherwise well qualified.				
			otherwise wen quantieu.				
			Note 3: The qualification(s)				
			regarding experience is				
			relaxable at the discretion of				
			the Competent Authority in				
			the case of candidates				
			belonging to Scheduled Castes				
			or Scheduled Tribes if at any				
			stage of selection, the				
			Competent Authority is of the				
			opinion that sufficient number				
			of candidates from these				
			communities possessing the				
			requisite experience are not				
			likely to be available to fill up				
			the vacancy reserved for them.				
			Note 4: The educational				
			qualification and experience				
1			from the above will be				
			nom the above will be				

	1		1		T	decided as per functional		I	1	T	T	П
						decided as per functional requirement of the post which						
						shall be mentioned in the						
						advertisement on each occasion						
						occasion						
4. Joint	"32*(201	General	Pay Level	Selectio	50 Years	(a) (i) Bachelor's	No	One	(i)60% by	(a) For	Selection	Not
Director	8)"	Central	12	n		Degree from a		Year	Promotion	promotion	Committee	applicable
		Service,	(Rs.78,800			recognised			failing	:	shall consist of	11
		Group-A,	-2,09,200)			University or			which	Deputy Director in	_	
			_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Institution; and			Deputatio	Level 11(Rs.67,700-		
		Non-				montation, and			n	2,08,700) with five	(i) Chief	
		Ministerial				(ii) Twelve Years			(including short-term	years' service in the	Executive	
						experience in			contract)	grade rendered after	Officer, Food	
						handling			or	appointment thereto	Safety and	
						administration,			absorption	on a regular basis.	Standards	
						finance, human			(ii) 4		Authority of	
						resource			0% by	Note 1: Where	India -	
						development or/ and			Direct	juniors who have	Chairman.	
						vigilance matters			recruitment	completed their	Chairman.	
						depending on the				qualifying or	(ii) Executive	
						post requirement.				eligibility service	Director, Food	
						post requirement.				are being	Safety and	
						Desirable: MBA				considered for	Standards	
						degree or equivalent				promotion, their	Authority of	
						from a recognised				seniors would also	India - Member	
						university or				be considered	maia Wember	
						Institution				provided they are	(iii) Advisor,	
						Institution				not short of the	Food Safety	
						OR				requisite qualifying	and Standards	
										or eligibility service	Authority of	
						(b) Full time Degree				by more than half of	India -	
						of Law from a				such qualifying or	Member.	
						recognised				eligibility service,	Wichioer.	
						University or				or two years,	(iv)One outside	
						institution with				whichever is less,	expert of	
						twelve years				and have	appropriate	
						experience of				successfully	level to be	
						handling legal				completed their	nominated by	
						matters or working				probation period for	Chairperson,	
						experience as Law				promotion to the	Food Safety	
						Officer in a reputed				promotion to the	and Standards	
			1			Officer in a reputed			1		and Standards	

Governmen	t or	next higher grade Authority	y of
Autonomou	s body	along with their India	-
or	Research	juniors who have Member.	
Institutions	or	already completed	
Universities	or	such qualifying or	
Public	Sector	eligibility service	
Undertakin			
Law firms.		(b) For	
		deputation	
OR	.	(including	
		short term contract) or	
(c) (i)	"Master	absorption:	
Degree f	rom a	Officers of the	
recognized		Central Government	
University	or	or State	
Institution	in	Governments or	
Chemistry	or	Union Territories or	
Biochemist	ry or	Universities or	
Food Techn	ology or	Recognized	
Food	Science	Research	
&Technolo	gy or	Institutions or	
Food & Nu	trition or	Public Sector	
Edible	Oil	Undertakings or	
Technology	or	Semi-Government,	
Microbiolog	gy or	Statutory or	
Dairy Te		Autonomous	
or Agricul	tural or	Organisations: :-	
horticultura	1		
Sciences	or	(a)(i) Holding	
Industrial		analogous post on	
Microbiolog		regular basis in the	
Toxicology	or	parent cadre or	
Public He		department; or	
Life Scie		C'' W'' C	
Biotechnolo	I I I	(ii) With five years	
Fruit & V		regular service in	
Technology		the grade rendered	
Safety &	Quality	after appointment	
Assurance	or any	thereto on a regular	
		basis in Pay Level	

other subject as	11 or equivalent in
approved by Food	the parent cadre or
Authority from time	department; and
to time	
	(b) Possessing the
OR	educational
	qualification
	prescribed for direct
PG Diploma of at	recruitment under
least one year	column 7.
duration from a	
recognized	
University or	
Institution in Food	
Safety and Quality	
Assurance (under	
appropriate	
nomenclature) and	
approved by the	
Food Authority	
from time to time	
OR	
BE or B.Tech in	
Food Technology or	
Dairy Technology	
or Biotechnology or	
Oil Technology or	
Food Process	
Engineering or	
Food Processing	
Technology or Fruit	
& Vegetable	
Technology or Food	
Safety & Quality	
Assurance or Bache	
lor's degree (not	
less than four years	
duration) in	

Medicine or		
Veterinary sciences		
or Fisheries or		
Animal Sciences or		
any other subject as		
approved by Food		
Authority from time		
to time.		
to time.		
(c) (ii) with eleven		
years experience of		
working in research		
and development in		
Research		
Institutions or		
Scientific		
Organisations in the		
field of food science		
or standards or		
safety out of which		
at least five years		
should be as group		
leader or in a		
supervisory capacity		
and should have		
handled food		
science related		
programmes		
involving planning,		
development and		
coordination;		
, i		
OR		
(d)(i) Doctorate		
Degree in any of the		
aforesaid subjects		
with nine Years		
experience of		

			working in research			
			and development in			
			Laboratories or			
			Research			
			Institutions or			
			Scientific			
			Organisations in the			
			field of food science			
			or standards or			
			safety out of which			
			at least five years			
			should be as group			
			leader or in a			
			supervisory capacity			
			and should have			
			handled food			
			science related			
			programmes			
			involving planning,			
			development and			
			coordination; and			
			(ii) Should have			
			published research			
			work in related			
			field.			
			Note 1: Out of the			
			total experience			
			sought, two years of			
			experience should			
			be in immediate			
			lower pay level in			
			central dearness			
			allowance, or			
			equivalent industrial			
			dearness allowance			
			Scale (as			
			applicable) and in			

			case of candidates			
			working in private			
			sector he or she			
			shall be drawing			
			minimum			
			comparable annual			
			cost to company for			
			last two years to be			
			decided by the			
			competent authority			
			and shall be			
			indicated in the			
			advertisement on			
			each occasion			
			Note 2:			
			Qualifications are			
			relaxable at the			
			discretion of the			
			competent authority			
			in the case of			
			candidates			
			otherwise well			
			qualified.			
			Note 3: The			
			qualification(s)			
			regarding			
			experience is			
			relaxable at the			
			discretion of the			
			competent authority			
			in the case of			
			candidates			
			belonging to			
			Scheduled Castes or			
			Scheduled Tribes if			
			at any stage of			
			selection, the			
			competent authority			
L	L	 		 	 1	l

						is of the opinion						
						that sufficient						
						number of						
						candidates from						
						these communities						
						possessing the						
						requisite experience						
						are not likely to be						
						available to fill up						
						the vacancy						
						reserved for them.						
						Teser, ear for the fine						
						Note 4: The						
						educational						
						qualification and						
						experience from the						
						above will be						
						decided as per						
						functional						
						requirement of the						
						post which shall be						
						mentioned in the						
						advertisement on						
						each occasion						
						cuch occusion						
5. Deputy	"44*(201	General	Pay Level	Selectio	40 Years	(a) Bachelor's	No	Two	(i)60% by	(a) For	Selection	Not
Director	8)"	Central	11	n		Degree from a		Years	promotion	promotion	Committee	applicable
		Service,	(Rs.67,700			recognised			failing	:	shall consist of	
		Group-A,	-2,08,700)			University or			which	Assistant Director	_	
		,	, , ,			Institution; and ten			deputation	or Assistant		
		Non-				Years experience in			(including	Director (Technical)	(i) Chief	
		Ministerial				handling			short-term	or Food Analyst in	Executive	
						administration,			contract)or	Level 10	Officer, Food	
						finance, human			absorption	(Rs.56,100-	Safety and	
						resource				1,77,500) with five	Standards	
						development or/ and			(ii)40% by	years' service in the	Authority of	
						vigilance matters			direct	grade rendered after	India -	
						depending on the			recruitment	appointment thereto	Chairman.	
										on a regular basis.		
						post requirement.					(ii) Executive	
						post requirement.				The state of the s	(ii) Executive	

Desirable: MBA	Note 1: The Director, Food
degree or equivalent	eligibility list for Safety and
from a recognised	promotion shall be Standards
university or	prepared with Authority of
Institution	reference to the date India- Member
	of completion by
OR	the officers of the (iii) Advisor,
	prescribed Food Safety
(b)Full time Degree	qualifying service in and Standards
of Law from a	their respective Authority of
recognised	grade or post. India -
University or	Member.
institution with six	Note 2: Where
years experience of	juniors who have (iv)One outside
handling legal	completed their expert of
matters or working	qualifying or appropriate
experience as Law	eligibility service level to be
Officer in a reputed	are being nominated by
Government or	considered for Chairperson,
Autonomous body	promotion, their Food Safety
or Research	seniors would also and Standards
Institutions or	be considered Authority of
Universities or	provided they are India -
Public Sector	not short of the Member.
Undertaking or	requisite qualifying
Law firms.	or eligibility service
OD	by more than half of
OR	such qualifying or
	eligibility service,
(c) (i) "Master	or two years,
Degree from a	whichever is less,
recognized	and have
University or	successfully
Institution in	completed their
Chemistry or	probation period for
Biochemistry or	promotion to the
Food Technology or	next higher grade
Food Science &	along with their
Technology or Food	juniors who have
& Nutrition or	already completed

	Edible Oil		such qualifying or	
	Technology or		eligibility service	
	Microbiology or			
	Dairy Technology			
	or Agricultural or			
	horticultural		(b)For deputation	
	Sciences or		(including	
	Industrial		short term contract) or	
	Microbiology or		absorption:	
	Toxicology or		Officers of the	
	Public Health or		Central Government	
	Life Science or		or State	
	Biotechnology or		Governments or	
	Fruit & Vegetable		Union Territories or	
	Technology or Food		Universities or	
	Safety & Quality		Recognized	
	Assurance or any		Research	
	other subject as		Institutions or	
	approved by Food		Public Sector	
	Authority from time		Undertakings or	
	to time		Semi–Government,	
			Statutory or	
	OR		Autonomous	
	OK		Organisations :-	
	DC D' 1 C 4		8	
	PG Diploma of at		(a)(i) Holding	
	least one		analogous post on	
	yearduration from a		regular basis in the	
	recognized		parent cadre	
	University or		departments; or	
	Institution in Food		- '	
	Safety and Quality		(ii) With five years	
	Assurance (under		regular service in	
	appropriate		the grade rendered	
	nomenclature) and		after appointment	
	approved by the		thereto on a regular	
	Food Authority		basis in Pay Level	
	from time to time		10 or equivalent in	
			the parent cadre or	

DR BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Oil Technology or Oil Technology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Food Processing Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache department; or (iii) With six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 8 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification
BE or B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Basche.
Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Food Processing Technology or Food Processing Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache Food Technology or Under the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 8 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualification
Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Food Processing Technology or Food Processing Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Brocess Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
or Biotechnology or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Backe
Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
& Vegetable Technology or Food Safety & Quality Assurance or Rache
Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
Technology or Food Safety & Quality Assurance or Bache
Safety & Quality Assurance or Bache
Assurance or Rache quantication
1 Dourance of David
lor's degree (not prescribed for direct
less then four years
duration) in column 7.
Medicine or
Veterinary sciences
or Fisheries or
Animal Sciences or
any other subject as
approved by Food
Authority from time
to time.
(c) (ii) with nine
years experience of
working in research
and development in
Laboratory or Laboratory
Research
Institutions or
Scientific
Organisations in the
Organisations in the field of food science

			at least four years			
			should be as group			
			leader or in a			
			supervisory capacity			
			and should have			
			handled food			
			science related			
			programmes			
			involving planning,			
			development and			
			coordination;			
			OR			
			(1) (1)			
			(d)(i) Doctorate			
			Degree in any of the			
			aforesaid subjects			
			with seven Years			
			experience of			
			working in research			
			and development in			
			Laboratories or Research			
			Scientific			
			Organisations in the field of food science			
			or standards or			
			safety out of which			
			at least four years			
			should be as group			
			leader or in a			
			supervisory capacity			
			and should have			
			handled food			
			science related			
			programmes			
			involving planning,			
			development and			
			ac relopment and			

	coordination; and
	(d)(ii) Should have
	published research
	work in related
	field.
	Desirable: Graduate
	Aptitude Test
	Engineering or
	Council of
	Scientific and
	Industrial Research
	or Indian Council of
	Agricultural
	Research National
	Eligibility Test.
	Note 1: Out of the
	total experience
	sought, two years of
	experience should
	be in immediate
	lower pay level in
	central dearness
	allowance, or
	equivalent industrial
	dearness allowance
	Scale (as
	applicable) and in
	case of candidates
	working in private
	sector he or she
	shall be drawing
	minimum
	comparable annual
	cost to compnay for
	last two years to be
	decided by the
	competent authority

 T		 ,	1	T
	and shall be			
	indicated in the			
	advertisement on			
	each occasion			
	Note 2:			
	Qualifications are			
	relaxable at the			
	discretion of the			
	competent authority			
	in the case of			
	candidates			
	otherwise well			
	qualified.			
	'			
	Note 3: The			
	qualification(s)			
	regarding			
	experience is			
	relaxable at the			
	discretion of the			
	competent authority			
	in the case of			
	candidates			
	belonging to			
	Scheduled Castes or			
	Scheduled Tribes it			
	at any stage of			
	selection, the			
	competent authority			
	is of the opinion			
	that sufficient			
	number of			
	candidates from			
	these communities			
	possessing the			
	requisite experience			
	are not likely to be			
	available to fill up			
	available to fill up	1		

						the vacancy						
						reserved for them.						
						Note 4: The						
						educational						
						qualification and						
						experience from the						
						above will be						
						decided as per						
						functional						
						requirement of the						
						post which shall be						
						mentioned in the						
						advertisement on						
						each occasion						
						each occasion						
6. Assistant	"22*(201	General	Pay Level	Selectio	35 Years	(a) Bachelor's	No	Two	(i) 50% by	(a) For	Selection	Not
Director	8)"	Central	10	n	33 Tours	Degree from a	110	Years	promotion	promotion	Committee	applicable
Director	0)	Service,	(Rs.56,100	11		recognised		1 cars	failing	:	shall consist of	аррисавіс
		Group-A,	-1,77,500)			University or			which	Administrative	-	
		Group-A,	-1,77,500)			Institution; and six			deputation	Officer in Level		
		Non-				years' experience in			(including	8(Rs.47,600-	(i) Chief	
		Ministerial				handling			short-term	1,51,100) with two	Executive	
		Willisteria							contract) or	years' service in the	Officer, Food	
						administration, finance, human			absorption	grade rendered after	Safety and	
									absorption	appointment thereto	Standards	
						resource			(ii) 50% by	on a regular basis.	Authority of	
						development or/ and			direct	8	India-	
						vigilance and			recruitment	Note 1: Where	Chairman.	
						accounts matters			recruitment	juniors who have	Chairman.	
						depending on the				completed their	(ii) Executive	
						post requirement.				qualifying or	Director, Food	
						D : 11 340 :				eligibility service	Safety and	
						Desirable: MBA				are being	Standards	
						degree from a				considered for	Authority of	
						recognised				promotion, their		
						university or				seniors would also	India - Member	
						Institution				be considered	(iii) Advisor,	
										provided they are		
						OR					Food Safety	
										not short of the	and Standards	ĺ

		(b) Degree of Law	requisite qualifying	Authority of
		from a recognised	or eligibility service	India -
		University or	by more than half of	Member.
		institution with	such qualifying or	
		three years	eligibility service,	(iv)One outside
		experience of	or two years,	expert of
		handling legal	whichever is less,	appropriate
		matters or working	and have	level to be
		experience as Law	successfully	nominated by
		Officer in a reputed	completed their	Chairperson,
		Government or	probation period for	Food Safety
		Autonomous body	promotion to the	and Standards
		or Research	next higher grade	Authority of
		Institutions or	along with their	India -
		Universities or	juniors who have	Member.
		Public Sector	already completed	
		Undertakings or	such qualifying or	
		Law firms.	eligibility service	
		Note 1: Out of the		
		total experience	(b) For	
		sought, two years of	(b) For deputation	
		experience should	(including	
		be in immediate	short term	
		lower pay level in	contract)	
		central dearness	or	
		allowance, or	absorption	
		equivalent industrial	Officers of the	
		dearness allowance	Central Government	
		scale (as applicable) and in case of	or State	
		candidates working	Governments or	
		in private sector he	Union Territories or	
		or she shall be	Universities or	
		drawing minimum	Recognized	
		comparable annual	Research	
		cost to company for	Institutions or	
		last two years to be	Public Sector	
		decided by the	Undertakings or	
		decided by the	Semi–Government,	
L	1			

competent authority and shall be indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualifications) regarding experience is relaxable at the qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates of the qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates of the parent cadre or department, or department, or equivalent in the parent cadre or department or department, or equivalent in the parent cadre or department authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tarbes if a rany stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities pussessing the requirale exercise in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department or department or department or requiralent in the parent cadre or a regular in the parent cadre or a regular in the parent cadre or department or requiralent in the parent cadre or department.			
indicated in the advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regular parent cadre or department or otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regularing experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates of the parent cadre or department or equilar in the discretion of the competent authority in the case of candidates appointment thereto on a regular in Pay I Level 7 or Scheduled Castes or Scheduled Tribes if equivalent in the department or department; or equivalent in the competent authority is of the opinion that sufficient mumber of candidates from these communities possessing the requisite experience are not filledy to be	competent authority	Statutory	or
advertisement on each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) reparding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) reparding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates of the parent cadre or department or equivalent in the parent cadre or department or equivalent in the parent cadre or department or experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates helonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient tumber of candidates from these communities of candidates from these communities are possessing the requisite experience are not likely to be	and shall be	Autonomous	
each occasion Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of cundidates well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the discretion of the competent authority in the case of cundidates well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection. The competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these commentaties possessing the requisite experience are not likely to be candidated in the grade rendered after appointment thereto on a regular in Pay Excellent of the part of the par	indicated in the	Organisations :-	
Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is rehaxable at the discretion of the discretion of the qualification(s) regarding experience is rehaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	advertisement on		
Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates of the parent cadre or department; or competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	each occasion		
Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the discretion of the grader in the qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tibes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be requisite experience are rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or equivalent in the parent cadre or a regular number of equivalent in the parent cadre or department; or equivalent in the parent cadre or department or equivalent		analogous post	on
relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates helonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be requisited the requisite experience are not likely to be requisited the requisite experience are not likely to be requisited the requisite experience are not likely to be requisited the requisite experience are required in the requisite experience are not likely to be requisited the requisite experience are required in the requisite experience are not likely to be requisited the requisite experience are required in the requisite experience are not likely to be requisited the requisite experience are not likely to be requisited.	Note 2:	regular basis in	he
discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be discretion of the competent authority is on a regular in the parent cadre or department; or service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department; or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	Qualifications are	parent cadre	or
competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection. The competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or competent authority is of the opinion that sufficient appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisities experience are not likely to be	relaxable at the	department; or	
in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	discretion of the		
candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requivalent in the requisite experience are not likely to be the grade rendered after appointment thereto discretion of the cupital the case of equivalent in the parent cadre or department; or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in Pay (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	competent authority		
otherwise well qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be after appointment thereto on a regular in the equivalent in the after appointment thereto on a regular in Pay (iv) With eight years regular service in the grade rendered after quivalent in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre quivalent in the appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	in the case of		
qualified. Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates the parent cadre or scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these computations of the parent cadre or department; or the regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or competent authority is of the opinion that sufficient authority is of the opinion that sufficient authority of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	candidates	I I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	
Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	otherwise well		
Note 3: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requirement thereto on a regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or capturent in the parent cadre or department; or capturent service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or capturent service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or capturent in the requisite experience are not likely to be	qualified.		
qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Cribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be parent cadre or department; or (iii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the		in pay Level 8	or
regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be (iii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the			he
experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	qualification(s)	parent cadre	or
relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisilent in the requisilet experience are not likely to be	regarding	department; or	
discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be			
competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	relaxable at the		
in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	discretion of the		
candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be appointment thereto on a regular in Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	competent authority		
belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	in the case of		
Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	candidates		
Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	belonging to		ay
at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	Scheduled Castes or		
selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	Scheduled Tribes if		he
selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	at any stage of		or
is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the		department; or	
that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	competent authority		.
that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite to be the requisite experience are not likely to be years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	is of the opinion		
candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be reducted after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the			
these communities possessing the requisite experience are not likely to be appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	number of		
possessing the requisite experience are not likely to be on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the	candidates from		
possessing the requisite experience are not likely to be Description of the requisite experience are not likely to be Description of the Pay Level 6 or equivalent in the pay Level 6 or equivale	these communities		
requisite experience are not likely to be Pay Level 6 or equivalent in the			
are not likely to be equivalent in the			
available to fill up parent cadre or parent cadre or		parent cadre	or

7.	"25*(201	General	Pay Level	Selectio	30 Years	the vacancy reserved for them. Note 4: The educational qualification and experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion	No	Two	(i) 90% by	department and (b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7.	Selection	Not
Administrat ive Officer	8)"	Central Service, Group-B, Non- Ministerial	08 (Rs.47,600 -1,51,100)	n	30 Teals	from a recognised University or Institution; and three years' experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance and accounts matters depending on the post requirement. Desirable: Master degree or MBA(personnelor human resource management or Finance) or CA or CS or ICWA from a recognised	140	Years	promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption (ii) 10% by direct recruitment	promotion ; Assistant in Level 6(Rs.35,400- 1,12,400) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying	Committee shall consists of:- (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii)Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii)Director, Food Safety and Standards Authority of India -	Applicable

	university or	or eligibility service	Member
	Institution	by more than half of	(iv) One
		such qualifying or	outside expert
	Note 1: Out of the	eligibility service,	of appropriate
	total experience	or two years,	level to be
	sought, two years of	whichever is less,	nominated by
	experience should	and have	Chief
	be in immediate	successfully	Executive
	lower pay level in	_	Officer, Food
	central dearness	_	Safety and
	allowances, or	probation period for	Standards and
		promotion to the	
	equivalent industrial	next higher grade	Authority of
	dearness allowance	along with their	India -
	scale (as applicable)	juniors who have	Member.
	and in case of	already completed	
	candidates working	such qualifying or	
	in private sector he	eligibility service	
	or she shall be		
	drawing minimum	(b) For	
	comparable annual	deputation	
	cost to company for	(Including Short	
	last two years to be	Term	
	decided by the	Contract)	
	competent authority	or	
	and shall be	absorption	
	indicated in the	:	
	advertisement on	Officers of the	
	each occasion	Central Government	
		or State	
	Note 2:	Governments or	
	Qualifications are	Union Territories or	
	relaxable at the	Universities or	
	discretion of the	Recognized	
	competent authority	Research	
	in the case of	Institutions or	
	candidates	Public Sector	
	otherwise well	Undertakings or	
	qualified.	Semi–Government,	
	quantita.	Statutory or	
	Note 3: The	Autonomous	
	1	Autonomous	

qualification(s)	Organisations :-
regarding	
experience is	(a)(i) Holding
relaxable at the	analogous post on
discretion of the	regular basis in the
competent authority	parent cadre or
in the case of	department; or
candidates	
belonging to	(ii) with two years
Scheduled Castes or	regular service in
Scheduled Tribes if	the grade rendered
at any stage of	after appointment
selection, the	thereto on a regular
competent authority	basis in the pay
is of the opinion	level 7 or equivalent
that sufficient	in the parent cadre
number of	or department; or
candidates from	(iii) with six years
these communities	regular service in
possessing the	the grade rendered
requisite experience	after appointment
are not likely to be	thereto on a regular
available to fill up	basis in the Pay
the vacancy	Level 6 or
reserved for them.	equivalent in the
Note 4: The	parent cadre or
educational	department and
qualification and	
experience from the	(b) Possessing the
above will be	educational
decided as per	qualification
functional	prescribed for direct
requirement of the	recruitment under
post which shall be	column 7.
mentioned in the	
advertisement on	
each occasion	

8. Assistant	"76*(201	General	Pay Level	Selectio	30 Years	Bachelor's Degree	No	TwoYea	(i) 10% by	(a) For	Selection	Not
	8)"	Central	06	n		from a recognised		rs	promotion	promotion	Committee	Applicable
		Service,	(Rs.35,400			University or			failing	: T	shall consists	
		Group-B	-1,12,400)			Institution			which	Junior Assistant	of:-	
									deputation	(Grade-I) in Level 4(Rs.25,500-		
		Non-				Note 1:			(including	4(Rs.23,300- 81,100) with ten	(i) Executive	
		Ministerial				Qualifications are			short-term	· · ·	Director, Food Safety	
						relaxable at the			contract) or	years' service in the	and	
						discretion of the			absorption	grade rendered after appointment thereto	Standards	
						competent authority					Authority of	
						in the case of			(ii) 90% by	on a regular basis.	India -	
						candidates			direct	Note 1: Where	Chairman.	
						otherwise well			recruitment	Note 1: Where juniors who have	(ii) Advisor,	
						qualified.				completed their	Food Safety and	
										qualifying or	Standards	
										eligibility service	Authority of	
										are being	India -	
										considered for	Member	
										promotion, their	(iii) Director,	
										seniors would also	Food Safety and	
										be considered	Standards	
										provided they are	Authority	
										not short of the	India -	
										requisite qualifying	Member	
										or eligibility service	(iv) One outside	
										by more than half of	expert of appropriate	
										such qualifying or	level to be	
										eligibility service,	nominated	
										or two years,	by Chief	
										whichever is less,	Executive	
										and have	Officer,	
										successfully	Food Safety and	
										completed their	Standards	
										probation period for	Authority of	
										promotion to the	India -	
										next higher grade	Member.	
										along with their		
										juniors who have		
										already completed		

					such qualifying or	
					eligibility service	
					cligibility service	
					(b) For	
					deputation	
					(Including	
					Short	
					Term	
					Contract)	
					or	
					absorption	
					Officers of the	
					Central Government	
					or State	
					Governments or	
					Union Territories or	
					Universities or	
					Recognized	
					Research	
					Institutions or	
					Public Sector	
					Undertakings or	
					Semi-Government,	
					Statutory or	
					Autonomous	
					Organisations :-	
					(a)(i) Holding	
					analogous post on	
					regular basis in the	
					parent cadre; or	
					(ii) with ten years	
					regular service in	
					the grade rendered	
					after appointment	
					thereto on a regular	
					basis in the Pay	
					Level 4 or	
					equivalent in the	
 <u> </u>	1	I	L		1	

										parent cadre or		
										department and		
										_ ^		
										(iii) Possessing		
										three years'		
										experience in		
										administration,		
										· ·		
										human resource		
										development, or /		
										and vigilance		
										matters depending		
										on the post		
										requirement.		
										(b) Possessing the		
										educational		
										qualification		
										prescribed for direct		
										recruitment under		
										column 7.		
9. Junior	"12*(201	General	Pay Level	Non-	25 Years	12th Standard or	No	Two	(i) 10% by	For promotion:	Selection	Not
Assistant	8)"	Central	04	Selectio		equivalent		Years	promotion		Committee	Applicable
(Grade-I)		Service,	(Rs.25,500	n		examination from a			failing	Junior Assistant	shall consists	
(Group-C	-81,100)			recognized Board or			which	Grade-II in Level 2	of:	
		Group C	01,100)			University			deputation	(Rs.19900-63200)		
		Non-				Chrycishty			(including	with eight years'	(i)Director,	
		Ministerial				Note 1:			short-term	service in the grade	Food Safety	
		TVIIII SCOTICE				Qualifications are				rendered after	and Standards	
						relaxable at the			contract) or	appointment thereto	Authority of	
									absorption		-	
						discretion of the			(::) aag :	on a regular basis.	India -	
						Competent			(ii) 90% by	N-4- 1. W/	Chairman.	
						Authority in the			direct	Note 1: Where	210 T	
						case of candidates			recruitment	juniors who have	(ii)Joint	
						otherwise well				completed their	Director Food	
						qualified.				qualifying or	Safety and	
										eligibility service	Standards	
										are being	Authority of	

										considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	India - Member (iii) Deputy Director, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member.	
10. Junior Assistant (Grade-II)	"12*(201 8)"	General Central Service,Gro up-C Non- Ministerial	Pay Level 02 (Rs.19900- 63200)	Non- Selectio n	Not Applicab le	12th Standard or equivalent examination from a recognized Board or University Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates	No	Not Applicab le	(i) 100% promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption	For promotion: MTS in Level 1 (Rs.18,000-56,900) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Selection Committee shall consists of: (i)Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman.	Not Applicable

						otherwise well				Note 1: Where	(ii)Joint	
						qualified.				juniors who have	Director, Food	
										completed their	Safety and	
										qualifying or	Standards	
										eligibility service	Authority of	
										are being	India -	
										considered for	Member	
										promotion, their		
										seniors would also	(iii) Deputy	
										be considered	Director, Food	
										provided they are	Safety and	
										not short of the	Standards	
										requisite qualifying	Authority of	
										or eligibility	India- Member	
										service by more	(:)0	
										than half of such	(iv)One outside	
										qualifying or	expert of	
										eligibility service,	appropriate	
										or two years,	level to be	
										whichever is less,	nominated by	
										and have	Chief Executive	
										successfully	Officer, Food	
										completed their	Safety and	
										probation period for	Standards	
										promotion to the	Authority of	
										next higher grade	India -	
										along with their	Member.	
										juniors who have		
										already completed		
										such qualifying or		
										eligibility service		
11.	"1*(2018)	General	Pay Level	Selectio	Not	Not Applicable	No	Two	100% by	(a) For	Selection	Not
Assistant	"	Central	10	n	Applicab	**		Years	promotion	promotion	Committee	Applicable
Director		Service,	(Rs.56,100		le				failing	:	shall consist of	••
(OL)		Group-A	-1,77,500)						which	Hindi Translator in	_	
		•							deputation	Level 6(Rs.35,400-		
1										1,12,400) with eight	(i) Chief	

Ministerial				short-term	years' service in the	Executive	
				contract)	grade rendered after	Officer, Food	
				or	appointment thereto	Safety and	
				absorption	on a regular basis.	Standards	
						Authority of	
						India -	
						Chairman.	
					Note 1: Where		
					juniors who have	(ii) Executive	
					completed their	Director, Food	
					qualifying or	Safety and	
					eligibility service	Standards	
					are being	Authority of	
					considered for	India - Member	
					promotion, their		
					seniors would also	(iii) Advisor,	
					be considered	Food Safety	
					provided they are	and Standards	
					not short of the	Authority of	
					requisite qualifying	India -	
					or eligibility	Member.	
					service by more	(iv)One outside	
					than half of such	expert of	
					qualifying or	•	
					eligibility service,	appropriate level to be	
					or two years,	nominated by	
					whichever is less,	Chairperson,	
					and have	Food Safety	
					successfully completed their	and Standards	
					completed their probation period for	Authority of	
					promotion to the	India -	
						Member.	
					next higher grade along with their	omoor.	
					juniors who have		
					already completed		
					such qualifying or		
					eligibility service		
					engionity service		
					(b) For		
 	1	l .			\ / -		

					deputation	
					(Including	
					(Including	
					Short	
					Term	
					Contract)	
					or	
					absorption	
					:	
					Officers of the	
					Central Government	
					or State	
					Governments or	
		1			Union Territories or	
					Universities or	
					Recognized	
					Research	
					Institutions or	
					Public Sector	
					Undertakings or	
					Semi-Government,	
					Statutory or	
					Autonomous	
					Organisations:	
					(a)(i) Holding	
					analogous post on	
					regular basis in the	
					parent cadre or	
					department; or	
					(**) *.d .	
					(ii) with two years	
		1			regular service in	
		1			the grade rendered	
					after appointment	
					thereto on a regular	
					increto on a regular	
		1			basis in the pay	
					Level 8 or	
					equivalent in the	
		1			parent cadre or	
					department; or	
					department, or	
			1			

					(iii) With three	
					years regular	
					service in the grade	
					rendered after	
					appointment thereto	
					on a regular basis in	
					the Pay Level 7 or	
					equivalent in the	
					parent cadre or	
					department; or	
					department, or	
					(iv) With eight	
					years regular	
					service in the grade	
					rendered after	
					appointment thereto	
					on a regular basis in	
					the Pay Level 6 or	
					equivalent in the	
					parent cadre or	
					department and	
					(b) Possessing the	
					following	
					educational	
					qualification and	
					experience :-	
					Masters degree	
					from a recognized	
					University in Hindi	
					with English as a	
					compulsory or	
					elective subject or	
					as the medium of	
					examination at the	
					degree level;	
					OR	

		T T	Master's degree	
			from a recognized	
			University in	
			English with Hindi	
			as a compulsory or	
			elective subject or	
			as the medium of	
			examination at the	
			degree level;	
			degree level;	
			OD	
			OR	
			M	
			Master's degree	
			from a recognized	
			University in any	
			subject other than	
			Hindi or English,	
			with Hindi medium	
			and English as a	
			compulsory or	
			elective subject or	
			as the medium of	
			examination at the	
			degree level;	
			OR	
			Master's degree	
			from a recognized	
			University in any	
			subject other than	
			Hindi or English,	
			with English	
			medium and Hindi	
			as a compulsory or	
			elective subject or	
			as the medium of	
			examination at the	
			degree level;	
			degree rever,	
	1	1		

			OR	
			Master's Degree	
			from a recognized	
			University in any	
			subject other than	
			Hindi or English,	
			with Hindi and	
			English as	
			compulsory or	
			elective subjects or	
			either of the two as	
			a medium of	
			examination and the	
			other as a	
			compulsory or	
			elective subject at	
			degree level; and	
			degree le ver, una	
			(ii) Three years's	
			experience of using	
			or applying	
			terminology	
			(terminological	
			work) in Hindi and	
			translation work	
			from English to	
			Hindi or vice-versa,	
			preferably of	
			technical or	
			scientific literature	
			under Central or	
			State Government	
			or Autonomous	
			Body or Statutory	
			Organization or	
			Public Sector	
			Undertaking or	
			Universities or	

										educational		ı
										institutions		
										mstitutions		
										OD		
										OR		
										Three years		
										experience of		
										teaching in Hindi		
										and English or		
										research in Hindi or		
										English under		
										Central or State		
										Governments or		
										Autonomous Body		
										or Statutory		
										Organization or		
										Public Sector		
										Undertakings or		
										Universities or		
										recognized research		
										or educational		
										institutions		
12. Hindi	"3*(2018)	Group-'B'	Day Lavel	Not	30 Years	Masters degree	Not	Two	100% by	Not Applicable	Selection	Not
	,,	Group- B	Pay Level		30 Tears					Not Applicable		
Translator	"		06	Applicab		from a recognized	applicable	Years	direct		Committee	Applicable
		Non-	(Rs.35,400	le		University in Hindi			recruitment		shall consist of:	
		Ministerial	-1,12,400)			with English as a						
						compulsory or					(i) Executive	
						elective subject or					Director,	
											Food Safety	
						as the medium of					and	
						examination at the					Standards	
						degree level;					Authority of	
						· ·					India -	
						OR					Chairman.	
						*==					(ii) Director,	
						Master's degree					Food Safety	
											and	
						from a recognized					Standards	
						University in						
											Authority of	

-			
		English with Hindi	India -
		as a compulsory or	Member
		elective subject or	(iii) Joint
		as the medium of	Director, Food
		examination at the	Safety and
		degree level;	Standards
		degree level,	Authority of
		OR	India - Member
		OK	maia - ivicinoci
		Master's degree	(iv) One
		from a recognized	outside expert
			of appropriate
		University in any	
		subject other than	level to be
		Hindi or English,	nominated by
		with Hindi medium	Chief Executive
		and English as a	Officer, Food
		compulsory or	Safety and
		elective subject or	Standards
		as the medium of	Authority of
		examination at the	India -
		degree level;	Member
		OR	
		Master's degree	
		from a recognized	
		University in any	
		subject other than	
		Hindi or English,	
		with English	
		medium and Hindi	
		as a compulsory or	
		elective subject or	
		as the medium of	
		examination at the	
		degree level;	
		degree lever;	
		OR	
		Master's Degree	
		Industria Degree	

from a recognized
University in any
subject other than
Hindi or English,
with Hindi and
English as
compulsory or
elective subjects or
either of the two as
a medium of
examination and the
other as a
compulsory or
elective subject at
degree level;
And
Recognized
Diploma or
Certificate course in
translation from
Hindi to English
and vice versa or
two years'
experience of
translation work
from Hindi to
English and vice
versa in Central or
State Government
office, including
Government of
India Undertaking.
Note 1:
Qualifications are
relaxable at the
discretion of the
competent authority

						in the case of						
						candidates						
						otherwise well						
						qualified.						
						Note 2: The						
						qualification(s)						
						regarding						
						experience is						
						relaxable at the						
						discretion of the						
						competent authority						
						in the case of						
						candidates						
						belonging to						
						Scheduled Castes or						
						Scheduled Tribes if						
						at any stage of						
						selection, the						
						competent authority						
						is of the opinion						
						that sufficient						
						number of						
						candidates from						
						these communities						
						possessing the						
						requisite experience						
						are not likely to be						
						available to fill up						
						the vacancy						
						reserved for them.						
12 6 :	(/J*/(0010)	G 1	D 1 1	0.1	NT /	37 . A 1' 11	NT.	NT /	1000/1	() =	0.1	NT /
13. Senior	"7*(2018)	General	Pay Level	Selectio	Not	Not Applicable	No	Not	100% by	(a) For	Selection	Not
Private		Central	08	n	Applicab			Applicab	promotion	promotion	Committee	Applicable
Secretary		Service,	(Rs.47,600		le			le	failing	Personal Secretary	shall consists	
		Group-B	-1,51,100)						which	in Level	of:-	
		N.							deputation		(i) F (i	
		Non-							(including	7 (133.11,200	(i) Executive	

Ministerial		shor	rt-term	1,42,400) with two	Director,	
		cont	tract) or	years' service in the	Food Safety	
		abso	orption	grade rendered after	and	
			~	appointment thereto	Standards	
				on a regular basis.	Authority of	
				on a regular custs.	India -	
				Note 1: The (ii)	Chairman. Advisor,	
				eligibility list for	Food Safety	
				promotion shall be	and	
				-	Standards	
				prepared with	Authority of	
				reference to the date	India -	
				of completion by	Member	
				the officers of the (iii) Director,	
				prescribed	Food Safety	
				qualifying service in	and	
				their respective	Standards	
				grade or post.	Authority of	
					India -	
				Note 2: Where	Member	
				juniors who have (iv)	One outside	
				completed their	expert of	
				qualifying or	appropriate level to be	
				eligibility service	nominated	
				are being	by Chief	
				considered for	Executive	
					Officer,	
				promotion, their	Food Safety	
				seniors would also	and	
				be considered	Standards	
				provided they are	Authority of	
				not short of the	India -	
				requisite qualifying	Member	
				or eligibility		
				service by more		
				than half of such		
				qualifying or		
				eligibility service,		
				or two years,		
				whichever is less,		
				and have		
				successfully		

				completed their	
				probation period for	
				promotion to the	
				next higher grade	
				along with their	
				juniors who have	
				already completed	
				such qualifying or	
				eligibility service	
				(b) For	
				deputation	
				(Including	
				Short	
				Term	
				Contract)	
				or	
				absorption	
				:	
				Officers of the	
				Central Government	
				or State	
				Governments or	
				Union Territories or	
				Recognized	
				Research	
				Institutions or	
				Public Sector	
				Undertakings or	
				Semi–Government,	
				Statutory or	
				Autonomous	
				Organisations :-	
				(i) Holding	
				analogous post on	
				regular basis in the	
				parent cadre or	
				department; or	

-												
										(i) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department.		
14. Personal Secretary	"17*(201 8)"	Group-B Non- Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900 -1,42,400)	Selection	Not Applicab le	Not Applicable	No	Not Applicab le	100% by promotion failing which deputation (including short-term contract) or absorption	(c) For promotion: Personal Assistant in Level 6(Rs. 35,400-1,12,400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii)Advisor, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii) Direc tor, Food Safety and Standards Authority of India- Member (iii) Direc tor, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated	Not Applicable

				considered for	by Chief	
				promotion, their	Executive	
					Officer,	
				seniors would also	Food Safety	
				be considered	and	
				provided they are	Standards	
				not short of the	Authority of	
				requisite qualifying	India -	
				or eligibility	Member	
					Member	
				service by more		
				than half of such		
				qualifying or		
				eligibility service,		
				or two years,		
				whichever is less,		
				and have		
				successfully		
				completed their		
				probation period for		
				promotion to the		
				next higher grade		
				along with their		
				juniors who have		
				already completed		
				such qualifying or		
				eligibility service		
				(d) For		
				deputation		
				(Including		
				Short		
				Term		
				Contract)		
				or		
				absorption		
				:		
				Officers of the		
				Central Government		
				or State		
				Governments or		
				Union Territories or		

										Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre or department.		
15. Personal Assistant	"39*(201 8)"	General Central Service,Gro up-'B' Non- Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400 -1,12,400)	Not Applicab le	30 Years	(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institution with proficiency in shorthand (80 WPM) and typing (40 WPM - English) and/ or (35 WPM-	Not Applicable	Two Years	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee shall consist of:- (i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of	Not Applicable

	1	ı	1	1		11: 1:\				<u> </u>	т 1: .	1
						Hindi)					India- Chairman.	
						(") 01 11 1					(ii) Advisor,	
						(ii) Should be					Food Safety	
						computer literate					and	
						and proficient in					Standards	
						using MS Office					Authority of	
						and internet etc.					India-	
											Member	
						Desirable:					(iii) Director,	
											Food Safety	
						Diploma or					and	
						certificate in office					Standards	
						management and					Authority of	
						secretarial					India -	
						procedure or					Member	
						•					(iv) One outside	
						equivalent from a					expert of	
						recognised or					appropriate	
						reputed institution.					level to be	
											nominated	
						Note 1:					by Chief	
						Qualifications are					Executive	
						relaxable at the					Officer,	
						discretion of the					Food Safety and	
						competent authority					Standards	
						in the case of					Authority of	
						candidates					India -	
						otherwise well					Member	
											Wiemoer	
						qualified.						
16. Staff	"3*(2018)	General	Pay Level	Not	25 Years	(i) Possession of a	Not	Two	deputation	Deputation or	Selection	Not
Car Driver	,, (2018)	Central	02	applicabl	23 1 Cal 5	valid driving	Applicable	Years	or	absorption:	Committee	Applicable
						license for motor	Applicable	1 cars		aosorphon:		Applicable
(Ordinary		Service,	(Rs.19,900	e		cars;			absorption	From amongst the	consists of:-	
Grade)		Group-C	-63,200)			(ii) Knowledge of			failing		(:) D:	
						motor			which by	regular Staff Car	(i) Director,	
		Non-				mechanism (The			direct	Driver in Pay Level	Food Safety and	
		Ministerial				candidate should			recruitment	-1 in any	and Standards	
						be able to remove				Government	Authority of	
						minor defects in				Organization and	India -	
						vehicle)					maia -	

		(iii)Experience of	For armed	who fulfill the	Chairman.	
		driving a motor	forces	necessary	(ii) Joint	
		car for at least	Personnel:	qualification as	Director	
		three years; and	deputation	mentioned in	Food Safety	
		(iv) Pass in 10 th	or re-	column 7	and	
		Standard	employmen	Column 7	Standards	
		Note 1:			Authority of	
		Qualifications are	t.		India –	
		relaxable at the			Member	
		discretion of the			(iii) Deputy Director,	
		competent authority			Food Safety	
		in the case of			and	
		candidates			Standards	
		otherwise well			Authority of	
		qualified.			India -	
		1			Member	
		Note 2: The			(iv) One outside	
		qualification(s)			expert of	
		regarding			appropriate	
		experience is			level to be	
		relaxable at the			nominated by Chief	
		discretion of the			Executive	
		competent authority			Officer,	
					Food Safety	
		in the case of			and	
		candidates			Standards	
		belonging to			Authority of	
		Scheduled Castes or			India -	
		Scheduled Tribes if			Member	
		at any stage of				
		selection, the				
		competent authority				
		is of the opinion				
		that sufficient				
		number of				
		candidates from				
		these communities				
		possessing the				
		requisite experience				
		are not likely to be				
		available to fill up				
		available to fill up				

						the vacancy reserved for them.						
17. Multi Tasking Staff (MTS)	"50*(201 8)"	General Central Service, Group-C Non- Ministerial	Pay Level 01 (Rs.18,000 -56,900)	Not applicabl e	25 Years	Matriculation or equivalent from recognised board Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two Years	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee consists of: - (i) Director, Food Safety and Standards Authority of India - Chairman. (ii) Joint Director Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii)Deputy Director, Food Safety and Standards Authority India- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority India- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	Not Applicable

18.	"60*(2018)"	General	Pay Level 10	Selection	35	(i) "Master Degree from a No	Two	(i) 60% by	For promotion:	Selection N	Not
Assistant		Central	(Rs.56,100-			recognized University or	Years	promotion	•		Applicable
Director		Service,	1,77,500)			Institution in Chemistry or		failing	80% from Technical		11
(Technical)		Group-A	, , ,			Biochemistry or Food		which	Officer in Level		
		1				Technology or Food Science		deputation	7(Rs.44,900-1,42,400)	(i) Chief Executive	
		Non-				& Technology or Food &		(including	with three years' service	Officer, Food	
		Ministerial				Nutrition or Edible Oil		short-term	in the grade rendered after	Safety and	
						Technology or Microbiology		contract)or	appointment thereto on a	Standards	
						or Dairy Technology or		absorption	regular basis and	Authority of India -	
						Agricultural or horticultural		_		Chairman.	
						Sciences or Industrial		(ii) 40% by	20% from CFSO in Level		
						Microbiology or Toxicology		direct	7 (Rs.44,900-1,42,400)		
						or Public Health or Life		recruitment	with three years' service		
						Science or Biotechnology or			in the grade rendered after	•	
						Fruit & Vegetable Technology			appointment thereto on a		
						or Food Safety &Quality			regular basis.	Authority of India-	
						Assurance or any other subject				Member	
						as approved by Food Authority			Note 1: The eligibility list		
						from time to time			for promotion shall be		
									prepared with reference to		
						OR			the date of completion by	l l	
									the officers of the	-	
						PG Diploma of atleastone year			prescribed qualifying		
						duration from a recognized			service in their respective		
						University or Institution in			grade or post.	(iv)One expert of	
						Food Safety and Quality			N	appropriate level to	
						Assurance (under appropriate			Note 2: Where juniors	l l	
						nomenclature) and approved			who have completed their	_	
						by the Food Authority from			qualifying or eligibility		
						time to time				Standards	
									considered for promotion,		
						OR			their seniors would also be	- Member.	
						DE D.W. 1 . E . 1			considered provided they		
						BE or B.Tech in Food			are not short of the		
						Technology or Dairy			requisite qualifying or	l l	
						Technology or Biotechnology			eligibility service by more		
						or Oil Technology or Food			than half of such		
						Process Engineering or Food			qualifying or eligibility		
						Processing Technology or			service, or two years,		
						Fruit & Vegetable Technology			whichever is less, and		

or Food Safety & Quality	have successfully
Assurance or Bachelor's	completed their probation
degree (not less than four years	period for promotion to
duration) in Medicine or	the next higher grade
Veterinary sciences or	along with their juniors
Fisheries or Animal Sciences	who have already
or any other subject as	completed such
approved by Food Authority	qualifyingoreligibility
from time to time.	service
Desirable qualification:-	For deputation (Including
	Short Term Contract) or
Doctorate Degree in any of the	absorption:
aforesaid subjects	Officers of the Co. (1)
and	Officers of the Central
and	Government or State
(ii) five Years relevant	Governments or Union
experience	Territories or Universities
	or Recognized Research
Desirable: Graduate Aptitude	Institutions or Public
Test Engineering or Council of	Sector Undertakings or
Scientific and Industrial	Semi-Government,
Research or Indian Council of	Statutory or Autonomous
Agricultural Research National	Organisations :
Eligibility Test.	(a)(i) Holding analogous
	post on regular basis in the
Note 1: Out of the total	parent cadreordepartment;
experience sought, two years	or
of experience should be in	
immediate lower pay level in	(ii) with two years regular
central dearness allowance, or	service in the grade
equivalent industrial dearness	rendered after
allowance scale (as applicable)	appointment thereto on a
and in case of candidates	regular basis in the Pay
working in private sector he or	Level 8 or equivalent in
she shall be drawing minimum	the parent cadre or
comparable annual cost to	department; or
company for last two years to	
be decided by the competent	(ii) With three years

						authority and shall be			regular service in the		
						indicated in the advertisement			grade rendered after		
						on each occasion			appointment thereto on a		
									regular basis in the Pay		
						Note2: Qualifications are			Level 7 or equivalent in		
						relaxable at the discretion of			the parent cadre or		
						the competent authority in the			department; or		
						case of candidates otherwise			1		
						well qualified.			(iii)with eight years		
									regular service in the		
						Note 3: The qualification(s)			grade rendered after		
						regarding experience is			appointment thereto on a		
						relaxable at the discretion of			regular basis in the Pay		
						the competent authority in the			Level 6 or equivalent in		
						case of candidates belonging			the parent cadre or		
						to Scheduled Castes or			department and		
						Scheduled Tribes if at any					
						stage of selection, the			(b) Possessing the		
						competent authority is of the			educational qualification		
						opinion that sufficient number			prescribed for direct		
						of candidates from these			recruitment under column		
						communities possessing the			7.		
						requisite experience are not					
						likely to be available to fill up					
						the vacancy reserved for them.					
19. Food	"10*(2018)"	General	Pay Level 10		35	(i) Master's degree in	Two	100% by	Not Applicable	Selection	Not
Analyst		Central	(Rs.56,100-	Applicabl	Years	Chemistry or Biochemistry or	Years	direct		Committee consists	Applicable
		Service, Group-	1,77,500)	e		microbiology or Dairy		recruitment		of :-	
		A				Chemistry or Food				CI. CE	
		N				Technology, Food and				i) Chief Executive Officer, Food	
		Non-				Nutrition or Bachelor of				Safety and	
		Ministerial				Technology in Dairy or Oil or				Standards	
						degree in Veterinary Sciences				Authority of	
						from a university established				India -	
						in India by law or is an				Chairman.	
						associate of the Institution of				ii) Advisor, Food	
						Chemists (India) by				Safety and Standards	
						examination in the section of				Authority of	
						Food Analysts conducted by				India - Member	

the Institution of Chemists	iii) Executive
(India) or any other equivalent	Director, Food
qualification recognized and	Safety and Standards
notified by the Central	Authority of
government for such purposes	India - Member.
and has not less than three	iv) One outside
years experience in the	expert of
analysis of food; and	appropriate
	level to be
(ii) Has been declared	nominated by
qualified for appointment as a	Chairperson, Food Safety and
Food Analyst by a board	Standards
appointed and notified by the	Authority of
Authority	India –
	Member
Desirable: Graduate Aptitude	
Test Engineering or Council of	
Scientific and Industrial	
Research or Indian Council of	
Agricultural ResearchNational	
Eligibility Test.	
Note 1: Qualifications are	
relaxable at the discretion of	
the competent authority in the	
case of candidates otherwise	
well qualified.	
Note 2: The qualification(s)	
regarding experience is	
relaxable at the discretion of	
the competent authority in the	
case of candidates belonging	
to Scheduled Castes or	
Scheduled Tribes if at any	
stage of selection, the	
competent authority is of the	
opinion that sufficient number	
of candidates from these	
communities possessing the	

						requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.						
20.	"255*(2018)"	General	Pay Level 07	Not	30	"Master Degree from a No	T _v	wo	100% by	Not Applicable	Selection	Not
Technical	233 (2016)	Central	(Rs.44,900-	applicabl				ears	direct	Not Applicable		Applicabl
		Service,			rears		1,0	cars	recruitment			Аррисаві
Officer		,	1,42,400)	e		Institution in Chemistry or			recruitment		consists of:	
		Group-B	The			Biochemistry or Food					i) Executive	
		Non-	Technical			Technology or Food Science					Director, Food	
		Ministerial	Officer on			& Technology or Food &					Safety and	
		Ministeriai				Nutrition or Edible Oil					Standards	
			completion of			Technology or Microbiology					Authority of	
			3 rd Year and			or Dairy Technology or					India – Chairman	
			6 th Year may			Agricultural or horticultural					ii) Advisor, Food	
			be granted			Sciences or Industrial					Safety and	
			non-			Microbiology or Toxicology					Standards	
			functional			or Public Health or Life					Authority of	
			upgradation			Science or Biotechnology or					India - Member iii)Director, Food	
			in pay Level			Fruit & Vegetable Technology					Safety and	
			8 and 9			or Food Safety & Quality					Standards	
			respectively			Assurance or any other subject					Authority of	
			subject to			as approved by Food Authority					India - Member	
			their			from time to time					v)One outside	
			vigilance								expert of	
			clearance.			OR					appropriate level	
											to be nominated	
						PG Diploma of atleastone year					by Chief	
						duration from a recognized					Executive Officer, Food	
						University or Institution in					Safety and	
						Food Safety and Quality					Standards	
						Assurance (under appropriate					Authority of	
						nomenclature) and approved					India - Member	
											india ividiadi	
						by the Food Authority from						
						time to time						
						OR						
						BE or B.Tech in Food						
						Technology or Dairy						
						Technology or Biotechnology						

						or Oil Technology or Food Process Engineering or Food Processing Technology or Fruit & Vegetable Technology or Food Safety & Quality					
						Assurance or Bachelor's degree (not less than four years duration) in Medicine or Veterinary sciences or Fisheries or Animal Sciences or any other subject as approved by Food Authority					
						from time to time. Desirable: Graduate Aptitude Test Engineering or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Agricultural ResearchNational					
						Eligibility Test. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.					
21. Central Food Safety Officer	"74*(2018)"	General Central Service, Group-B Non- Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900- 1,42,400) The Central Food Safety Officer on completion of 3 rd Year and 6 th Year of may be	applicabl e	Years	(i) Degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Masters Degree in Chemistry or degree in medicine from a recognized University, or	2 Years (During the period of probation direct recruits shall have to successful	100% by direct recruitment	Not Applicable	Selection Committee shall consists of: i) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India – Chairman ii) Advisor, Food	Not Applicable

Information Technology & Specialized Cadre

22. Chief	"1*(2018)"	General	Pay Level 13	Not	50	(i) Bachelor's	Not	One	By 100% direct	Not applicable	Selection C	Committee	Not
echnolog	y	Central	(Rs.1,23,100-2,15,900)	Applicable	Years	or Master's	applicable	Year	Recruitment		shall compris	se of:-	Applicable
Officer		Service,				Engineering					(1)		
		Group-A, Non- Ministerial	or Consolidated remuneration in the range of Rs. (160000-258300) depending upon year of experience			degree in any stream from a reputed university. (ii) Should have a minimum of sixteen years in the Information Technology industry with					, Food Sat Standards of India -Cha (ii) Ch Executive	Authority iirman iief Officer, ety and Authority mber ne e by Health and	

	at least ten.	(iv) One outside
	years into large	expert of appropriate
	application	level to be nominated
	development.	by Chairperson, Food
	ис усториил.	Safety and Standards
	(iii) Should	Authority of India-
	have at least	Member.
	five years of	
	experience of	
	working with	
	the	
	Governmentor	
	Public Sector	
	Note 1:	
	Qualifications	
	are relaxable at	
	the discretion	
	of the	
	competent	
	authority in the	
	case of	
	candidates	
	otherwise well	
	qualified.	
	quanneu.	
	Note 2: The	
	qualification(s)	
	regarding	
	experience is	
	relaxable at the	
	discretion of	
	the competent	
	authority in the	
	case of	
	candidates	
	belonging to	
	Scheduled	
	Castes or	
	Scheduled	
	Scheduled	

						Tribes if at any						
						stage of						
						selection, the						
						competent						
						authority is of						
						the opinion						
						that sufficient						
						number of						
						candidates						
						from these						
						communities						
						possessing the						
						requisite						
					1	experience are						
						not likely to be						
						available to fill						
						up the vacancy						
						reserved for						
						them.						
						them.						
23. Senior	"2*(2018)"	General	Pay Level 12 (Rs.78,800-	Selection	50	(i) B.	Not	one	(i) By 25% by	For promotion:	Selection Committee	Not
Manager	, ,	Central	2,09,200)		Years	Tech or M.	applicable	Year	promotion failing	-	for shall consists of:	applicable
(IT)		Service,				Tech in			which deputation	Manager (IT) in Level		
			or Consolidated			Computer			(including short	11(Rs. 6770470-	(i) Chief	
		,	remuneration in the range			Science or any			term contract)or	208700) with five years'	Executive Officer,	
		Non-	of Rs.110000-Rs.275000			other			absorption.	service in the grade	Food Safety and	
		Ministerial	depending upon years of			Engineering				rendered after	Standards Authority	
			experience			Discipline or			(ii) By 75% by	appointment thereto on	of India- Chairman.	
						MCA or			direct recruitment	a regular basis.		
						Bachelor's					(iii) Executive	
						Degree in					Director, Food Safety	
						Relevant field.					and Standards	
						Televant field.				Note 1: Where juniors	Authority of India-	
						(ii) ten years				who have completed	Member	
						of total				their qualifying or		
						experience				eligibility service are	(iii) CTO, Food	
						P				being considered for		
						(iii) minimum				promotion, their seniors	Authority of India-	
						five years'				would also be		
1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1

г г			
		experience in	considered provided Member.
		relevant field.	they are not short of the
			requisite qualifying or (iv) One outside
		Note 1: Out of	eligibility service by expert of appropriate
		the total	more than half of such level to be nominated
		experience	qualifying or eligibility by Chairperson, Food
		sought, two	service, or two years, Safety and Standards
		years of	whichever is less, and Authority of India -
		experience	have successfully Member
		should be in	completed their
		immediate	probation period for
		lower pay level	promotion to the next
		in central	higher grade along with
		dearness	their juniors who have
		allowance, or	already completed such
		equivalent	qualifying or eligibility
		industrial	service
		dearness	
		allowance	For deputation
		scale (as	(including short term
		applicable) and	contract)or absorption:
		in case of	
		candidates	Officers of the Central
		working in	Government or State
		private sector	Governments or Union
		he or she shall	Territories or
		be drawing	Universities or
		minimum	Recognized Research
		comparable	Institutions or Public
		annual cost to	Sector Undertakings or
		company for	Semi-Government,
		last two years	Statutory or
		to be decided	Autonomous
		by the	Organisations:-
		competent	
		authority and	(a)(i) Holding
		shall be	analogous post on
		indicated in the	regular basis in the
		advertisement	parent cadre or
<u> </u>	l		

	on each	department; or
	occasion	
		(ii) With five years
	Note 2:	regular service in the
	Qualifications	grade rendered after
	are relaxable at	appointment thereto on
	the discretion	a regular basis in the
	of the	Pay Level 11 or
	competent	equivalent; and
	authority in the	
	case of	(b) Possessing the
	candidates	educational
	otherwise well	qualification prescribed
	qualified.	for direct recruitment
		under column 7.
	Note 3: The	
	qualification(s)	
	regarding	
	experience is	
	relaxable at the	
	discretion of	
	the competent	
	authority in the	
	case of	
	candidates	
	belonging to	
	Scheduled	
	Castes or	
	Scheduled	
	Tribes if at any	
	stage of	
	selection, the	
	competent	
	authority is of	
	the opinion	
	that sufficient	
	number of	
	candidates	
	from these	
	communities	
	 <u> </u>	

-												
						possessing the						
						requisite						
						experience are						
						not likely to be						
						available to fill						
						up the vacancy						
						reserved for						
						them.						
						N-4- 4. Th-						
						Note 4: The						
						aforesaid						
						educational						
						qualification						
						and						
						experience is						
						the basic						
						eligibility						
						criteria.						
						Additional						
						requirements						
						on functional						
						basis, if any,						
						shall be						
						mentioned in						
						the						
						advertisement						
						on each						
						occasion.						
24.	"2*(2018)"	General	Pay Level 11 (Rs.67,700-	Selection	40	i) B. Tech or	Not	Two	By 100% promotion	For promotion:	Selection Committee	Not
Manager			2,08,700)		Years	M. Tech in				_		applicable
(IT)		Service,				Computer	11		deputation(including	Deputy Manager (IT)		11
(- /			or Consolidated			Science or any			short term contract)	in Level 10(Rs. 56,100-	(i) Chief Executive	
		01000	remuneration in the range			other			or absorption or	1,77,500) with five	Officer, Food	
			of Rs.95000-Rs.270000						diment manuit	years' service in the	Safety and	
			depending upon years of			Engineering				grade rendered after	Standards and	
						Discipline or			on contract basis	_		
			experience			MCA or				appointment thereto on	Authority of	
						Bachelor's				a regular basis.	India- Chairman.	
						Degree in					(::) E (:	
											(ii) Executive	

	Relevant field.	Director, Food Safety
		and Standards
	(ii) eight years	Note 1: Where juniors Authority of India-
	of total	who have completed Member
	experience	their qualifying or
		eligibility service are (iii)CTO, Food Safety
	(iii) minimum	being considered for and Standards
	five years'	promotion, their seniors Authority of India-
	experience in	would also be Member.
	relevant field.	considered provided
		they are not short of the (iv) One outside
	Note 1: Out of	requisite qualifying or expert of appropriate
	the total	eligibility service by level to be nominated
	experience	more than half of such by Chairperson, Food
	sought, two	qualifying or eligibility Safety and Standards
	years of	service, or two years, Authority of India -
	experience	whichever is less, and Member
	should be in	have successfully
	immediate	completed their
	lower pay level	probation period for
	in central	promotion to the next
	dearness	higher grade along with
	allowance, or	their juniors who have
	equivalent	already completed such
	industrial	qualifying or eligibility
	dearness	service
	allowance	
	scale (as	For deputation
	applicable) and	(including short term
	in case of	contract)or absorption:
	candidates	
	working in	Officers of the Central
	private sector	Government or State
	he or she shall	Governments or Union
	be drawing	Territories or
	minimum	Universities or
	comparable	Recognized Research
	annual cost to	Institutions or Public
	company for	Sector Undertakings or
	last two years	Semi-Government,

	to be decided	Statutory	or
	by the	Autonomous	
	competent	Organisations:-	
	authority and		
	shall be	(i) Holding analog	gous
	indicated in the	post on regular bas.	s in
	advertisement	the parent cadre	or
	on each	department; or	
	occasion		
		(i) With three y	ears
	Note 2:	regular service in	the
	Qualifications	grade rendered	after
	are relaxable at	appointment thereto	on
	the discretion	a regular basis in	
	of the	Pay Level 7	or
	competent	equivalent; and	
	authority in the		
	case of	(b) Possessing	the
	candidates	educational	
	otherwise well	qualification	as
	qualified.		rect
	quanten	recruitment u	nder
	Note 3: The	column 7.	
	qualification(s)		
	regarding		
	experience is		
	relaxable at the		
	discretion of		
	the competent		
	authority in the		
	case of		
	candidates		
	belonging to		
	Scheduled		
	Castes or		
	Scheduled		
	Tribes if at any		
	stage of		
	selection, the		

						competent							
						authority is of							
						the opinion							
						that sufficient							
						number of							
						candidates							
						from these							
						communities							
						possessing the							
						requisite							
						experience are							
						not likely to be							
						available to fill							
						up the vacancy							
						reserved for							
						them.							
						NI 4 TEI							
						Note 4: The							
						aforesaid							
						educational							
						qualification							
						and experience							
						is the basic							
						eligibility							
						criteria.							
						Additional							
						requirements							
						on functional							
						basis, if any,							
1													
1						mentioned in							
						the							
						advertisement							
						on each							
						occasion.							
1													
1													
25.	"4*(2018)"	General	Pay Level 10 (Rs.56,100-	Selection	35	(i) B.	Not	Two	By 100% promotion	For promotion:	Selection	Committee	Not
Deputy		Central				Tech or M.			failing which				
	1		1		1	1			l	ı	1		

	T		I	T= .			T	T	Ta	
Manager	Service,	1,77,500)	Years		applicable	Years		Assistant Manager (IT)	for shall consists of:	applicable
(IT)	Group-A,			Computer				in Level 7(Rs. 44,900-	(II) GIL G E	
		or		Science or any				1,42,400) with three		
	Non-	Consolidatedremuneration		other				years' service in the		
	Ministeria	l in the range of Rs.80000-		Engineering			on contract basis	grade rendered after		
		Rs.234000 depending		Discipline or				appointment thereto on		
		upon years of experience		MCA or				a regular basis.	Authority of	
				Bachelor's					India- Chairman.	
				Degree in						
				Relevant field.					(ii) Executive	
								Note 1: Where juniors	-	
				(ii) six years of				who have completed		
				total					Authority of India-	
				experience				eligibility service are		
								being considered for		
				(iii) minimum				promotion, their seniors	(iii)CTO, Food Safety	
				three years'				would also be	and Standards	
				experience in				considered provided	Authority of India-	
				relevant field.				they are not short of the	Member.	
								requisite qualifying or		
				Note 1: Out of				eligibility service by	(iv) One outside	
				the total				more than half of such	expert of appropriate	
				experience				qualifying or aligibility	level to be nominated	
				sought, two				carvice or two years	by Chairperson, rood	
				years of				whichever is less, and	Safety and Standards	
				experience				have suggestedly	Authority of Illula -	
				should be in				completed their	Member	
				immediate				probation period for		
				lower pay level				promotion to the next		
				in central				higher grade along with		
				dearness				their juniors who have		
				allowance, or				already completed such		
				equivalent				qualifying or eligibility		
				industrial				service		
				dearness						
				allowance				For deputation		
				scale (as				(including short term		
				applicable) and				contract)or absorption:		
				in case of						
				candidates				Officers of the Central		
				canalaucs						

working in	Government or State
private sector	Governments or Union
he or she shall	Territories or
be drawing	Universities or
minimum	Recognized Research
comparable	Institutions or Public
annual cost to	Sector Undertakings or
company for	Semi-Government,
last two years	Statutory or
to be decided	Autonomous
by the	Organisations:-
competent	Organisations.
authority and	(i) Holding analogous
shall be	post on regular basis in
indicated in the	the parent cadre or
advertisement	department; or
on each	
occasion	(ii) With three years
occasion	regular service in the
Note 2:	grade rendered after
Qualifications	appointment thereto on
are relaxable at	a regular basis in the
the discretion	Pay Level 7 or
of the	equivalent; and
competent	
authority in the	(b) Possessing the
case of	educational
candidates	qualification prescribed
otherwise well	for direct recruitment in
qualified.	column 7
quanneu.	
Note 3: The	
qualification(s)	
regarding	
experience is	
relaxable at the	
discretion of	
the competent	
authority in the	
case of	

			candidates				
			belonging to				
			Scheduled				
			Castes or				
			Scheduled				
			Tribes if at any				
			stage of				
			selection, the				
			competent				
			authority is of				
			the opinion				
			that sufficient				
			number of				
			candidates				
			from these				
			communities				
			possessing the				
			requisite				
			experience are				
			not likely to be				
			available to fill				
			up the vacancy				
			reserved for				
			them.				
			N. 4				
			Note 4: The				
			aforesaid				
			educational				
			qualification				
			and experience				
			is the basic eligibility				
			criteria.				
			Additional				
			requirements				
			on functional				
			basis, if any,				
			shall be				
			mentioned in				
			mentioned III			1	

						the						
						advertisement						
						on each						
						occasion.						
						occusion.						
26.	"10*(2018)"	General	Pay Level 07 (Rs.44,900-	Selection	30	(i) B. Tech or	Not	Two	By 95%- direct	For promotion:	Selection Committee	Not
Assistant	, ,	Central	1,42,400)	Sciection	Years	M. Tech in			recruitment and by	or promotion.	shall consists of:	applicable
Manager		Service,	1,42,400)		Tears	Computer	аррисавіс	1 cars	5% promotion	IT Assistant in Level	shan consists of.	аррисавіс
(IT)		-	or Consolidated			-					(i) Executive Director,	
(11)		Group-B	remuneration in the range			Science or any						
		Non-	of Rs.60000-Rs.186000			other			deputation(including			
						Engineering			· ·	in the grade rendered		
			depending upon years of			Discipline or			or absorption		of India – Chairman	
			experience			MCA or				thereto on a regular	(ii) CTO, Food Safety	
						Bachelor's				basis.	and Standards	
						Degree in				NT . 4 NT		
						Relevant field.				Note 1: Where juniors	•	
										who have completed	Member	
						(ii) 5 Years of				their qualifying or		
						total				eligibility service are	(111) Director, Food	
						experience					Safety and Standards	
						(iii) minimum				promotion, their seniors	Authority of India-	
						3 years'				would also be	Member	
						experience in				considered provided		
						relevant field				they are not short of the	(iv)One outside expert	
						Tere vant nera				requisite qualifying or	of appropriate level to	
						Note 1: Out of				eligibility service by	be nominated by	
						the total				more than half of such	Chief Executive	
						experience				qualifying or eligibility	Officer, Food Safety	
						sought, two				service, or two years,	and Standards	
						years of				whichever is less, and	Authority of India -	
						-				,	Member	
						experience				have successfully		
						should be in				completed their		
						immediate				probation period for		
						lower pay level				promotion to the next		
						in central				higher grade along with		
						dearness				their juniors who have		
						allowance, or				already completed such		
						equivalent				qualifying or eligibility		

1 1		
	industrial	service
	dearness	For Domestical
	allowance	For Deputation
	scale (as	(including short term
	applicable) and	contract)or Absorption:
	in case of	
	candidates	Officers of the Central
	working in	Government or State
	private sector	Governments or Union
	he or she shall	Territories or
	be drawing	Universities or
	minimum	Recognized Research
	comparable	Institutions or Public
	annual cost to	Sector Undertakings or
	company for	Semi-Government,
	last two years	Statutory or
	to be decided	Autonomous
	by the	Organisations:-
	competent	(1/2)
	authority and	(a)(i) Holding
	shall be	analogous post on
	indicated in the	regular basis in the
	advertisement	parent cadre or
	on each	department; or
	occasion	(ii) With five years
		regular service in the
	Note 2:	grade rendered after
	Qualifications	
	are relaxable at	appointment thereto on
	the discretion	a regular basis in the
	of the	Pay Level 6 or
	competent	equivalent in the parent
	authority in the	cadre or department;
	case of	and
	candidates	(b) Possessing the
	otherwise well	educational
	qualified.	
		qualification prescribed
	Note 3: The	for direct recruitment

		qualification(s)	under column 7.	
		regarding		
		experience is		
		relaxable at the		
		discretion of		
		the competent		
		authority in the		
		case of		
		candidates		
		belonging to		
		Scheduled		
		Castes or		
		Scheduled		
		Tribes if at any		
		stage of		
		selection, the		
		competent		
		authority is of		
		the opinion		
		that sufficient		
		number of		
		candidates		
		from these		
		communities		
		possessing the		
		requisite		
		experience are		
		not likely to be		
		available to fill		
		up the vacancy		
		reserved for		
		them.		
		N		
		Note 4: The		
		aforesaid		
		educational		
		qualification		
		and experience		
		is the basic		
		eligibility		

						criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.						
27. IT Assistant	"6*(2018)"	Central Service, Group-C	Pay Level 06 (Rs.35400- 112400) or Consolidated remuneration in the range of Rs. 50000-150000 depending upon years of experience	Not applicable	30 Years	(i) Bachelor's Degree. Note:- The aforesaid educational qualification is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.			By 100%-direct recruitment	Not applicable	Selection Committee shall consists of: (i)Director, Food Safety and Standards Authority of India-Chairman. (ii) CTO, Food Safety and Standards Authority of India - Member (iii)Deputy Director-Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India - Member	
28. Principal Manager	"1*(2018)"	Central Service, Group-A,	Pay Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) or Consolidatedremuneration in the range of	Not applicable	50 Years	(i) Post Graduate Degree or Diploma (Full Time courses)	Not applicable	One Year	By 100% direct recruitment	Not applicable	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, Food Safety and Standards	applicable

Ministerial Rs.165000-Rs.280000	in journalism	Authority of India-
depending upon year of	or Mass	Chairman.
experience	communication	Chairman.
experience	or Public	(ii) Executive
	Relation or	Director, Food Safety
	MBA with	and Standards
	specialization	Authority of India-
	in Marketing	Member
	from a	THE MOST
	recognized	(iii)Advisor, Food
		Safety and Standards
	university or Institute	Authority of India-
		Member.
	OR	
	Post Graduate	(iv) Representative of
	Degree or	Ministry of Health
	Diploma in	and Family Welfare -
	Social Work or	Member
	psychology or	
	Labour and	(iv)One outside expert
	Social Welfare	of appropriate level to
	from a	be nominated by
	recognized	Chairperson, Food
	university or	Safety and Standards
	Institute and	Authority of India -
	(ii) Sixteen	Member
	years'	
	experience in relevant area	
	Note 1: Out of	
	the total	
	experience	
	sought, two	
	years of	
	experience	
	should be in	
	immediate	
	lower pay level	
	in central	

	I	l	dearness			
			allowance, or			
			equivalent			
			industrial			
			dearness			
			allowance			
			scale (as			
			applicable) and			
			in case of			
			candidates			
			working in			
			private sector			
			he or she shall			
			be drawing			
			minimum			
			comparable			
			annual cost to			
			company for			
			last two years			
			to be decided			
			by the			
			competent			
			authority and			
			shall be			
			indicated in the			
			advertisement			
			on each			
			occasion			
			Note 2:			
			Qualifications			
			are relaxable at			
			the discretion			
			of the			
1			competent			
			authority in the			
			case of			
			candidates			
			otherwise well			

	qualified.		
	Note 3: The		
	qualification(s)		
	regarding		
	experience is		
	relaxable at the		
	discretion of		
	the competent		
	authority in the		
	case of		
	candidates		
	belonging to		
	Scheduled		
	Castes or		
	Scheduled		
	Tribes if at any		
	stage of		
	selection, the		
	competent		
	authority is of		
	the opinion		
	that sufficient		
	number of		
	candidates		
	from these		
	communities		
	possessing the		
	requisite		
	experience are		
	not likely to be		
	available to fill		
	up the vacancy reserved for		
	them.		
	Note 4: The		
	aforesaid		
	educational		
	qualification		
	and experience		

29. Senior Manager	"2*(2018)"	Central Service, Group-A Non- Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) or Consolidated remuneration in the range of Rs.110000-Rs.275000 depending upon years of experience	Selection	50 Years	is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion. (i) Post Graduate Degree or Diploma (Full Time courses) in journalism or Mass communication or Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute OR Post Graduate		(ii) By 25% promotion failing which by deputation(including short term contract) or absorption	Manager in Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Officer, Food Safety and Standards Authority of India-Chairman. (ii) Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India-Member (iii) Advisor, Food Safety and Standards Authority of India-Member.	applicable
						from a recognized university or Institute			eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years.	Member (iii)Advisor, Food Safety and Standards Authority of India- Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, Food	

from a recognized university or Institute and (ii) Ten years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance, or equivalent industrial industrial dearness or institution promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their promotion to the next higher grade along with their junions who have already completed such qualifying or eligibility service already completed such their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service already completed such qualifying or eligibility dualifying or eligibility dualifying or eligibility de			
university or Institute and (ii) Ten years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance, or equivalent industrial institutions or Public dearness allowance in relevant area Institution who have already completed such qualifying or eligibility service already equipment of the total experience contract) or deputation (including short term contract) or absorption: For deputation (including short term contract) or absorption: contract) or absorption: For deputation (including short term contract) or absorption: contract) or absorption: For deputation (including short term contract) or absorption: contract) or absorption: For deputation (including short term contract) or State Government or State Government or State Government or State Government or Union Territories or Institutions or Public Gearness allowance, or Semi-Government, Scatutory or Autonomous Organisations:-		from a	probation period for
university or Institute and (ii) Ten years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance in relevant and industrial dearness allowance in similar distributions or late to the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness Organisations:-		recognized	promotion to the next
Institute and (ii) Ten years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness already completed such already completed such qualifying or eligibility service For deputation (including short term contract)or absorption: experience sought, two Officers of the Central Government or State Government or State Governments or Union State Governments or Union State Officers or Union State Officers or Semi—Government, Statutions or Public Sector Undertakings or Semi—Government, Statutory or industrial dearness Officers on Officers of the Central Government or State Government, Statutory or industrial dearness Officers of the Central Contract Officers of the Central Cont			higher grade along with
already completed such qualifying or eligibility experience in relevant area Note 1: Out of the total contract) or absorption: experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance , or equivalent industrial dearness already completed such qualifying or eligibility service service qualifying or eligibility service qualifying or eligibility service service for deputation (including short term contract) or absorption: officers of the Central Government or State Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:-			
(ii) Ten years' experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness (ii) Ten years' experience service For deputation (including short term contract)or absorption: experience contract)or absorption: experience government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Statutory or Autonomous Organisations:-			
experience in relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness Service For deputation (including short term contract)or absorption: Officers of the Central covernment or State (Government or State (Governments or Union Territories or Union Territories or Universities or Institutions or Public (Government, Statutory or Semi-Government, Statutory or Industrial (Government, Statutory		(ii) Ten years'	
relevant area Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness allowance in industrial dearness Tor deputation for deputation (including short term contract) or absorption: Contract) or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Interior or interior in the contract of		experience in	
Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness For deputation (including short term contract) or absorption: Contract) or absorption: experience contract) or absorption: experience sought, two officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations:-			
Note 1: Out of the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness Note 1: Out of the total (including short term contract) or absorption: Officers of the Central covernment or State Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:-			For deputation
the total experience sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness the total contract)or absorption: con		Note 1: Out of	•
experience sought, two years of experience should be in immediate lin central dearness allowance, or equivalent industrial dearness lossed of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations:-		the total	
sought, two years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness Sought, two years of Government or State Governments or Union Territories or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:-		experience	Contract/or accorption
years of experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness dearness dearness lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness logovernment or State Government or State G		_	Officers of the Central
experience should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness Organisations:-			
should be in immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations:-			
immediate lower pay level in central dearness allowance, or equivalent industrial dearness dearness Organisations:-		_	
lower pay level in central dearness Sector Undertakings or allowance, or equivalent equivalent industrial dearness Organisations:-			
in central dearness Sector Undertakings or Semi—Government, Statutory or industrial dearness Organisations:-			
dearness allowance, or equivalent industrial dearness dearness Sector Undertakings or Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:-			
allowance , or equivalent Statutory or industrial dearness Organisations:-			
equivalent industrial Autonomous dearness Organisations:-			
industrial Autonomous dearness Organisations:-			
dearness Organisations:-			
			Organisations:-
allowance Scale (as (a)(i) Holding			(a)(i) Holding
applicable) and analogous post on			
in case of regular basis in the			
candidates parent cadre or			
working in department; or			department; or
private sector		1 1	(i) With Consumer
he or she shall (i) With five years			
be drawing regular service in the			
minimum grade rendered after		minimum	
comparable appointment thereto on		comparable	
annual cost to a regular basis in the		annual cost to	
company for pay level 11 or		company for	
last two years equivalent in the parent		= :	
		to be decided	cadre or department;
	1 1	by the	

			competent		and		
			authority and				
			shall be		(b) Possessing the		
					educational		
			indicated in the				
			advertisement		qualification prescribed		
			on each		for direct recruitment		
			occasion		under column 7.		
			Note 2:				
			Qualifications				
			are relaxable at				
			the discretion				
			competent				
			authority in the				
			case of				
			candidates				
			otherwise well				
			qualified.				
			1				
			Note 3: The				
			qualification(s)				
			regarding				
			experience is				
			relaxable at the				
			discretion of				
			the competent				
			authority in the				
			case of				
			candidates				
			belonging to				
			Scheduled				
			Castes or				
			Scheduled				
			Tribes if at any				
			stage of				
			selection, the				
			competent				
			authority is of				
	l .	1		1	l .	l .	ı

						the opinion						
						that sufficient						
						number of						
						candidates						
						from these						
						communities						
						possessing the						
						requisite						
						experience are						
						not likely to be						
						available to fill						
						up the vacancy						
						reserved for						
						them.						
						Note 4: The						
						aforesaid						
						educational						
						qualification						
						and experience						
						is indicative						
						and may						
						undergo						
						change as per						
						functional						
						requirement						
						which shall be						
						mentioned in						
						the						
						advertisement						
						on each						
						occasion.						
30.	"8*(2018)"	General	Pay Level 11 (Rs.67,700-	Selection	40	(i) Post	Not	Two	(i) 75% direct	For promotion:	Selection Committee	Not
Manager	(/	Central	2,08,700)		Years	Graduate			recruitment			applicable
		Service,	, , , , , ,			Degree or	11			Deputy Manager in		11
		Group-A	or Consolidated			Diploma (Full			(ii) 25% promotion	Level 10 (Rs. 56,100-		
		Stoup 11	remuneration in the range			Time courses)				1,77,500) with five		
		Non-	of Rs.95000-Rs.270000			in journalism			-	years' service in the	-	
		1.1011	depending upon years of						short term contract)			
			depending upon years of			or Mass			short term contract)	5 ade rendered after	radionty of mula-	

De contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del l		
Ministerial experience	communication	or absorption appointment thereto on Chairman.
	or Public	a regular basis.
	Relation or	(ii) Executive
	MBA with	Director, Food Safety
	specialization	and Standards
	in Marketing	Note 1: Where juniors Authority of India-
	from a	who have completed Member
	recognized	their qualifying or
	university or	eligibility service are (iii)Advisor, Food
	Institute	being considered for Safety and Standards
		promotion, their seniors Authority of India-
	<u>OR</u>	would also be Member.
		considered provided
	Post Graduate	they are not short of the (iv)One outside expert
	Degree or	requisite qualifying or of appropriate level to
	Diploma in	eligibility service by be nominated by
	Social Work or	more than half of such Chairperson, Food
	psychology or	qualifying or eligibility Safety and Standards
	Labour and	service, or two years, Authority of India -
	Social Welfare	whichever is less, and Member
	from a	have successfully
	recognized	completed their
	university or	probation period for
	Institute	promotion to the next
		higher grade along with
	OR	their juniors who have
		already completed such
	Master's	qualifying or eligibility
	degree in	service
	Library	
	Sciences or	For deputation
	Library and	(including short term
	Information	contract)or absorption:
	Science from a	
	recognized	Officers of the Central
	University or	Government or State
	Institute	Governments or Union
		Territories or
	and	Universities or
		Recognized Research

(ii) Eight	Institutions or Public
years'	Sector Undertakings or
experience in	Semi–Government,
relevant area	Statutory or
	Autonomous
Note 1: Out of	Organisations:-
the total	Organisations.
experience	(a)(i) Holding
sought, two	analogous post on
years of	regular basis in the
experience	parent cadre or
should be in	department; or
immediate	department, or
	(i) With five years
lower pay level	regular service in the
in central	grade rendered after
dearness	
allowance, or	appointment thereto on
equivalent	a regular basis in the
industrial	Pay Level 10 or
dearness	equivalent in the parent
allowance	cadre or department;
scale (as	and
applicable) and	
in case of	(b) Possessing the
candidates	educational
working in	qualification prescribed
private sector	for direct recruitment
he or she shall	under column 7.
be drawing	
minimum	
comparable	
annual cost to	
company for	
last two years	
to be decided	
by the	
competent	
authority and shall be	
indicated in the	

_	1						
			advertisement				
			on each				
			occasion				
			Note 2	:			
			Qualifications				
			are relaxable a				
			the discretion				
			of the				
			competent				
			authority in the	2			
			case o	İ			
			candidates				
			otherwise wel	1			
			qualified.				
			Note 3: The				
			qualification(s)			
			regarding				
			experience i	s			
			relaxable at the				
			discretion o				
			the competen				
			authority in the				
			case o	f			
			candidates				
			belonging to)			
			Scheduled				
			Castes o	r			
			Scheduled				
			Tribes if at any				
			stage o				
			selection, the	e			
			competent				
			authority is o	f			
			the opinion				
			that sufficien	t			
			number o				
			indinioci 0	•]

						candidates						
						from these						
						communities						
						possessing the						
						requisite						
						_						
						experience are						
						not likely to be						
						available to fill						
						up the vacancy						
						reserved for						
						them.						
						Note 4: The						
						aforesaid						
						educational						
						qualification						
						-						
						and experience						
						is indicative						
						and may						
						undergo						
						change as per						
						functional						
						requirement						
						which shall be						
						mentioned in						
						the						
						advertisement						
						on each						
						occasion.						
						occasion.						
31.	"16*(2018)"	General	Pay Level 10 (Rs.56,100-	Selection	35	(i) Post	Not	Two	(i) 75% direct	For promotion:	Selection Committee	Not
Deputy		Central	1,77,500)		Years	Graduate	applicable	Years	recruitment		for shall consists of:	applicable
Manager		Service,				Degree or	- *			Assistant Manager in		- 1
			or Consolidated			Diploma (Full			(ii) 25% promotion	Level 7(Rs. 44,900-	(i) Chief Executive	
		Oroup 11	remuneration in the range			Time courses)				1,42,400) with three		
			of Rs.80000-Rs.234000			in journalism				years' service in the		
			depending upon years of			or Mass			short term contract)			
			experience						or absorption	appointment thereto on	_	
			слрененее			communication			or absorption	a regular basis.	Chairman.	
						or Public					(ii) Executive	
						Relation or					(II) Executive	

MBA with			Director, Food Safety	
specializat	ion		and Standards	
in Marketi		Note 1: Where juniors	Authority of India-	
from a		who have completed	Member	
recognized		their qualifying or		
university		eligibility service are		
Institute		being considered for	-	
		promotion, their seniors		
<u>OR</u>			Member.	
		considered provided		
)Post Grad	uate	they are not short of the	(iv)One outside expert	
Degree or		requisite qualifying or	of appropriate level to	
Diploma	n	eligibility service by	be nominated by	
Social Wo		more than half of such	Chairperson, Food	
psycholog	y or	qualifying or eligibility	Safety and Standards	
Labour an	i	service, or two years,	Authority of India -	
Social We	lfare	whichever is less, and	Member	
from a		have successfully		
recognized		completed their		
university	or	probation period for		
Institute		promotion to the next		
		higher grade along with		
<u>OR</u>		their juniors who have		
Master's		already completed such		
degree	in	qualifying or eligibility		
Library	111	service		
Sciences	or			
Library	1	For deputation		
Informatic		(including short term		
Science		contract)or absorption:		
recognized		Off:		
University		Officers of the Central		
Institute		Government or State		
institute		Governments or Union		
		Territories or		
		Universities or		
(ii) Six ye	rc'	Recognized Research		
experience	in	Institutions or Public		
		Sector Undertakings or		
		Semi-Government,		

		relevant area		Statutory or
				Autonomous
		Note 1: Out of		Organisations:-
		the total		
		experience		(i) Holding analogous
		sought, two		post on regular basis in
		years of		the parent cadre or
		experience		department; or
		should be in		
		immediate		(ii) With three years
		lower pay level		regular service in the
		in central		grade rendered after
		dearness		appointment thereto on
		allowance, or		a regular basis in the
		equivalent		Pay Level 7 or
		industrial		equivalent; and
		dearness		
		allowance		(b) Possessing the
				educational
		scale (as		qualification prescribed
		applicable) and		for direct recruitment in
		in case of		column 7
		candidates		
		working in		
		private sector		
		he or she shall		
		be drawing		
		minimum		
		comparable		
		annual cost to		
		company for		
		last two years		
		to be decided		
		by the		
		competent		
		authority and		
		shall be		
		indicated in the		
		advertisement		
		on each		
			1 1	<u> </u>

			occasion			
			Note 2:			
			Qualifications			
			are relaxable at			
			the discretion			
			of the			
			Competent			
			Authority in			
			the case of			
			candidates			
			otherwise well			
			qualified.			
			Note 3: The			
			qualification(s)			
			regarding			
			experience is			
			relaxable at the			
			discretion of			
			the competent			
			authority in the			
			case of			
			candidates			
			belonging to			
			Scheduled			
			Castes or			
			Scheduled			
			Tribes if at any			
			stage of			
			selection, the			
			competent			
			authority is of			
			the opinion			
			that sufficient			
			number of			
			candidates			
			from these			

						communities possessing the							
						requisite							
						experience are							
						not likely to be							
						available to fill							
						up the vacancy							
						reserved for							
						them.							
						Note 4: The							
						aforesaid							
						educational							
						qualification							
						and experience							
						is indicative							
						and may							
						undergo							
						change as per							
						functional							
						requirement							
						which shall be							
						mentioned in							
						the							
						advertisement							
						on each							
						occasion.							
32.	"8*(2018)"			Not	30	A.(i)Post	Not	Two		direct	Not applicable	Selection Committee	Not
Assistant		Central	1,42,400)	applicable	Years	Graduate	applicable	Years	recruitment			shall consists of:	applicable
Manager		Service,				Degree or							
		Oroup 2	or Consolidated			Diploma (Full						(i) Executive Director,	
			remuneration in the range			Time courses)						Food Safety and	
			of Rs.60000-Rs.186000			in journalism						Standards Authority	
			depending upon years of			or Mass						of India – Chairman	
			experience			communication						(ii) Director, Food	
						or Public						Safety and Standards	
						Relation or						Authority of India-	
						MBA with						Additionty of mara-	
						specialization							

		in Marketing		Member	
		from a			
		recognized		(iii) One outside	
		university or		expert of appropriate	
		Institute		level to be nominated	
				by Chief Executive	
		<u>OR</u>		Officer, Food Safety	
				and Standards	
		(ii)Post		Authority of India -	
		Graduate		Member	
		Degree or		Member	
		Diploma in			
		Social Work or			
		psychology or			
		Labour and			
		Social Welfare			
		from a			
		recognized			
		university or			
		Institute			
		<u>OR</u>			
		B.(i)Bachelor's			
		degree in			
		Library			
		Sciences or			
		Library and			
		Information			
		Science of a			
		recognized			
		University or			
		Institute			
		msutute			
		(ii)Two years			
		professional			
		experience in a			
		Library under			
		Central or			
		State Govt. or			

Autonomous	
or Statutory	
Organisation	
or Public	
Sector Sector	
Undertaking or Undertaking or	
University.	
Note 1: Out of	
the total	
experience	
sought, two	
years of	
experience	
should be in	
immediate	
lower pay level	
in central	
dearness	
allowance, or	
equivalent	
industrial	
dearness	
allowance	
scale (as	
applicable) and	
in case of	
candidates	
working in	
private sector	
he or she shall	
be drawing	
minimum minimu	
comparable	
annual cost to	
company for company	
last two years	
to be decided	
by the	
competent	

			authority and			
			shall be			
			indicated in the			
			advertisement			
			on each			
			occasion			
			occasion			
			Note 2:			
			Qualifications			
			are relaxable at			
			the discretion			
			of the			
			competent			
			authority in the			
			case of			
			candidates			
			otherwise well			
			qualified.			
			Note 3: The			
			qualification(s)			
			regarding			
			experience is			
			relaxable at the			
			discretion of			
			the competent			
			authority in the			
			case of			
			candidates			
			belonging to			
			Scheduled			
			Castes or			
			Scheduled			
			Tribes if at any			
			stage of			
			selection, the			
			competent			
			authority is of			
			the opinion			

			that sufficient	
			number of	
			candidates	
			from these	
			communities	
			possessing the	
			requisite	
			experience are	
			not likely to be	
			available to fill	
			up the vacancy	
			reserved for	
			them.	
			Note 4: The	
			aforesaid	
			educational	
			qualification	
			and experience	
			is indicative	
			and may	
			undergo	
			change as per	
			functional	
			requirement	
			which shall be	
			mentioned in	
			the	
			advertisement	
			on each	
			occasion.	
 1	. 1 1	. 11 1		

^{*} Subject to variation dependent on workload.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./243/18]